विषय वस्तु

अध्याय- 1

विविध ढांचा और व्यापार सरलीकरण 10

क विधिक ढांचा 10

1.00 विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) का विधिक आधार 10

1.01 विदेश व्यापार नीति की अवधि 10

1.02 विदेश व्यापार नीति में संशोधन 10

1.03 प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) और परिशिष्ट एवं 10
आयात निर्यात प्रपत्र (एएएनएफ) 10

1.04 सामान्य प्रावधान से अधिक महत्वपूर्ण विशिष्ट प्रावधान 11

1.05 परिवर्ती व्यवस्था 11

ख. व्यापार सरलीकरण एवं व्यापार करने की सुगमता 11

1.06 उद्देश्य 11

1.07 डीजीएफटी निर्यात/ आयात हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में 11

1.08 निर्यात बंधु-नए निर्यात/आयात उद्यमियों के लिए समर्थन (हैन्ड होल्डिंग) स्कीम 12

1.09 नागरिक चार्टर 12

1.10 आनलाइन शिकायत पंजीकरण एवं निगरानी प्रणाली 12

1.11 ई-आईईसी (इलेक्ट्रानिक-आयात निर्यातक कोड) जारी करना 13

1.12 ई-बीआरसी 13

1.13 ई-बीआरसी आंकड़ों की साझेदारी हेतु राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन 13

1.14 निर्यातक आयातक प्रोफाइल 14

1.15 निर्यात और आयात के लिए आवश्यक दस्तावेजों में कमी 14

1.16 आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा 14

1.17 ऑनलाइन अन्तर-मंत्रालयी परामर्श 14

1.18 सनदी लेखाकार/कम्पनी सचिव/लागत लेखाकार द्वारा दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा 15

1.19 इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज (ईडीआई) 15

1.20 सामुदायिक सहभागियों के साथ संदेश विनिमयता 15

1.21 तीसरा पक्ष एपीआई के विकास को बढ़ावा देना 16

1.22 आगामी ई-गवर्नेन्स की पहल 16

1.23 निर्यात खेप हेतु निर्मुक्त रास्ता 17

1.24 निर्यात से संबंधित स्टॉक की जब्ती नहीं 17

1.25 24X7 सीमाशुल्क निकासी 17

1.26 सीमाशुल्क कार्यालय में एकल खिड़की 17

1.27 सीमाशुल्क का स्वयं आकलन 17

1.28 प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) कार्यक्रम 18

1.29 पोत लदान बिलों की पूर्व फाइलिंग की सुविधा 19

1.30 शुल्क वापसी हेतु निर्यात सामान्य घोषणा (ईजीएम) फाइल करने में विलंब को कम करना 19
1.31 विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत जारी प्राधिकार पत्रों हेतु दी जाने वाली साझा बांड/एलयूटी की सुविधा 19
1.32 विदेश से प्राप्त सेवाओं पर सेवा कर से छूट 19
1.33 खराब होने वाले कृषि उत्पादों का निर्यात 19
1.34 समय निर्गमन अध्ययन (टीआरएस) 20
1.35 निर्यात उत्कृष्टता के शहर (टीईई) 20
1.36 व्यापार आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता 20
1.37 सीमा शुल्क निकासी में प्रिन्टआउट में कमी लाना/समाप्त करना 21
1.38 राष्ट्रीय व्यापार सरलीकरण संबंधी समिति (एनसीटीएफ) 21
1.39 ईमेल की पहल 22
1.40 आस्थगित भुगतान की सुविधा 22

अध्याय-2 आयात एवं निर्यात से संबंधित सामान्य प्रावधान

2.00 उद्देश्य 23
2.01 आयात एवं निर्यात 'मुक्त' जब तक कि विनियमित न किया जाए 23
2.02 निर्यात एवं आयात का भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली) [आईटीसी (एचएस)] 23
2.03 स्वदेशी कानूनों के साथ आयात का अनुपालन 24
2.04 प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करने हेतु प्राधिकार 24
आयात-निर्यातक कोड/ई-आईईसी
2.05 आयात निर्यात कोड (आईईसी) 24
2.06 भारत से/में माल के निर्यात/आयात हेतु अनिवार्य दस्तावेज 25
2.07 प्रतिबंधों के सिद्धांत 26
2.08 प्रतिबंधित माल/सेवाओं का निर्यात/आयात 26
2.09 स्कोमेट मदों का निर्यात 26
2.10 वास्तविक प्रयोक्ता शर्त 27
2.11 प्राधिकार पत्र की शर्तें 27
2.12 आवेदन शुल्क 27
2.13 प्राधिकार पत्र के अधीन सीमाशुल्क विभाग से माल की निकासी 28
2.14 प्राधिकार पत्र की प्राप्ति अधिकार नहीं है 28
2.15 दंडात्मक कार्रवाई और निषिद्ध कम्पनी सूची (डीईएल) में किसी कम्पनी को रखना 28
2.16 इराक से/वर्ग 'हथियारों और संबंधित सामान' के आयात और निर्यात पर निषेध 29
2.16क व्यापार पर निषेध 29
2.17 कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य से/को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात पर निषेध 29

2.18	ईरान से/को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात/निर्यात	30
2.19	सोमालिया से चारकोल के आयात पर रोक	30
2.20	राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई)	30
2.21	पड़ोसी देशों के साथ व्यापार	31
2.22	माल लाने-ले-जाने की सुविधा	31
2.23	ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रूस के साथ व्यापार	31
2.24	नमूनों का आयात	31
2.25	उपहारों का आयात	31
2.26	यात्री असबाब	32
2.27	विदेश में मरम्मत की गई वस्तुओं का पुनः आयात	32
2.28	विदेश में स्थित परियोजनाओं में प्रयुक्त सामान का आयात	32
2.29	प्रोटोटाइप्स का आयात	32
2.30	कूरियर सेवा/डाक के माध्यम से आयात	32
2.31	पुरानी वस्तुएं	33
	धात्विक छीजन और स्क्रैप की आयात नीति	33
2.32	धात्विक छीजन और स्क्रैप का आयात	33
2.33	एसईजेड से स्क्रैप/छीजन को हटाना	34
	आयात से संबंधित अन्य प्रावधान	34
2.34	पट्टा वित्त प्रबंध के अधीन आयात	34
2.35	विधिक वचनबद्धता (एलयूटी) बैंक गारंटी (बीजी) का निष्पादन	34
2.36	आयात के लिए निजी/सार्वजनिक बॉन्डेड गोदाम	34
2.37	खालों, चमड़ों और अर्धनिर्मित वस्तुओं हेतु विशेष प्रावधान	35
2.38	महासागर में बिक्री	35
	निर्यात	35
2.39	मुक्त निर्यात	35
2.40	हटा दिया गया है	35
2.41	सहायक विनिर्माताओं हेतु लाभ	35
2.42	तीसरा पक्ष निर्यात	35
2.43	नमूनों का निर्यात	36
2.44	उपहारों का निर्यात	36
2.45	यात्री असबाब का निर्यात	36
2.46	निर्यात हेतु आयात	36
2.47	कूरियर सेवा/डाक के माध्यम से निर्यात	37
2.48	प्रतिस्थापन माल का निर्यात	38
2.49	मरम्मत किए गए माल का निर्यात	38
2.50	अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात	38
2.50क	उपयोग हेतु खराब और अनुपयुक्त पाए गए आयातित माल का पुनः निर्यातः	38
2.51	निर्यात के लिए निजी बॉण्डेड गोदाम	38
2.52	निर्यात संविदाओं का कोटिकरण	39
2.53	ईरान को निर्यात- विदेश व्यापार नीति के लाभों/प्रोत्साहनों के लिए	

	पात्र बनने के लिए भारतीय रुपयों में वसूली	39
2.54	निर्यात आय की गैर-वसूली	39
2.54कः	निर्यात क्रेडिट एजेंसियां (ईसीए)	40
2.55	आरसीएमसी जारी करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) को पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित करना।	40
2.56	पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)	41
2.57	नीतिगत व्याख्या	41
2.58	नीति/प्रक्रिया से छूट	42
2.59	शिकायत निवारण के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई	42
2.60	बंदोबस्त आयोग के जरिए निर्यात दायित्व चूक का विनियमीकरण और सीमाशुल्क और ब्याज का निपटान	43
2.61	उद्गम के प्रमाण पत्र पर स्वप्रमाणन के लिए अनुमोदित निर्यातक स्कीम	43
2.62	यूरोपीय संघ सामान्यीकृत अधिमानता प्रणाली (ईयू–जीएससी) के लिए माल के उद्गम का प्रमाणपत्र	44

अध्याय - 3 भारत से निर्यात संबंधी स्कीम 45

3.00	उद्देश्य	45
3.01	भारत से निर्यात संबंधी स्कीम	45
3.02	प्रतिफलों की प्रकृति	45
	भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस)	45
3.03	उद्देश्य	45
3.04	एमईआईएस के अंतर्गत पात्रता	46
3.05	ई-कॉमर्स प्रयोग करने वाले कूरियर या विदेशी डाक कार्यालयों के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात	46
3.06	एमईआईएस के अंतर्गत अपात्र श्रेणियाँ	46
	भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)	46
3.07	उद्देश्य	47
3.08	पात्रता	47
3.09	एसईआईएस के तहत अपात्र श्रेणियाँ	48
3.10	एसईआईएस के तहत हकदारी	48
3.11	एमईआईएस और एसईआईएस के लिए क्रेडिट कार्ड और अन्य दस्तावेजों द्वारा प्रेषण	48
3.12	स्कीमों (एमईआईएस तथा एसईआईएस) की प्रभावी तिथि	48
3.13	विशेष प्रावधान	48
	भारत से निर्यात स्कीमों (एमईआईएस और एसईआईएस) के लिए सामान्य प्रावधान	49
3.14	परिवर्ती व्यवस्था	49
3.15	सेनवैट/शुल्क वापसी	49
3.16	पट्टा वित्तपोषण के अंतर्गत आयात	49
3.17	निर्यात निष्पादन का अंतरण	49

3.18	ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के माध्यम से सीमाशुल्क और शुल्क के भुगतान की सुविधा	50
3.19	जोखिम प्रबंधन प्रणाली	50
3.20	स्तर धारक	51
3.21	स्तर श्रेणी	51
3.22	दोहरा तरजीह प्रदान करना	51
3.23	स्तर प्रदान करने के लिए अन्य शर्तें	52
3.24	स्तर धारकों के विशेषाधिकार	52
	अध्याय- 4	54
	शुल्क विमुक्ति और छूट स्कीम	54
4.00	उद्देश्य	54
4.01	स्कीम	54
4.02	नीति और प्रक्रिया की अनुप्रयोज्यता	54
4.03	अग्रिम प्राधिकार पत्र	54
4.04	मसालों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र	55
4.05	पात्र आवेदक/निर्यात/आपूर्ति	56
4.06	वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र	57
4.07	वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्त	57
4.07क	स्व–अनुसमर्थन स्कीम	57
4.08	मूल्यवर्धन	60
4.09	न्यूनतम मूल्यवर्धन	60
4.10	अनिवार्य पुर्जो का आयात	60
4.11	स्व-घोषणा आधार पर आयात की अपात्र श्रेणियाँ	61
4.12	निविष्टियों की गणना	61
4.13	कतिपय मामलों में आयात-पूर्व शर्त	62
4.14	छूट प्राप्त शुल्कों का ब्यौरा	62
4.15	शुल्क वापसी की स्वीकार्यता	63
4.16	अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु वास्तविक प्रयोक्ता शर्त	63
4.17	आयात के लिए वैधता अवधि और इसका विस्तार	63
4.18	उन मदों के आयात/निर्यात किए जाने की पात्रता जो निषिद्ध/प्रतिबंधित/एसटीई मदें हैं	64
4.19	विदेशी क्रेता द्वारा निःशुल्क आपूर्ति	64
4.20	निविष्टियों की घरेलू प्राप्ति	65
4.21	निर्यात लाभ की प्राप्ति हेतु मुद्रा	65
4.22	निर्यात दायित्व अवधि और इसका विस्तार	66
4.23	हटा दिया गया है।	66
4.24	शुल्क मुक्त/छूट स्कीम के अंतर्गत निर्यात माल का पुनः आयात	66
	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र स्कीम (डीएफआईए)	

4.25	डीएफआईए स्कीम	66
4.26	छूट दिए जाने वाले शुल्क	66
4.27	पात्रता	67
4.28	न्यूनतम मूल्य संवर्धन	67
4.29	डीएफआईए की वैधता एवं अंतरण	67
4.30	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र के तहत संवेदनशील मदें	68
	रत्न एवं आभूषण के निर्यातकों के लिए स्कीम	68
4.31	निविष्टि का आयात	68
4.32	निर्यात की मदें	69
4.33	योजनाएं	69
4.34	नामित एजेंसियों से कीमती धातुओं की अग्रिम प्राप्ति/प्रतिपूर्ति	69
4.35	रत्नों के लिए प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र	70
4.36	उपभोज्यों के लिए प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र	70
4.37	कीमती धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र	71
4.38	मूल्यवर्धन	71
4.39	छीजन मानदंड	72
4.40	डीएफआईए की अनुपलब्धता	72
4.41	नामित एजेंसियाँ	72
4.42	प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनः निर्यात के लिए हीरों का आयात	72
4.43	कटे हुए और पॉलिश किए गए हीरों का प्रमाणन/ ग्रेडिंग और पुनः आयात के लिए निर्यात	73
4.44	शून्य शुल्क पर पुनः आयात की सुविधा के साथ कटे और पालिश किए गए हीरों का निर्यात	73
4.45	विदेशी खरीदारों द्वारा आपूर्ति किए जाने पर निर्यात	73
4.46	निर्यात संवर्धन दौरे/ब्राण्डेड आभूषणों का निर्यात	74
4.47	निर्यात/आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर लाना-ले जाना	74
4.48	डाक द्वारा निर्यात	74
4.49	निजी/सार्वजनिक अनुबद्ध माल गोदाम	74
4.50	हीरे और जवाहरात संबंधी डॉलर खाते	74
4.51	परिशोधन तथा पुनः आयात के लिए कटे एवं पॉलिश किए हुए बहुमूल्य और अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात	75
4.52	अस्वीकृत आभूषणों का पुनः आयात	75
4.53	खेप आधार पर निर्यात और आयात	75

अध्याय- 5 .....

	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम	77
5.0	उद्देश्य	77
5.01	ईपीसीजी स्कीम	77
5.02	कवरेज	78

5.03 वास्तविक प्रयोक्ता शर्त 79
5.04 निर्यात दायित्व(ईओ) 79
5.05 हटा दिया गया है। 80
5.06 कृषि इकाइयों के मामले में एलयूटी/बॉण्ड/बीजी 80
5.07 स्वदेशी रुप से पूंजीगत माल प्राप्त करना और घरेलू आपूर्तिकर्ता को लाभ 80
5.08 निर्यात दायित्व की गणना 80
5.09 समय से पहले निर्यात दायित्व पूरा करने हेतु प्रोत्साहन 80
5.10 हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए कम किया गया निर्यात दायित्व 81
5.11 उत्तर-पूर्व क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर के लिए कम किया गया निर्यात दायित्व 81
5.12 पश्च-निर्यात ईपीसीजी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) 81

अध्याय- 6 .....

निर्यातोन्मुखी यूनिटें (ई ओ यू), इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ई एच टी पी), सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी) और बॉयो टेक्नोलोजी पार्क (बी टी पी) 82

6.00 भूमिका और उद्देश्य 82
6.01 माल का निर्यात तथा आयात 82
6.02 पुराना पूंजीगत माल 85
6.03 पूंजीगत माल के पट्टे 85
6.04 निवल विदेशी मुद्रा अर्जन 86
6.05 आवेदन व अनुमोदन/अनुज्ञा पत्र/आशय पत्र और विधिक वचनबद्धता 86
6.06 निवेश मानदण्ड 87
6.07 आवेदन और अनुमोदन 87
6.08 तैयार उत्पाद/ अस्वीकृत माल/ अपशिष्ट/ स्क्रैप/ शेष और उप-उत्पाद की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डी टी ए) में बिक्री 87
6.09 अन्य आपूर्तियां 90
6.10 अन्य के माध्यम से निर्यात 91
6.11 डी.टी.ए. से आपूर्तियों हेतु हकदारी 91
6.12 अन्य हकदारियाँ 92
6.13 अन्तर यूनिट हस्तांतरण 93
6.14 उप-ठेके 94
6.15 प्रयोग न किए गए माल की बिक्री 95
6.16 रिंकडिशनिंग/मरम्मत और पुनः इंजीनियरिंग करना 96
6.17 आयातित/स्वदेशी वस्तुओं का प्रतिस्थापन/मरम्मत 97
6.18 ईओयू योजना से बहिर्गमन 97
6.19 परिवर्तन 99
6.20 एन एफ ई की निगरानी 99
6.21 प्रदर्शनियों/निर्यात प्रोत्साहन यात्राओं/ विदेश में शो-रुमों/ शुल्क मुक्त दुकानों के जरिये निर्यात 99

6.22 आयात/ निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत रुप से लाना ले जाना जिसमें विदेश जाने वाले यात्रियों के जरिए सामान ले जाना शामिल है 99
6.23 डाक/कूरियर द्वारा निर्यात/आयात 100
6.24 ई ओ यू यूनिटों का प्रशासन/विकास आयुक्त की शक्तियाँ 100
6.25 रुग्ण यूनिटों का पुनरुत्थान 100
6.26 ईएचटीपी/एसटीपी का अनुमोदन 100
6.27 बीटीपी का अनुमोदन 100
6.28 मालगोदाम सुविधाएं 100

अध्याय- 7 .....

मान्य निर्यात 101
7.00 उद्देश्य 101
7.01 मान्य निर्यात 101
7.02 आपूर्ति की श्रेणियाँ 101
7.03 मान्य निर्यात के लिए लाभ 103
7.04 आपूर्तिकर्त्ता/प्राप्तकर्त्ता का लाभ 104
7.05 अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए शर्त 104
7.06 मान्य निर्यात शुल्क वापसी के लिए शर्तें 105
7.07 मान्य निर्यात लाभों के लिए सामान्य शर्तें 105
7.08 विनिर्दिष्ट आपूर्तियों पर लाभ 105
7.09 ब्याज का दायित्व 106
7.10 जोखिम प्रबंधन और आन्तरिक लेखा परीक्षा तंत्र 106
7.11 दण्डनीय कार्रवाई 106
7.12 परिवर्ती पैरा 107

अध्याय- 8 .....

गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवाद 108
8.00 उद्देश्य 108
8.01 गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवाद 108
8.02 आयातक/निर्यातक का दायित्व 108
8.03 चूककर्ता निर्यातकों/ आयातकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और विदेश व्यापार (विनियमन) नियमावली में प्रावधान 109
8.04 शिकायतों/विवादों की निगरानी हेतु तंत्र 109
8.05 सीक्यूसीटीडी के तहत कार्रवाई 110
8.06 शिकायतों और व्यापार विवादों से निपटने की प्रक्रिया 110
8.07 सुधारात्मक उपाय 110
8.08 नोडल अधिकारी 110

अध्याय - 9.....

परिभाषा 111

परिशिष्ट–I (2.17) 121

शब्दावली (संक्षिप्त अक्षर) 124

अध्याय - 1

विधिक ढांचा और व्यापार सरलीकरण

क. विधिक ढांचा

1.00 विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) का विधिक आधार

दिनांक 05.12.2017 से यथा अद्यतित विदेश व्यापार नीति 2015-20 को, संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं0 22) [एफ टी (डी एण्ड आर) अधिनियम] की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

1.01 विदेश व्यापार नीति की अवधि

दिनांक 05.12.2017 से यथा अद्यतित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-2020, जिसमें माल और सेवाओं के निर्यात और आयात संबंधी प्रावधानों को शामिल किया गया है, अधिसूचना की तारीख से लागू होगी तथा 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रहेगी, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए। अधिसूचना की तारीख तक किए गए सभी निर्यात तथा आयात प्रासंगिक विदेश व्यापार नीति द्वारा तदनुसार शासित होंगे, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।

1.02 विदेश व्यापार नीति में संशोधन

केन्द्र सरकार समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में जारी अधिसूचना द्वारा विदेश व्यापार नीति में किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार रखती है।

1.03 प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) और परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र (एएएनएफ):

महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों तथा विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों में दिए गए प्रयोजनों के लिए, निर्यातक या आयातक या किसी लाइसेंसिंग/ क्षेत्रीय प्राधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करते हुए परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र सहित प्रक्रिया पुस्तक अथवा उससे संबंधित संशोधन को सार्वजनिक सूचना के द्वारा अधिसूचित कर सकते हैं।

1.04 सामान्य प्रावधान से अधिक महत्वपूर्ण विशिष्ट प्रावधान

जहाँ विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) में होगा, वहाँ यह सामान्य प्रावधान से अधिक महत्वपूर्ण होगा।

1.05 परिवर्ती व्यवस्था

(क) दिनांक 05.12.2017 से यथा अद्यतित विदेश व्यापार नीति 2015-20 लागू होने से पहले कोई भी लाइसेंस/ प्राधिकारपत्र/प्रमाणपत्र/स्क्रिप/वित्तीय सहायता या वित्तीय अथवा राजकोषीय लाभ के साधन ऐसे लाइसेंस/प्राधिकारपत्र/प्रमाणपत्र/स्क्रिप/वित्तीय या राजकोषीय लाभ निर्गमित प्राधिकार पत्र के प्रयोजन और अवधि के लिए वैध रहेंगे जब तक अन्यथा नियत न किया गया हो।

(ख) यदि इस विदेश व्यापार नीति के तहत मुक्त रुप से किए जा सकने वाले किसी निर्यात या आयात पर बाद में कोई प्रतिबंध लगाया जाता है या उसे विनियमित किया जाता है तो ऐसे प्रतिबंध या विनियमन के बावजूद सामान्यतः ऐसे निर्यात या आयात की अनुमति प्रदान की जाएगी, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो। यह इस शर्त के अधीन है कि निर्यात या आयात का पोत लदान ऐसे प्रतिबंध लगाने की तारीख से पूर्व लागू अपरिवर्तनीय वाणिज्यिक साख-पत्र के मूल वैधता अवधि के भीतर किया गया हो और यह अपरिवर्तनीय साख-पत्र की उपलब्ध शेष मूल्य और मात्रा तथा समयावधि तक सीमित हो। ऐसे अपरिवर्तनीय साख-पत्र के परिचालन के लिए आवेदक को किसी ऐसे प्रतिबन्ध या विनियम के लागू होने के 15 दिन के भीतर संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारी (आर.ए.) के पास साख पत्र का पंजीकरण कराना होगा जिसकी कम्प्यूटरीकृत रसीद दी जाएगी।

ख. व्यापार सरलीकरण एवं व्यापार करने की सुगमता

1.06 उद्देश्य

सौदा लागत को कम करने और समय में कटौती करने हेतु व्यापार सरलीकरण सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है जिसके द्वारा भारतीय निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो रहा है। व्यापार सरलीकरण की दिशा में विदेश व्यापार नीति के विभिन्न उपबंधों और सरकार द्वारा किए गए उपायों को इस अध्याय में आयात और निर्यात व्यापार के हितधारियों के लाभ हेतु समेकित किया गया है।

1.07 डीजीएफटी निर्यात/ आयात हेतु सुविधा प्रदाता के रूप में

डीजीएफटी निर्यात और आयात के सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है। अच्छे अभिशासन पर फोकस है जो दक्ष, पारदर्शी और जिम्मेदार सुपुर्दगी प्रणाली पर निर्भर करता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आसान बनाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय

विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों तथा व्यापार तथा उद्योग निकायों के साथ समय-समय पर परामर्श करता है।

1.08 निर्यात बंधु-नए निर्यात/आयात उद्यमियों के लिए समर्थन (हैन्ड होल्डिंग) स्कीम

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय परामर्श, प्रशिक्षण और आउट-रीच कार्यक्रमों के माध्यम से विदेश व्यापार की जटिलताओं के बारे में नए और संभावित निर्यातक को परामर्श देने के लिए निर्यात बंधु स्कीम कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) विनिर्माण क्षेत्र में और रोजगार सृजन में छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमों के कार्यनीतिक महत्व पर विचार करते हुए निर्यात को बढ़ावा देने हेतु संकेन्द्रित हस्तक्षेप के लिए क्लस्टर में उत्पाद की निर्यात संभावना तथा उद्योगों की सघनता के आधार पर 'एमएसएमई कलस्टरों' को चिन्हित किया गया है।

(ग) निर्यात बंधु स्कीम के उद्देश्य को पूरा करने हेतु 'उद्योग साझेदारों' के रूप में निर्यात संवर्धन परिषदों तथा शैक्षणिक और अनुसंधान समुदाय के अन्य इच्छुक 'ज्ञान साझेदारों' की सहायता से आउटरीच कार्यकलाप सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सीमाशुल्क, ईसीजीसी, बैंक तथा संबंधित मंत्रालयों सहित सभी हित धारकों को सम्मिलित करने के प्रयास किए जाएंगे।

1.09 नागरिक चार्टर

डीजीएफटी में समुचित नागरिक चार्टर तैयार किया गया है जिसमें उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने हेतु निर्धारित समय सारणी दी गई है। किसी आवेदन को निपटाने की समय–सीमा प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.10 में दी गई है।

1.10 आनलाइन शिकायत पंजीकरण एवं निगरानी प्रणाली

डीजीएफटी के पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने में निर्यातकों को सहायता प्रदान करने तथा अन्य ईडीआई से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए एक ईडीआई सहायता डेस्क उपलब्ध है। सहायता प्राप्त करने के लिए dgftedi@nic.in पर ई मेल भेजा जा सकता है अथवा टाल फ्री नम्बर 1800111550 का उपयोग किया जा सकता है। डीजीएफटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों (विवरण http://dgft.gov.in पर उपलब्ध है) में भी सहायता डेस्क की सुविधा प्रदान की जाती है। आनलाइन शिकायत पंजीकरण तथा निगरानी प्रणाली से प्रयोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने तथा आनलाइन स्थिति का पता लगाने/उत्तर प्राप्त करने (विवरण http://dgft.gov.in पर उपलब्ध है) की अनुमति है।

1.11 ई-आईईसी (इलेक्ट्रानिक-आयातक निर्यातक कोड) जारी करना

(क) इस नीति के पैरा 2.05 में यथा वर्णित भारत से/में निर्यात/आयात के लिए आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) अनिवार्य है। विदेश व्यापार महानिदेशालय इलेक्ट्रानिक फार्म (ई–आईईसी) में आयातक निर्यातक कोड जारी करता है। ई-आईईसी जारी करने के लिए डीजीएफटी की वेबसाइट (http//:www.dgft.gov.in) पर आवेदन किया जा सकता है। आवेदक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के माध्यम से अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तथापि, आवेदक डिजिटल रुप में विधिवत रुप से हस्ताक्षरित आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) द्वारा ऐसे आवेदनों की प्रोसेसिंग की जाएगी तथा सामान्यतः दो कार्यदिवसों के भीतर आवेदक को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-आईईसी जारी/ईमेल किया जाएगा।

(ग) यदि आवेदन अपूर्ण है या अन्यथा अपात्र है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा तथा आवेदक को अस्वीकृति पत्र/ईमेल (अस्वीकृत के कारणों के साथ) भेजा जाएगा।

(घ) ई-आईईसी जारी करने हेतु आवेदन ईबिज प्लैटफार्म (https://www.ebiz.gov.in) पर भी किया जा सकता है।

1.12 ई-बीआरसी

(क) डीजीएफटी द्वारा ई-बीआरसी (इलेक्ट्रानिक बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र) परियोजना प्रारंभ करना तथा इसका सफलता से कार्यान्वयन करना हाल ही में की गई प्रमुख पहल है। इसने डीजीएफटी को सुरक्षित इलेक्ट्रानिक तरीके से सीधा बैंकों से निर्यात आय की प्राप्ति का विवरण प्राप्त करने में सक्षम बनाया है। इससे हितधारियों के साथ बिना किसी वास्तविक विचार विमर्श के विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने भी माल और सॉफ्टवेयर के निर्यात को मानीटर करने तथा एक ही प्लैटफार्म से विभिन्न लाभ की रिपोर्ट भेजने के लिए एडी बैकों को सुविधा प्रदान करने हेतु निर्यात आंकड़ा प्रॉसेसिंग एवं मानीटरिंग प्रणाली (ईडीपीएमएस) नामक एक व्यापक आईटी आधारित प्रणाली विकसित की है।

1.13 ई-बीआरसी आंकड़ों की साझेदारी हेतु राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन

14 राज्य सरकारों के साथ ई-बीआरसी आंकड़ों की साझेदारी हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे राज्य सरकारों द्वारा निर्यातकों को वैट/जीएसटी की वापसी को सुविधाजनक किया जा सके। प्रवर्तन निदेशालय, कृषि निदेशालय, कृषि संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

1.14 निर्यातक आयातक प्रोफाइल

निर्यातक आयातक प्रोफाइल में दस्तावेज अपलोड करने के लिए इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया तैयार की गई है। अपलोड कर दिए जाने के बाद इन दस्तावेजों/दस्तावेजों की प्रतियों को प्रत्येक आवेदन के साथ बार-बार क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका उद्देश्य सौदा लागत और समय में कमी लाना तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय में विभिन्न आवेदनों की कागज रहित प्रॉसेसिंग की ओर कदम बढ़ाना है।

1.15 निर्यात और आयात के लिए अनिवार्य दस्तावेजों में कमी

विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.06 के तहत किए गए निर्धारण के अनुसार भारत से/में माल के निर्यात और आयात के लिए अनिवार्य दस्तावेजों की संख्या घटाकर प्रत्येक के लिए तीन कर दी गई है।

1.16 आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा

डीजीएफटी के सभी क्षेत्रीय प्राधिकारियों आरए और विस्तार केन्द्रों को उच्च स्पीड इंटरनेट के साथ जोड़ा गया है। आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त और प्रक्रियाबद्ध किया जाता है। डीजीएफटी ने ईडीआई पहल के तहत आयातक निर्यातक कोड और विभिन्न प्राधिकार पत्र/स्क्रिप प्राप्त करने के लिए आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग सुविधा प्रदान की है। डीजीएफटी डिजिटल हस्ताक्षर समर्थित भारत सरकार (जीओआई) के विभागों में से है जिसने एन्क्रिप्टेड 2048 बिट के उच्च स्तर का डिजिटल हस्ताक्षर शुरू किया है। डीजीएफटी वेबसाइट (http://dgft.gov.in) पर जाने के पश्चात आवेदन की ऑनलाइन फाइलिंग हेतु वेब इंटरफेस है। निर्यातक/सीएचए द्वारा घर अथवा कार्यालय में बैठे-बैठे 24 x 7 वातावरण में आवेदन किया जा सकता है। आवेदन शुल्क का भुगतान भी संबद्ध बैंकों से डेबिट/क्रेडिट कार्डों के द्वारा किया जा सकता है। आवेदनों पर डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षर किए जाते हैं और डीजीएफटी के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, इसके बाद क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा कम्प्यूटर पर इसे प्रोसेस किया जाता है और प्राधिकार पत्र/स्क्रिप जारी किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन फाइलिंग ने क्षेत्रीय प्राधिकारी के साथ वास्तविक अंतरापृष्ठ (इंटरफेस) को न्यूनतम कर दिया है।

1.17 ऑनलाइन अन्तर-मंत्रालयी परामर्श

इस समय निर्यातकों को आईकान ई-काम के तहत डीजीएफटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होता है और सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे तकनीकी विनिर्देशन, साहित्यिक सामग्री आदि के साथ ऑनलाइन आवेदन का विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और मुहरयुक्त प्रिन्ट-आउट प्रस्तुत करना होता है। अब (क) मानदंड समितियों द्वारा अग्रिम प्राधिकार के तहत मानदण्डों के निर्धारण (ख) प्रतिबंधित मदों के निर्यात (ग) प्रतिबंधित मदों के आयात (घ) स्कोमेट मदों के संबंध में ऑनलाइन

फाइलिंग प्रणाली में पीडीएफ/जेपीजी/जेपीईजी/जीआईएफ फार्मेट में तकनीकी विनिर्देशनों, साहित्यिक सामग्री आदि सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों को अपलोड करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। निर्यातकों को वास्तुकला रेखाचित्र, मशीन रेखाचित्र जिसे स्कैन और अपलोड करना कठिन हो सकता है, को छोड़कर आवेदन की हार्ड कापी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा। आवेदनों को ऑनलाइन भी प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा।

1.18 सनदी लेखाकार/कम्पनी सचिव/लागत लेखाकार द्वारा दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा

कागज रहित प्रक्रिया की ओर बढ़ने के उद्देश्य से सनदी लेखाकार/कम्पनी सचिव/लागत लेखाकार द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए इलेक्ट्रानिक प्रक्रिया विकसित की जा रही है। आरंभ में यह सुविधा अध्याय-3 के तहत भारत से निर्यात स्कीम के लिए तैयार की जाएगी। ऐसे दस्तावेजों जैसे एएनएफ 3ख, एएनएफ 3ग और एएनएफ 3घ में संलग्न अनुलग्नक जिन्हें वर्तमान मे इन हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, को इस प्रक्रिया से सरल बनाया जा सकता है। ऐसी सुविधा के तैयार होने के बाद निर्यातक डिजिटल रूप से अपलोड किए गए अनुलग्नक को अपने ऑनलाइन आवेदन से सम्बद्ध कर सकता है। अग्रिम प्राधिकार, डीएफआईए और ईपीसीजी जैसी अन्य स्कीमों से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए इन सुविधाओं का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा सकता है।

1.19 इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज (ईडीआई)

डीजीएफटी ने निर्यात सुविधा प्रदान करने और अच्छे अभिशासन के प्रयोजन हेतु सुदृढ़ ईडीआई प्रणाली लागू की है। डीजीएफटी के पास अन्य प्रशासनिक विभागों नामतः सीमाशुल्क, बैंक और ईपीसी के साथ स्थापित आयात और निर्यात प्राधिकारपत्रों सहित विभिन्न दस्तावेजीकरण संबंधी गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित ईडीआई संदेश आदान-प्रदान प्रणाली पहले से ही है। इससे सरकारी विभागों के साथ निर्यातकों और आयातकों के वास्तविक अंतरापृष्ठ में कमी आई है और सौदा लागत में कमी की दिशा में यह महत्वपूर्ण उपाय है। डीजीएफटी का प्रयास ईडीआई के कार्य क्षेत्र को बढ़ाना है जिससे कि भागीदार विभागों के साथ एकीकरण का उच्च स्तर हासिल किया जा सके।

1.20 सामुदायिक सहभागियों के साथ संदेश विनिमयता

संदेश विनिमयता हेतु सीमाशुल्क विभाग, बैंक, निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसी) डीजीएफटी के प्रमुख सामुदायिक सहभागी हैं। एक कुशल संदेश विनिमय प्रणाली विभिन्न सामुदायिक सहभागियों के साथ सुचारू रूप से कार्य करती है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

(क) सीमाशुल्क विभाग के साथ संदेश विनिमयता

(i) आयातक निर्यातक कोड सं.।

(ii) डीएफआईए, एए, ईपीसीजी हेतु प्राधिकार पत्र/स्क्रिप।

(iii) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए), निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) प्रोत्साहन स्क्रिपों हेतु पोतलदान बिल।

(ख) ईबिज (https://www.ebiz.gov.in) के साथ संदेश आदान-प्रदान

ई-आईईसी के लिए आवेदन

(ग) बैंकों के साथ संदेश आदान प्रदान

(i) आवेदन शुल्क

(ii) इलेक्ट्रानिक बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (ई-बीआरसी) आंकड़े।

(घ) ईपीसी के साथ संदेश विनिमयता

पंजीकरण व सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) आंकड़े

(ड.) जीएसटीएन और आरबीआई के साथ संदेश का आदान–प्रदान

1.21 तीसरा पक्ष एपीआई के विकास को बढ़ावा देना

विदेश व्यापार महानिदेशालय प्रयोक्ताओं को डीजीएफटी के साथ सम्पर्क करने के लिए विभिन्न विकल्पों की पेशकश करने हेतु अपनी प्रणाली के साथ एकीकरण हेतु तीसरा पक्ष साफ्टवेयर के विकास को बढ़ावा देगा।

1.22 आगामी ई-गवर्नेन्स की पहल

डीजीएफटी वर्तमान में निम्नलिखित ईडीआई पहलों पर कार्य कर रहा हैः

(i) सीमाशुल्क विभाग से डीजीएफटी तक प्रविष्टि बिलों (आयात ब्योरा) के प्रेषण के लिए संदेश का आदान-प्रदान करना।

(ii) निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाण पत्र को आनलाइन जारी करना।

(iii) सीआईएन और डीआईएन सूचना हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ संदेश का आदान-प्रदान करना।

(iv) पैन हेतु सीबीडीटी के साथ संदेश का आदान-प्रदान करना।

(v) ई-आईईसी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए खुला एपीआई

(vi) विदेश व्यापार नीति के लिए मोबाइल एप्लीकेशन

1.23 निर्यात खेप हेतु मुक्त रास्ता

केन्द्रीय/राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा निर्यात हेतु वस्तुओं की खेप को किसी कारण से रोका/विलंब नहीं किया जाएगा। किसी संदेह की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी निर्यातक से वचनबद्धता प्राप्त करके उस खेप को जारी कर सकता है।

1.24 निर्यात से संबंधित स्टॉक की जब्ती नहीं

किसी अभिकरण द्वारा कोई जब्ती नहीं की जाएगी जिससे विनिर्माण कार्यकलाप और निर्यात की सुपुर्दगी की निर्धारित अवधि अवरूद्ध हो। कुछ अपवाद स्वरूप मामलों में संबंधित अभिकरण गंभीर अनियमितता के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्टॉक को जब्त कर सकता है। तथापि, ऐसे जब्त सामान को 7 दिनों के अंदर छुड़ाया जा सकता है जब तक कि कोई अनियमितता साबित नहीं हो।

1.25 24X7 सीमाशुल्क निकासी

सीबीईसी ने सरलीकृत प्रविष्टि बिल और मुक्त पोत–लदान बिल के तहत निर्यातित फैक्टरी में भरे गए कंटेनर और माल हेतु वर्ष 2012 में 24X7 सीमा शुल्क निकासी की सुविधा लागू की है। इस समय यह सुविधा 19 समुद्री पत्तनों तथा 17 एयर कार्गो परिसरों में उपलब्ध है। 24X7 सीमा शुल्क निकासी की सुविधा अब 19 समुदी पत्तनों तथा 17 एयर कार्गो परिसरों में सभी प्रविष्टि बिलों (न केवल सरलीकृत प्रविष्टि बिलों) के लिए भी प्रदान की गई है। इसके अलावा 24X7 सीमा शुल्क पत्तनों और एयरपोर्टों पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए एमओटी शुल्क वसूलने की आवश्यकता नही है।

1.26 सीमाशुल्क कार्यालय में एकल खिड़की

भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने व्यापार को सुगम बनाना सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 01.04.2016 से स्विफ्ट (व्यापार सुगमीकरण हेतु एकल खिड़की इन्टरफेस) लागू किया है। स्विफ्ट के अंतर्गत आयातक केवल सीमा शुल्क विभाग के पास एक ही स्थान पर एकीकृत घोषणा इलेक्ट्रानिक रुप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्य विनियामक एजेंसियों (जैसे पशु संगरोध, पौधा संगरोध, औषध नियंत्रक, वस्त्र समिति आदि) से अपेक्षित अनुमति यदि कोई हों आयातक/निर्यातक द्वारा इन एजेंसियों से अलग से सम्पर्क किए बिना आनलाइन प्राप्त की जाती है। एकल खिड़की स्कीम के लाभ में निम्नलिखित शामिल है:

क. व्यापार करने में कम लागत;

ख. अधिक पारदर्शिता;

ग. कम पुनरावृत्ति और अनुपालन की कम लागत;

घ. जनशक्ति का अधिकतम उपयोग।

1.27 सीमाशुल्क का स्वयं आकलन

(क) वित्त अधिनियम, 2011 के तहत आयातकों अथवा निर्यातकों द्वारा सीमाशुल्क का स्वयं आकलन किया जाना प्रारंभ किया गया था। यह प्रणाली विश्वसनीयता पर आधारित है। इसका उद्देश्य आयात/निर्यात की गई वस्तुओं को शीघ्र निर्मुक्त कराना है। यह प्रणाली एक इलेक्ट्रानिक जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) के अनुसार प्रचालित होती है।

(ख) स्वमूल्यांकित प्रविष्टि बिल प्रस्तुत करने की तारीख को शुल्क/कर/उपकर भुगतान करने हेतु आयातक को प्राधिकृत करने के लिए वित्त अधिनियम, 2017 ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 47 में संशोधन किया है।

1.28 प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) कार्यक्रम

(क) डब्ल्यूसीओ के मानकों के सेफ (एसएएफई) ढ़ांचा (एफओएस) के आधार पर भारतीय सीमाशुल्क द्वारा निम्नलिखित लाभ लेने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल व्यवसाय को समर्थ बनाने के लिए 'प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) कार्यक्रम' विकसित किया गया हैः

(i) निर्यात स्थल से आयात तक सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला;

(ii) विदेशी आयातकों/निर्यातकों को आपूर्ति करने हेतु संविदा करते समय सुरक्षा मानकों का अनुपालन दर्शाने की क्षमता;

(iii) परस्पर मान्यता करार (एमआरए) साझेदार देशों में सीमा पर परिवर्द्धित मंजूरी की सुविधाएं;

(iv) सुरक्षा संबंधित गड़बड़ी के बाद कार्गो के परिचालन में न्यूनतम गतिरोध

(v) रखने के समय और संबंधित लागत में कमी तथा

(vi) सीमाशुल्क परामर्श/सहायता यदि व्यापार को उन देश के सीमाशुल्क के कार्यालयों के साथ अप्रत्याशित समस्या उत्पन्न होती है जिनके साथ भारत का एमआरए है।

(ख) अन्य सीमाशुल्क प्रशासनों द्वारा एईओ कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं जो एईओ स्तर धारकों को जांच समय में कमी, शीघ्र स्वीकृति तथा अन्य लाभ प्रदान करके सीमाशुल्क विभाग की ओर से तरजीह देता है। इस प्रकार एईओ कार्यक्रम से इन सीमाशुल्क विभाग के प्रशासकों में आपसी मान्यता समझौता (एमआरए) होने की आशा है। एमआरए से यह सुनिश्चित होगा कि हमारे निर्यात माल को विदेश में प्रविष्टि के समय सीमाशुल्क विभाग की विधिवत सुविधा प्रदान की जाए। आपूर्ति श्रृंखला प्राप्त करने के अलावा इसके लाभों में माल को रोकने के समय में तथा परिणामस्वरूप व्यापार की लागत में कमी लाना शामिल है। भारत के सीमाशुल्क विभाग ने संबंधित एईओ कार्यक्रमों को मान्यता देने के लिए हांगकांग के सीमाशुल्क विभाग के साथ आपसी मान्यता समझौते (एमआरए) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि व्यापार में पारस्परिक आधार पर लाभ प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सके। भारत का सीमा शुल्क विभाग भी अन्य देशों जैसे दक्षिण कोरिया, ताइवान, संयुक्त राज्य अमरीका इत्यादि के साथ भी एमआरए को अंतिम रूप देने हेतु कार्यरत है।

(ग) विश्वास आधारित अनुपालन की ओर एक अगले कदम के रुप में भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने नए/पुनर्निर्मित प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (एईओ) कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसमें उन फर्मों को अधिक सुविधा और स्व–प्रमाणन सहित विस्तृत लाभ प्रदान किए गए हैं जिन्होंने सीबीईसी के समक्ष आन्तरिक ठोस नियंत्रण प्रणाली और अनुपालन का प्रदर्शन किया है।

1.29 पोत लदान बिलों की पूर्व फाइलिंग की सुविधा

वास्तविक पोतलदान से पूर्व पोतलदान बिलों को प्रक्रियाबद्ध करने को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमाशुल्क विभाग द्वारा पोतलदान बिलों को पोतलदान से पूर्व ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा दी गई है। इसे हवाई पोतलदान और आईसीडी के लिए 7 दिन के अंदर तथा समुद्र के रास्ते पोतलदान हेतु 14 दिनों के अंदर फाइल करना होता है।

1.30 शुल्क वापसी हेतु निर्यात सामान्य घोषणा (ईजीएम) फाइल करने में विलंब को कम करना

ईजीएम को शीघ्र फाइल करने तथा ईजीएम में होने वाली त्रुटियों को शीघ्र ठीक करने को सुविधाजनक बनाने के लिए सीमाशुल्क विभाग के मुख्य आयुक्त द्वारा ईजीएम की मासिक निगरानी की जाती है ताकि इस संबंध में सुविधा में कोई विलंब न हो (अनुदेश सं. 603/01/2011-डीबीके दिनांक 31.07.2013)

1.31 विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के अंतर्गत जारी प्राधिकार पत्रों हेतु दी जाने वाली साझा बांड/एलयूटी की सुविधा

सीबीईसी परिपत्र 11(ए)/2011-सीमाशुल्क दिनांक 25.02.2011 के तहत अग्रिम प्राधिकार-पत्र (एए)/निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) हेतु सांझा बांड/एलयूटी के निष्पादन की वित्तीय वर्ष-वार सुविधा प्रदान की गई है जो सभी ईडीआई पत्तनों/स्थानों पर कारगर है।

1.32 विदेशो में प्राप्त सेवाओं पर सेवा कर से छूट (हटा दिया गया है।)

1.33 खराब होने वाले कृषि उत्पादों का निर्यात

सौदा और अनुरक्षण लागत को कम करने हेतु खराब हाने वाले कृषि उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एकल विन्डो प्रणाली प्रारंभ की गई है। प्रणाली में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए), नई दिल्ली द्वारा प्रत्यायित की जाने वाली बहुविध नोडल अभिकरणों को सृजित करना शामिल है। विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 1ग में अधिसूचित की गई है।

1.34 समय निर्गमन अध्ययन (टीआरएस)

सीमाशुल्क प्राधिकरण ने डब्ल्यूसीओ के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमुख सीमाशुल्क स्थलों पर छमाही आधार पर 'समय निर्गमन अध्ययन' (टीआरएस) करने का निर्णय लिया है। डब्ल्यूसीओ समय निर्गमन अध्ययन (टीआरएस) सीमाशुल्क के वास्तविक कार्यनिष्पादन को मापने का एक विशिष्ट साधन और पद्धति है। समय निर्गमन अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(i) अन्तर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में अवरोधों/या सीमाशुल्क निर्मुक्ति को प्रभावित करने वाले अवरोधों की पहचान करना।

(ii) आधाररेखा व्यापार सरलीकरण कार्यनिष्पादन पैमाना स्थापित करना।

1.35 निर्यात उत्कृष्टता के शहर (टीईई)

(क) उद्देश्यः निर्यात उत्पादन केन्द्रों का विकास एवं वृद्धि। कई शहर सक्रिय औद्योगिक समूह के रूप में उभरे हैं जो भारत के निर्यात में काफी अच्छा योगदान दे रहें हैं। इन औद्योगिक समूहों को उनकी संभावनाओं को बढ़ावा देने और मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने तथा नए बाजारों तक पहुँच बनाने के उद्देश्य से मान्यता प्रदान करना आवश्यक है।

(ख) निर्यात वृद्धि की संभावना के आधार पर 750 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक का माल उत्पादन करने वाले चुनिंदा शहरों को टीईई के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। तथापि, हथकरघा, हस्तकला, कृषि और मात्स्यिकी क्षेत्र में टीईई के लिए सीमा रेखा 150 करोड़ रूपए की होगी। ऐसे टीईई के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की जाएंगीः

(i) एमएआई स्कीम के तहत प्राथमिकता आधार पर विपणन, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकीय सेवाओं की निर्यात संवर्धन परियोजनाओं के लिए इकाइयों के मान्यता प्राप्त संघों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(ii) इन क्षेत्रों में सामान्य सेवा प्रदाता ईपीसीजी स्कीम के तहत प्राधिकार पत्र लिए पात्र होंगे।

(ग) अधिसूचित शहर (टीईई) परिशिष्ट एवं आयात-निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 1ख में सूचीबद्ध हैं।

1.36 व्यापार आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता

डीजीएफटी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन डीजीसीआई एंड एस एक आईएसओ प्रमाणित संगठन है तथा यह व्यापार से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराती है। यह व्यापार आंकड़ा प्रदाता है जो निर्यात और आयात व्यापार के लिए मार्गदर्शन और निर्देशन के स्रोत का कार्य करता है जिससे निर्यातकों और आयातकों को अपने व्यापार की कार्यनीति तैयार करने में सहायता प्राप्त होती है। डीजीसीआई एंड एस द्वारा विदेश

व्यापार आंकड़ों का प्रसारण (i) सीडी के रूप में मासिक और तिमाही प्रकाशन (ii) प्रयोक्ता के अनुरोध के अनुसार विदेश व्यापार डाटाबेस से आंकड़े प्राप्त करके किया जाता है। डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े उपलब्ध कराने हेतु एक मूल्य आधारित सूचना प्रणाली (पीआईएस) है जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों तथा संयुक्त राष्ट्र निकायों को पूर्णतया छोड़ा गया है। डीजीसीआई एवं एस की एक आंकड़ा नियंत्रण नीति है। इस नीति का उद्देश्य आयातकों और निर्यातकों के व्यावसायिक रूप से संवेदनशील व्यापार आंकड़ों की गोपनीयता को कायम रखना है। गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सौदा स्तर के आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। डीजीसीआई एंड एस व्यापार आंकड़ों को समग्र आधार पर व्यावसायिक मानदंडों के अनुसार न्यूनतम संभाव्य समय सीमा में उपलब्ध कराया जाएगा। डीजीसीआई एंड एस का विवरण www.dgciskol.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

1.37 सीमा शुल्क निकासी में प्रिन्टआउट में कमी लाना/समाप्त करना

व्यापार करना सरल करने और कागजमुक्त मंजूरी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीबीईसी ने जीएआर 7 प्रपत्र/टीआर 6 चालान, टीपी प्रतिलिपि, प्रविष्टि बिल की विनिमय नियंत्रण प्रतिलिपि और पोतलदान बिल तथा पोतलदान बिल की निर्यात संवर्धन प्रतिलिपि सहित अनेक दस्तावेजों की नैमित्तिक प्रिन्टआउट को समाप्त कर दिया है।

तथापि, पोतलदान बिल/प्रविष्टि बिल की ईपी प्रतिलिपि की हार्ड कापी केवल अनुरोध करने पर प्रदान की जाएगी।

1.38 राष्ट्रीय व्यापार सरलीकरण संबंधी समिति (एनसीटीएफ)

व्यापार सरलीकरण संबंधी डब्ल्यूटीओ समझौता पर अप्रैल, 2016 में भारत के अनुसमर्थन के परिणामस्वरुप राष्ट्रीय व्यापार सरलीकरण संबंधी समिति (एनसीटीएफ) का गठन किया गया है। समिति की स्थापना करना टीएफए की अनिवार्य, संस्थागत व्यवस्था का एक भाग है। व्यापार सरलीकरण संबंधी इस अन्तर मंत्रालयी निकाय की अध्यक्षता मंत्रिमंडल सचिव द्वारा की जाएगी। इसका सचिवालय केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, निर्यात संवर्धन महानिदेशालय नई दिल्ली में होगा। एनसीटीएफ स्थापित करने का परिभाषित उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर की निकाय की स्थापना करना है जो टीएफए प्रावधानों का घरेलू समन्वय और कार्यान्वयन का कार्य करेगा। यह व्यापार सरलीकरण के लिए समस्त भारत के लिए रोड मैप तैयार करने में प्रमुख भूमिका अदा करेगा। यह देशभर के विभिन्न व्यापार सरलीकरण परिदृश्यों के बीच सामन्जस्य स्थापित करने का कार्य करेगा तथा टीएफए के बारे में सभी हितधारकों के सुग्राहीकरण के लिए आउटरीच कार्यक्रमों पर भी बल प्रदान करेगा।

1.39 ईमेल की पहल

सीबीईसी ने आयात मंजूरियों के सभी महत्वपूर्ण चरणों से संबंधित सूचना के लिए आयातकों के लिए ई–मेल अधिसूचना की सेवा आरंभ की है।

1.40 आस्थगित भुगतान की सुविधा

व्यापार सरलीकरण के उपाय के रुप में सीबीईसी ने सीमा शुल्क के आस्थगित भुगतान की सुविधा लागू की है। इसके अलावा आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान नियमावली, 2016 अधिसूचित की गई है और यह 16.11.2016 से लागू हो गई है। एईओ कार्यक्रम (श्रेणी–2) और (श्रेणी–3) के अंतर्गत प्रमाणित आयातकों को इन नियमों का लाभ उठाने के लिए अधिसूचित किया गया है।

अध्याय - 2

आयात एवं निर्यात से संबंधित सामान्य प्रावधान

2.00 उद्देश्य

माल एवं सेवाओं के आयात एवं निर्यात को शासित करने वाले सामान्य प्रावधानों की व्याख्या इस अध्याय में दी गई है।

2.01 आयात एवं निर्यात- 'मुक्त' जब तक कि विनियमित न किया जाए

(क) निर्यात एवं आयात मुक्त होंगे सिवाए उन मामलों में जब उन्हें 'प्रतिबंध' 'रोक' अथवा 'राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) के जरिए अनन्य व्यापार' के माध्यम से विनियमित किया जाए जैसा कि निर्यात एवं आयात का भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित तंत्र) [आईटीसी (एचएस)] में निर्धारित किया गया है। 'प्रतिबंधित' 'रोक लगाई गई' और 'एसटीई' मदों की सूची http://dgft.gov.in के डाउनलोड्स पर क्लिक कर देखी जा सकती है।

(ख) इसके अतिरिक्त, कुछ ऐसी मदें हैं जो आयात/निर्यात हेतु 'मुक्त' हैं परन्तु अन्य अधिनियमों अथवा वर्तमान मे लागू विधि में नियत शर्तों के अधीन हैं।

2.02 निर्यात एवं आयात का भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुमेलित प्रणाली) [आईटीसी (एचएस)]

(क) आईटीसी(एचएस) निर्यात/आयात हेतु सभी पण्य/माल के लिए कोडों का संकलन है। माल को उसके समूह अथवा उप-समूह के आधार पर 2/4/6/8 अंकों में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) आईटीसी(एचएस) को विश्व सीमाशुल्क संगठन (http://www.wcoomd.org) द्वारा देख-रेख किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय सुमेलित तंत्र माल नाम-पद्धति के साथ 6 अंकीय स्तर पर संरेख किया गया है। तथापि, भारत माल के राष्ट्रीय सुमेलित तंत्र को 8 अंकीय स्तर पर बनाए रखता है जिसे http://dgft.gov.in 'डाउनलोड्स' को क्लिक कर देखा जा सकता है।

(ग) सभी माल के लिए आयात/निर्यात नीतियाँ आईटीसी(एचएस) की प्रत्येक मद के सामने दर्शाई गई हैं। आईटीसी(एचएस) की अनुसूची-1 में आयात नीति व्यवस्था निर्धारित की गई है जबकि आईटीसी(एचएस) की अनुसूची-2 में निर्यात नीति व्यवस्था का ब्यौरा दिया गया है।

(घ) सिवाए उस मामले के जहाँ यह स्पष्ट रुप से निर्दिष्ट हो, आईटीसी(एचएस) की अनुसूची-1, आयात नीति नए माल के लिए है न कि पुराने माल के लिए। पुराने माल के लिए आयात नीति व्यवस्था इस विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.31 मे दी गई है।

2.03 स्वदेशी कानूनों के साथ आयात का अनुपालन

(क) स्वदेशी उत्पादित माल पर लागू स्वदेशी कानून/नियम/आदेश/विनियम/तकनीकी विनिर्देशन/पर्यावरण/सुरक्षा और स्वास्थ्य मानदण्ड यथा आवश्यक परिवर्तन सहित आयात पर लागू होंगे, यदि इन्हें विशिष्ट रुप से छूट नहीं दी गई हो ।

(ख) तथापि, निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में उपयोग/खपत किए जाने वाले माल, डीजीएफटी द्वारा यथाअधिसूचित, को घरेलू मानकों/गुणवत्ता विनिर्देशों से छूट दी जा सकती है।

2.04 प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करने हेतु प्राधिकार

महानिदेशक, विदेश व्यापार, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बने नियमों और आदेशों तथा इस विदेश व्यापार नीति को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी आयातक अथवा निर्यातक या अन्य लाइसेंसिंग/क्षेत्रीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपनाने हेतु प्रकिया निर्धारित कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रियाएं अथवा संशोधन, यदि कोई हो, सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रकाशित होगी ।

आयातक निर्यातक कोड/ई–आईईसी

2.05 आयातक निर्यातक कोड (आईईसी)

(I) आईईसी किसी व्यक्ति को आवंटित की जाने वाली 10 अक्षर–अंकीय संख्या है जो किसी निर्यात/आयात कार्यकलाप आरंभ करने हेतु अनिवार्य होता है। किसी कम्पनी (फर्म/कम्पनी/एलएलपी आदि) की विशिष्ट पहचान बनाए रखने के उद्देश्य से, जीएसटी के लागू/कार्यान्वित होने के परिणास्वरुप आईईसी पैन के समान होगा और आवेदन के आधार पर डीजीएफटी द्वारा अलग से जारी किया जाएगा।

(क) आईईसी प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र लागू शुल्क के साथ एएनएफ–2क में आनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है तथा डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ख) जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा ई-आईईसी अनुमोदित कर दिया जाता है तो आवेदक के ई-मेल के जरिए यह सूचना दी जाती है कि डीजीएफटी वेबसाइट पर कम्प्यूटर सृजित ई-आईईसी उपलब्ध है। ''ऑनलाइन आईईसी आवेदन'' वेबपेज में अपेक्षित ब्यौरे भरकर और प्रस्तुत करने के पश्चात् ''आवेदन स्थिति'' पर क्लिक कर आवेदक अपना ई-आईईसी देख सकता है और प्रिंट ले सकता है।

(ग) आवेदक आईईसी आवेदन सहित निम्नलिखित ब्यौरों/दस्तावेजों (स्कैन की गई प्रतिलिपि को प्रस्तुत/अपलोड किया जाना है) के साथ आनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(i) हस्ताक्षरकर्ता आवेदक का डिजिटल फोटोग्राफ;

(ii) उस व्यवसाय कम्पनी के पैन कार्ड की प्रतिलिपि जिनके नाम आयात/निर्यात किया जाएगा (स्वामित्व वाले फर्मों के मामले में आवेदक स्वयं)

(iii) रद्द किया हुआ चेक जिसमें फर्म का पहले से ही प्रिन्टेड नाम हो या निर्धारित प्रपत्र एएनएफ–2क(झ) में बैंक प्रमाणपत्र।

(घ) आईईसी में संशोधन के लिए आवेदक डिजिटल हस्ताक्षर (वर्ग–ii और वर्ग iii) के द्वारा देय फीस का भुगतान करके और मांगे गए परिवर्तनों के अनुरुप अपेक्षित दस्तावेज अपलोड करके आनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

(ड.) ई-आईईसी हेतु आवेदन करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश <http://dgft.gov.in/exim/2000/iec anf/iecanf.htm>. पर उपलब्ध है।

(II) आईईसी के बिना कोई निर्यात/आयात नहीं

(i) जब तक विशेष छूट नहीं दी जाती, किसी भी व्यक्ति द्वारा आयातक निर्यातक कोड नम्बर (आईईसी) के बिना किसी माल का निर्यात या आयात नहीं किया जायेगा।

(ii) छूट प्राप्त श्रेणियाँ और तदनुरुपी स्थायी आई ई सी संख्या प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.07 में दी गई है ।

2.06 भारत से/में माल के निर्यात/आयात हेतु अनिवार्य दस्तावेज

(क) भारत से माल के निर्यात हेतु अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेज।

1. लदान का बिल/हवाई मार्ग का बिल/लॉरी रसीद/रेलवे रसीद/डाक रसीद
2. वाणिज्यिक बीजक सह पैकिंग सूची*
3. पोत लदान बिल/निर्यात बिल/निर्यात का डाक बिल

(ख) **भारत में माल के आयात हेतु अपेक्षित अनिवार्य दस्तावेज।**

1. लदान का बिल/हवाई मार्ग का बिल/लॉरी रसीद/रेलवे रसीद/डाक रसीद सीएन–22 या सीएन–23 फार्म में जैसा भी मामला हो,
2. वाणिज्यिक बीजक सह पैकिंग सूची*
3. प्रविष्टि बिल

[टिप्पणीः *(i) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जारी सीबीईसी परिपत्र के अनुसार (ii) पृथक वाणिज्यिक बीजक और पैकिंग सूची भी स्वीकार किए जाएंगे।]

(ग) विशिष्ट माल अथवा माल की श्रेणी, के जो किसी प्रतिबंध/नीतिगत शर्तों अथवा अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा किसी संविधि के तहत उत्पाद विशिष्ट अनुपालनों के अधीन

हों, के निर्यात अथवा आयात के लिए संबंधित प्राधिकारी निर्यात अथवा आयात के प्रयोजनों के अतिरिक्त दस्तावेज अधिसूचित कर सकता है।

(घ) निर्यात अथवा आयात के विशिष्ट मामलों में संबंधित विनियामक प्राधिकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अथवा लिखित में अतिरिक्त दस्तावेज अथवा जानकारी, विधिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जो आवश्यक हो, की माँग कर सकता है।

(ड.) उपर्युक्त शर्तें 1 अप्रैल, 2015 से लागू होंगी।

2.07 प्रतिबंध के सिद्धांत

विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित हेतु आवश्यक निर्यात और आयात संबंधी प्रतिबंध लगाया जा सकता है :-

(क) सार्वजनिक आचरण का संरक्षण ।

(ख) मानव, जानवर अथवा पादप जीवन अथवा स्वास्थ्य का संरक्षण।

(ग) पेटेंट, ट्रेडमार्क और कापीराइट का संरक्षण और भ्रामक कृत्यों की रोकथाम ।

(घ) कैदी श्रमिकों के प्रयोग की रोकथाम ।

(ड.) कलात्मक, ऐतिहासिक अथवा पुरातत्व संबंधी मूल्य की राष्ट्रीय धरोहरों का संरक्षण।

(च) क्षयशील प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण ।

(छ) विखंडनीय सामग्री अथवा जिससे वह प्राप्त की गई है, के व्यापार का संरक्षण; और

(ज) हथियारों, गोला-बारुद और युद्ध के साजो-सामान के व्यापार की रोकथाम।

(झ) सोना या चांदी के आयात या निर्यात से संबंधित

2.08 *प्रतिबंधित माल/सेवाओं का निर्यात/आयात*

कोई भी माल/सेवा जिसका निर्यात अथवा आयात प्रतिबंधित है, का इस संबंध में जारी किए गए प्राधिकार पत्र/अनुमति के अनुसार या अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही निर्यात अथवा आयात किया जा सकेगा ।

2.09 स्कोमेट मदों का निर्यात

विशेष रसायनों, जीवों, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों (स्कोमेट) का निर्यात जैसा कि निर्यात एवं आयात मदों के आईटीसी(एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-3 में दर्शाया गया है, निर्यात प्राधिकारों के विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया पुस्तक में अभिशासित करने वाले अन्य प्रावधानों के अलावा (i) समय-समय पर यथासंशोधित एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम, 1992 का अध्याय IVक (ii) निर्यात एवं

आयात मदों के आईटीसी(एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 की सारणी क की क्रम सं0 4 और 5 और परिशिष्ट-3 (iii) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.16, पैरा 2.17, पैरा 2.18 तथा (IV) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.73-2.82 के विशिष्ट प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा।

2.10 वास्तविक प्रयोक्ता शर्त

जिन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध नहीं है, उनका आयात किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है । तथापि, यदि इनके आयात के लिए प्राधिकार पत्र की जरुरत हो, तो केवल वास्तविक प्रयोक्ता ही ऐसे माल का आयात कर सकता है जब तक कि महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता शर्त विशेष रुप से हटा न दी गई हो।

2.11 प्राधिकार पत्र की शर्तें

प्रत्येक प्राधिकार पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी अन्य शर्तें जो विनिर्दिष्ट की जाए, के अलावा निम्नलिखित में से सभी या कुछ नियम एवं शर्तें (पैरा जिसके तहत प्राधिकार पत्र जारी किया गया है, के अनुसार यथा लागू) शामिल होंगीः

(क) माल का विवरण, मात्रा एवं मूल्य;

(ख) वास्तविक प्रयोक्ता शर्त; (अध्याय 9 में यथापरिभाषित)

(ग) निर्यात दायित्व;

(घ) प्राप्त किया जाने वाला न्यूनतम मूल्य संवर्धन; और

(ड.) न्यूनतम निर्यात/आयात मूल्य

(च) सीमाशुल्क प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास बैंक गारंटी/विधिक वचन/बॉण्ड (जैसा कि एफटीपी के पैरा 2.35 में दिया गया है)।

(छ) प्रक्रिया पुस्तक में यथा विनिर्दिष्ट आयात/निर्यात की वैधता की अवधि।

2.12 आवेदन शुल्क

आईईसी/प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/स्क्रिप के लिए आवेदन करते समय आवेदन शुल्क जमा करना आवश्यक है जैसा कि परिशिष्टों और आयात निर्यात फार्मों के परिशिष्ट 2ट में दर्शाया गया है। फीस का भुगतान इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी) तंत्र या क्रेडिट/डेबिट कार्डों के द्वारा आनलाइन किया जाना चाहिए यदि अन्यथा कोई अन्य प्रावधान न हो।

2.13 प्राधिकार पत्र के अधीन सीमाशुल्क विभाग से माल की निकासी

अग्रिम में पहले ही आयातित/भेजा गया/आया हुआ माल परन्तु जिसकी निकासी सीमाशुल्क विभाग द्वारा नहीं की गई है, की निकासी बाद में निर्गमित प्राधिकार पत्र से भी की जा सकती है। तथापि, अग्रिम में पहले से आयातित/भेजे गए/आए हुए ऐसे माल को सर्वप्रथम गोदाम में माल रखने हेतु प्रविष्टि बिल के लिए माल को गोदाम में रखा जाता है और उसके बाद जारी प्राधिकार पत्र के लिए घरेलू खपत हेतु मंजूर किया जाता है। तथापि, यह सुविधा ''प्रतिबंधित'' वस्तुओं अथवा एसटीई के जरिए व्यापार की जाने वाली वस्तुओं के लिए उपलब्ध नहीं है।

2.14 *प्राधिकार पत्र की प्राप्ति अधिकार नहीं है*

कोई भी व्यक्ति अधिकार से प्राधिकार पत्र का दावा नहीं कर सकता है तथा महानिदेशक, विदेश व्यापार या क्षेत्रीय प्राधिकारी को विदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बने नियमों और विदेश व्यापार नीति के अनुसार प्राधिकार पत्र देने या नवीकरण करने से इंकार करने का अधिकार होगा ।

2.15 दंडात्मक कार्रवाई और निषिद्ध कम्पनी सूची (डीईएल) में किसी कम्पनी को रखना

(क) यदि कोई प्राधिकार पत्र धारक प्राधिकार पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करता है अथवा निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है अथवा राजस्व विभाग और/अथवा डीजीएफटी द्वारा जारी माँग सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपेक्षित राशि जमा करने में असफल रहता है, तो वह विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों और देशों, विदेश व्यापार नीति तथा उस समय लागू किसी भी कानून के अनुसार कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होगा ।

(ख) नैतिक मानकों का स्तर उठाने के उद्देश्य से और व्यापार करते हुए सुविधा हेतु डीजीएफटी ने विभिन्न स्कीमों के तहत स्व-प्रमाणन प्रणाली की व्यवस्था की है। ऐसे मामलों में आवेदकों को स्व-प्रमाणन की प्रक्रिया में जानकारी/विवरण भरने समय पर्याप्त ध्यान और सावधानी बरतनी है। बाद में किसी जानकारी/विवरण के असत्य/गलत पाए जाने पर किसी अन्य अधिनियम/आदेश के तहत दंडात्मक कार्रवाई के अलावा एफटीडीआर अधिनियम,1992 और तत्संबंधी नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(ग) किसी फर्म को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विदेश व्यापार (विनियमन) नियमावली, 1993 के नियमन के प्रावधान के तहत निषिद्ध कम्पनी सूची (डीईएल) के अंतर्गत रखा जा सकता है। लिखित में कारणों को दर्ज किए जाने हेतु ऐसा आदेश जारी करने पर किसी फर्म को वित्तीय अथवा राजकोषीय लाभ प्रदान करने वाले किसी लाइसेंस, प्रमाणपत्र, स्क्रिप अथवा किसी लिखत प्रदान किए जाने अथवा नवीकरण से इन्कार किया जा सकता है। यदि किसी फर्म को डीईएल के तहत रख दिया जाता है तो सभी नए लाइसेंस, स्क्रिप,प्रमाण-पत्र, लिखत आदि को मुद्रण/निर्गम/नवीकरण से रोक दिया जाएगा।

(घ) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा लिखित में कारणों को दर्ज करते हुए डीईएल आदेशों को स्थगित किया जा सकता है। डीईएल आदेश को एक बार में 60 दिनों से अधिक की अवधि के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता।

(ड.) यदि फर्म निर्यात दायित्व पूरा कर लेती है/दंड राशि का भुगतान कर देती है/क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी माँग सूचना की आवश्यकता की पूर्ति कर देती है/ क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित दस्तावेज जमा कर दिया जाता है तो संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा लिखित में कारणों को दर्ज करते हुए, डीईएल से फर्म के नाम को हटाया जा सकता है।

प्रतिबंध (देश, संगठन, समूह, व्यक्ति आदि और उत्पाद विशिष्ट)

2.16 *इराक से/को 'हथियारों और संबंधित सामान' के आयात और निर्यात पर निषेध*

'हथियारों और संबंधित सामान' के लिए नीति जो कि आईटीसी (एचएस) के अध्याय 93 में दी गई है, के बावजूद इराक से/ को हथियारों और संबंधित सामान का आयात/निर्यात 'निषिद्ध' है। तथापि, इराक सरकार को हथियार और संबंधित सामग्री के निर्यात की अनुमति रक्षा उत्पादन विभाग से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करने पर प्रदान की जाएगी।

2.16कः इराक और लेवंट में इस्लामिक स्टेट [आईएसआईएल देश के रुप में भी ज्ञात], अल नुसरा फ्रंट [एएनएफ] और अल कायदा से जुड़े व्यक्ति, समूह, उपक्रम तथा फर्म के साथ व्यापार पर निषेध

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संकल्प सं० 2199 [2015] (संकल्प का पूर्ण पाठ http:www.un.org/press/en/2015/sc11775.doc.htm पर उपलब्ध है) के अनुपालन में, इराक और लेवंट में इस्लामिक स्टेट [आईएसआईएल], अल नुसरा फ्रंट [एएनएफ] और अल कायदा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से जुडे. अन्य व्याक्ति, समूह, उपक्रम तथा फर्म के साथ सांस्कृतिक (प्राचीन कालीन वस्तुओं सहित), वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व की वस्तुओं के अलावा तेल तथा परिशोधित तेल उत्पाद, माडयूलर रिफाइनरी और संबंधित सामग्रियों का व्यापार निषिद्ध है।

2.17 *कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य से/को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात पर निषेध*

कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) से/को, मदों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यात और आयात चाहे कोरिया जनतांत्रिक गणराज्य में उत्पादित हो या न हो, का विवरण विदेश व्यापार नीति के परिशिष्ट–I में दिया गया हैः

2.18 *ईरान से/को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात/निर्यात*

(क) ईरान को निम्नलिखित दस्तावेजों में उल्लिखित किसी मद सामग्री, उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष निर्यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2231(2015) के अनुलग्नक–ख में उल्लिखित प्रावधानों के अधीन अनुमत होगाः

(i) आईएनएफसीआईआरसी/254/आरईवी9/भाग-1 में और आईएनएफसी आईआरसी/254/आरईवी.7/भाग-2 (आईएईए दस्तावेज) में सूचीबद्ध मदें जैसा कि आईएईए द्वारा समय–समय पर अद्यतनकृत किया गया हो।

(ii)) एस/2006/263(संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दस्तावेज) में सूचीबद्ध मदें जैसा कि सुरक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर अद्यतन किया गया है।

(ख) उपर्युक्त संदर्भित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी संकल्प/ दस्तावेज और आईएईए दस्तावेज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वेबसाइट (www.un.org/Docs/sc) और आईएईए की वेबसाइट (www.iaea.org) पर उपलब्ध है।

2.19 सोमालिया से चारकोल के आयात पर रोक

सोमालिया से चारकोल का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात निषिद्ध है, चाहे ऐसे चारकोल की उत्पत्ति सोमालिया [संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2036 (2012)] में हुई हो या नहीं हुई हो । चारकोल के आयातक सीमा-शुल्क कार्यालय को यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि खेप की उत्पत्ति सोमालिया में नहीं हुई है ।

राज्य व्यापार उद्यमों के द्वारा आयात/निर्यातः

2.20 राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई)

(क) विपणन बोर्डों सहित राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई) सरकारी और गैर-सरकारी उद्यम हैं जो निर्यात और/या आयात संबंधी माल का व्यापार करते हैं। कोई माल, जिसके आयात अथवा निर्यात के लिए राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) को विशेषाधिकार दिया गया हो अथवा जिनके माध्यम से विशेष रुप से विनियमित किया गया हो, राज्य व्यापार उद्यम (उद्यमों) द्वारा आई टी सी(एच एस) में यथा-विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार उस माल का आयात या निर्यात किया जा सकता है । विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित राज्य व्यापार उद्यमों की सूची परिशिष्ट-2 में है।

(ख) ऐसा राज्य व्यापार उद्यम केवल वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार जिसमें कीमत, गुणवता, उपलब्धता, विपणनता, परिवहन तथा क्रय-विक्रय की अन्य शर्तें शामिल हैं, ऐसी कोई अन्य खरीद या विक्रय कर सकता है जिसमें आयात और निर्यात शामिल हैं, ये उद्यम किसी भेदभाव के बिना कार्य करेंगे और ऐसी खरीद और विक्रय में भाग लेने हेतु सक्षम होने के लिए प्रचलित व्यापार प्रथा के अनुसार प्राप्त सुविधाओं वाले देशों के उद्यमों के साथ ताल-मेल बिठाएंगे ।

(ग) तथापि, विदेश व्यापार महानिदेशक, इनमें से किसी माल, एसटीई के जरिए अनन्य व्यापार हेतु अधिसूचित, के आयात या निर्यात के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकार पत्र प्रदान कर सकता है ।

विशिष्ट देशों के साथ व्यापारः

2.21 पड़ोसी देशों के साथ व्यापार

महानिदेशक, विदेश व्यापार आवश्यकता पड़ने पर ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा ऐसी स्कीम बना सकते हैं जो पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए अपेक्षित हों।

2.22 माल लाने-ले-जाने की सुविधा

भारत से अथवा भारत के पड़ोसी देशों को माल भेजने या वहां से लाने की सुविधा भारत और इन देशों के बीच हुई द्विपक्षीय संधियों के अनुसार विनियमित होंगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन होगी ।

2.23 ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रुस के साथ व्यापार

ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रुस के साथ व्यापार के मामले में, महानिदेशक, विदेश व्यापार आवश्यकता अनुसार ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा स्कीमें बना सकते हैं जो अपेक्षित हों तथा विदेश व्यापार नीति में निहित प्रावधान, जो इन अनुदेशों अथवा स्कीमों के अनुरुप नहीं है, लागू नहीं होगा ।

माल की विशिष्ट श्रेणियों का आयात

2.24 नमूनों का आयात

नमूनों का आयात प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.65 द्वारा शासित होगा।

2.25 उपहारों का आयात

आईटीसी(एच एस) के अधीन जहां ऐसा माल अन्यथा मुक्त रुप से आयात किया जा सकता हो, उपहारों का आयात मुक्त होगा। अन्य मामलों में महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा जारी किसी प्राधिकार पत्र के मद्दे आयातों की अनुमति होगी ।

2.26 यात्री असबाब

(क) वास्तविक घरेलू वस्तुओं और निजी प्रयोग की वस्तुओं को यात्री के निजी सामान की सीमा के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित असबाब नियमों की शर्तों के अनुसार आयात किया जा सकता है ।

(ख) ऐसी मदों के नमूने जो अन्यथा विदेश व्यापार नीति के अधीन मुक्त रुप से आयात योग्य हैं, का भी प्राधिकार पत्र के बिना यात्री असबाब के रुप में आयात किया जा सकता है ।

(ग) विदेश से आने वाले निर्यातकों को भी, प्राधिकार पत्र के बिना, अपने यात्री असबाब के रुप में, निर्यात के लिए आवश्यक ड्राइंग, पैटर्न्स, लेबल्स, प्राइस टैग्स, बटन्स, बैल्टस, ट्रिमिंग और एम्बेलिशमेंटस का आयात करने की अनुमति है।

2.27 विदेश में मरम्मत की गई वस्तुओं का पुनः आयात

आई टी सी(एच एस) के तहत प्रतिबंधित को छोड़कर पूंजीगत माल, उपकरण, संघटक, पुर्जे और अनुषंगी, चाहे आयातित हो या स्वदेशी, उनकी मरम्मत, परीक्षण, टेक्नोलौजी में गुणवत्ता सुधार अथवा उन्नयन अथवा मानकीकरण के लिए किसी प्राधिकार पत्र के बिना विदेश भेजा जा सकता है और उनका पुनः आयात किया जा सकता है ।

2.28 विदेश में स्थित परियोजनाओं में प्रयुक्त सामान का आयात

विदेश में परियोजनाएँ पूरी हो जाने के बाद, परियोजना ठेकेदार पूंजीगत माल सहित प्रयुक्त माल का बिना किसी प्राधिकार पत्र के आयात कर सकता है, बशर्ते कि इनका कम से कम एक वर्ष तक इस्तेमाल किया गया हो ।

2.29 प्रोटो टाइप्स का आयात

वास्तविक प्रयोक्ता (औद्योगिक) को नई/पुराने प्रोटोटाईप्स/पुराने नमूनों का आयात शुल्क के भुगतान पर बिना प्राधिकार पत्र के किया जा सकता है, जो उत्पादन कार्य में लगें है या उनके पास औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र है कि वे उत्पाद विकास या अनुसंधान के लिए जैसा भी मामला हो, प्रोटो टाइप की जरुरत है, वे सीमाशुल्क प्राधिकारियों की संतुष्टि के अनुरुप स्व घोषणा करके आयात कर सकते हैं।

2.30 कूरियर सेवा/डाक के माध्यम से आयात

सीमा भाुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जारी अधिसूचना (ओं) के अनुसार पंजीकृत कूरियर सेवा या डाक के माध्यम से आयात अनुमत है। तथापि, ऐसी मदों का आयात विदेश व्यापार नीति/ आईटीसी(एचएस), 2017 के अनुसार विनियमित होगी।

पुराने माल के लिए आयात नीति

2.31 पुरानी वस्तुएं

क्रम सं0	पुराने माल की श्रेणियाँ	आयात नीति	शर्तें, यदि कोई हो
I	पुराने पूंजीगत माल		
(क)	(i) निजी कम्प्यूटर्स/लैपटॉप्स उनके नवीकृत/दुरुस्त पूर्जे सहित (ii) फोटोकॉपियर मशीनें/डिजिटल बहुकार्य प्रिन्ट और कापिंग मशीनें (iii) एयर कंडीशनर्स (iv) डीजल जेनरेटिंग सेट	प्रतिबंधित	प्राधिकार पत्र के तहत आयात की अनुमति
(ख)	पूंजीगत माल के नवीकृत/दुरुस्त पुर्जे	मुक्त	सनदी अभियन्ता के इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन कि ऐसे पुर्जों का मूल पुर्जे के न्यूनतम 80% का शेष जीवनकाल है।
(ग)	अन्य सभी पुराने पूंजीगत माल (उपर्युक्त (क) और (ख) को छोड़कर)	मुक्त	
II	पूंजीगत माल को छोड़कर पुराने माल	प्रतिबंधित	प्राधिकार पत्र के तहत आयात की अनुमति।

धात्विक छीजन और स्क्रैप की आयात नीतिः

2.32 धात्विक छीजन और स्क्रैप का आयात

(क) किसी प्रकार के धात्विक छीजन, स्क्रैप का आयात इस शर्त के अधीन होगा कि उसमें खतरनाक, जहरीला छीजन, रेडियोएक्टिव दूषित वेस्ट/स्क्रैप जिसमें रेडियोएक्टिव सामान, किसी प्रकार के हथियार, गोला बारुद, माइन्स, गोलियों के खोल जिंदा या प्रयुक्त हुआ बारुद या किसी भी प्रकार की अन्य विस्फोटक सामग्री चाहे वह प्रयोग की गई हो या नहीं, शामिल नहीं होगा जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.54 में उल्लेख है।

(ख) धात्विक छीजन और स्क्रैप जिसका मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है, और टुकड़े रूप में; बिना टुकड़े और सम्पीड़ित तथा ढीले रूप में आयात की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.54 मे निर्धारित किए गए हैं।

2.33 एसईजेड से स्क्रैप/अपशिष्ट को हटाना

एसईजेड यूनिट/डेवलपर/को–डेवलपर को देय सीमा शुल्क का भुगतान कर किसी प्राधिकार पत्र के बिना विनिर्माण अथवा प्रसंस्करण कार्यकलाप के दौरान सृजित किसी भी प्रकार के धात्विक अपशिष्ट और स्क्रैप सहित किसी भी अपशिष्ट या स्क्रैप को डीटीए में निपटान करने हेतु अनुमत किया जा सकता है।

आयात से संबंधित अन्य प्रावधान

2.34 *पट्टा वित्त प्रबन्धन के अधीन आयात*

पट्टा वित्त प्रबन्ध के अधीन पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु क्षेत्रीय प्राधिकारी की विशिष्ट अनुमति आवश्यक नहीं है ।

2.35 विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी का निष्पादन

(क) जहाँ कहीं शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है या जहाँ कहीं अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया है, वहाँ आयातक को वस्तुओं की निकासी से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास निर्धारित तरीके से विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी/बंधपत्र का निष्पादन करना होगा।

(ख) स्वदेशी प्राप्ति के मामले में, प्राधिकार-पत्र धारक को प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय-2 में यथानिर्दिष्ट स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं/ नामजद अधिकरण से माल प्राप्त करने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता/बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.36 आयात के लिए निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदाम

(क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) में निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदाम बनाए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति निषिद्ध मदों, हथियारों और गोला-बारुद, खतरनाक अपशिष्टों और रसायनों को छोड़कर किसी भी वस्तु का आयात कर सकता है तथा उन्हें ऐसे बांडेड गोदामों में रख सकता है।

(ख) विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार और जहां कहीं जरुरी हो, प्राधिकार-पत्र के मद्दे, घरेलू खपत के लिए ऐसी वस्तुओं की निकासी की जा सकती है । ऐसे माल पर ऐसी वस्तुओं की, निकासी के समय यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान करना होगा ।

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार गोदाम में रखे गए माल की निकासी की जाएगी।

2.37 खालों, चमड़ों और अर्ध निर्मित वस्तुओं हेतु विशेष प्रावधान

डी टी ए बिक्री के प्रयोजन हेतु पब्लिक बांडेड गोदाम में खालों, चमड़ों और अर्ध निर्मित चमड़े का आयात किया जा सकता है तथा उनकी अनबिकी मदों को निर्यात शुल्क की लागू दर का भुगतान करने पर ऐसे बांडेड गोदाम से पुनः निर्यात किया जा सकता है ।

2.38 महासागर में बिक्री

भारत में आयात हेतु खुले समुद्र में वस्तुओं की बिक्री विदेश व्यापार नीति अथवा उस समय प्रभावी किसी अन्य नियम के तहत की जा सकती है ।

निर्यातः

2.39 मुक्त निर्यात

जब तक ये निर्यात आई.टी.सी(एच एस) या विदेश व्यापार नीति के किसी अन्य प्रावधान या तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा विनियमित न होते हों तो सभी वस्तुओं का निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकता हैं । तथापि, महानिदेशक विदेश व्यापार एक सार्वजनिक सूचना के जरिए उन शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं जिनके अनुसार आई टी सी (एच एस) में शामिल न की गई किसी वस्तु का प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है ।

2.40 हटा दिया गया है।

2.41 सहायक विनिर्माताओं हेतु लाभ

सहायक विनिर्माता को प्राप्त होने वाले किसी लाभ (विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.58 में यथा परिभाषित) को प्राप्त करने के लिए सहायक विनिर्माता तथा व्यापारी निर्यातक दोनों के नामों का संबंधित निर्यात दस्तावेजों विशेषतः एआरई-1/एआरई3/पोत लदान बिल/निर्यात बिल/एयरवे बिल पर उल्लेख किया जाना चाहिए।

2.42 तीसरा पक्ष निर्यात

अध्याय 9 में यथा परिभाषित तीसरे पक्ष द्वारा निर्यात (मान्य निर्यात को छोड़कर) की अनुमति विदेश व्यापार नीति के तहत होगी। ऐसे मामलों में निर्यात दस्तावेजों जैसे पोत लदान बिलों पर विनिर्माण निर्यातक/विनिर्माता तथा तृतीय पक्ष निर्यातक/निर्यातकों दोनों के नामों का उल्लेख किया जाएगा। बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र (बीआरसी), निर्यात आदेश और बीजक तृतीय पक्ष निर्यातक के नाम में होने चाहिए।

विशिष्ट श्रेणियों का निर्यातः

2.43 नमूनों का निर्यात

नमूनों और निःशुल्क वस्तुओं का निर्यात प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.66 में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा शासित होगा ।

2.44 उपहारों का निर्यात

किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष में, खाद्य मदों सहित, 5,00,000/- रुपये तक के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात उपहार स्वरुप किया जा सकेगा । तथापि, निर्यात की आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित सूची की मदों को उपहार के तौर पर बिना प्राधिकार-पत्र के निर्यात नहीं किया जा सकता ।

2.45 यात्री असबाब का निर्यात

(क) वास्तविक निजी समान को या तो यात्रियों के साथ ही अथवा यदि साथ न ले जाना हो तो भारत से यात्री के प्रस्थान के पहले या बाद में एक वर्ष के अन्दर निर्यात किया जा सकता है । तथापि, आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित मदों के लिए प्राधिकार पत्र लेना जरुरी होगा । तथापि, सरकारी तैनाती पर विदेश जाने वाले भारत सरकार के अधिकारियों को अपने नितान्त व्यक्तिगत उपयोग के लिए अपना व्यक्तिगत असबाब, खाद्य सामग्री (मुक्त, प्रतिबंधित या निषिद्ध) अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। पैरा के प्रावधान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जारी असबाब नियमावली के अध्यधीन होंगे।

(ख) उन मदों के नमूने जो विदेश व्यापार नीति के तहत अन्यथा निर्यात योग्य हैं, बिना प्राधिकार पत्र के यात्री असबाव के रुप मे भी निर्यात किए जा सकते हैं ।

2.46 निर्यात हेतु आयात

I. (क) विदेश व्यापार नीति के अनुसार आयातित माल का बिना किसी प्राधिकार पत्र के उसी रुप में या वस्तुतः उसी रुप में निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि आयात या निर्यात की जाने वाली मद आईटीसी(एचएस) में आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित न हो ।

(ख) पूंजीगत माल (नया और पुराने सहित) सहित माल का निर्यात हेतु आयात किया जा सकता है बशर्तेः

(i) आयातक सीमाशुल्क विभाग के बांड के तहत माल को स्वीकृत कराता है;

(ii) माल मुक्त रूप से निर्यात किए जाने योग्य है अर्थात 'प्रतिबंधित'/निषिद्ध नहीं है जो राज्य व्यापार उद्यमों के माध्यम से किए जाने वाले विशेष व्यापार अथवा आईटीसी(एचएस) की निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अंतर्गत यथा अपेक्षित किसी शर्त/ आवश्यकता के अधीन है।

(iii) निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के मद्दे है।

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित माल में आयात हेतु 'प्रतिबंधित' माल (निषिद्ध मदों को छोड़कर) शामिल होगा।

(घ) मुक्त रूप से आयात योग्य तथा निर्यात योग्य पूंजीगत माल का सीमाशुल्क प्राधिकारियों के साथ विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी के निष्पादन किए जाने पर निर्यात हेतु आयात किया जा सकता है।

(ड.) उपर्युक्त के बावजूद माल जिनका मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है, का उन मदों के सिवाय जोकि निर्यात की निषिद्ध या स्कोमेट सूची में हैं, उसी या काफी हद तक उसी रूप में निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन पुनः निर्यात किया जा सकता है जबकि ऐसे माल निर्यात हेतु ''प्रतिबंधित'' सूची में हैं:

(i) माल भारतीय मूल के नहीं हों;

(ii) आयातित माल सीमा शुल्क के पर्यवेक्षण के अधीन बांडेड गोदाम में रखे जाएंगे;

(iii) निर्यात किए जाने वाले माल को घरेलू खपत हेतु मंजूरी नहीं दी गई है;

(iv) माल का निर्यात सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 69 के अध्यधीन होगा।

II. (क) मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के मद्दे आयातित माल को निर्यात की अनुमति मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान किए जाने के मद्दे ही दी जाएगी जब तक डीजीएफटी द्वारा अन्यथा अधिसूचित न किया गया हो।

(ख) ऐसे माल को अधिसूचित देशों (वर्तमान में केवल ईरान) में निर्यात करने की अनुमति भारतीय रुपये में भुगतान किए जाने के मद्दे की जाएगी जो न्यूनतम 15 प्रतिशत मूल्यवर्धन के अधीन है।

(ग) तथापि, ईरान को निर्यात हेतु खाद्य सामग्री, दवाईयों, चिकित्सा उपस्करों अर्थात आईटीसी (एचएस) के अध्याय 2 से 4,7 से 11, 15 से 21, 23, 30 तथा आईटीसी (एचएस) के अध्याय-90 के शीर्षक 9018, 9019, 9020, 9021 और 9022 के अंतर्गत मदें न्यूनतम मूल्य संवर्धन की आवश्यकता के अधीन नहीं होंगी। तथापि ईरान को होने वाला इन मदों का आयात विदेश व्यापार नीति 2015-20 और आईटीसी (एचएस) 2017 की अन्य सभी शर्तों, यदि लागू हों, के अधीन होगा। आईटीसी (एचएस) 0407, 0408 के अंतर्गत शामिल पक्षी के अंडे तथा आईटीसी (एचएस) 1006 के अंतर्गत शामिल चावल उपर्युक्त **II** (क) के अनुसार इस छूट के अंतर्गत नहीं हैं।

(घ) उपर्युक्त I (ड.) और II (क), (ख) और (ग) के अनुसार इस छूट के अंतर्गत किया जाने वाला निर्यात किसी निर्यात-लाभ को प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।

2.47 कूरियर सेवा/डाक के माध्यम से निर्यात

पंजीकृत कूरियर सेवा के माध्यम से निर्यात राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अनुमत है। तथापि ऐसी मदों का अयात/निर्यात किया जाना विदेश व्यापार नीति/आईटीसी (एचएस), 2017 के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

2.48 प्रतिस्थापन माल का निर्यात

निर्यात करते समय यदि कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण/टूटे-फूटे अथवा अन्यथा प्रयोग के अयोग्य पाये गए तो उनका प्रतिस्थापन निर्यातक द्वारा निःशुल्क किया जाएगा और इस प्रकार के माल की सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यात हेतु अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि प्रतिस्थापन माल आई टी सी (एच एस) में निर्यात हेतु प्रतिबंधित /स्कोमेट मदों के तौर पर उल्लिखित न हो । यदि निर्यात का मद 'प्रतिबंधित'/ स्कोमेट के अधीन है तो निर्यातक को प्रतिस्थापन हेतु निर्यात लाइसेन्स की आवश्यकता होगी।

2.49 मरम्मत किए गए माल का निर्यात

निर्यात करते समय आई टी सी(एच एस) के तहत प्रतिबंधित को छोड़कर, कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण, टूटे-फूटे या अन्यथा उपयोग के लिए अयोग्य पाये गये तो मरम्मत के लिए उनका आयात किया जा सकता है और बाद में पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे सामान की प्राधिकार-पत्र के बिना और सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार निकासी की अनुमति होगी। उस सीमा तक निर्यातक लौटाए गए माल पर लिए गए लाभ/प्रोत्साहन को वापस करेगा। यदि मद आयात के लिए प्रतिबंधित है तो निर्यातक को आयात लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

तथापि, कंपनियों/फर्मों तथा वास्तविक उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा ऐसे खराब हिस्सों/पुर्जों का पुनः निर्यात करना अनिवार्य नहीं होगा यदि इन्हें विशेष रूप से मूल कारण का पता लगाने, परीक्षण और मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आयात किया गया है।

2.50 अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात

संयंत्र, उपकरण, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स के वारण्टी स्पेयर्स (देशी अथवा आयातित) या कोई अन्य माल, (आईटीसी (एचएस) के तहत प्रतिबन्धित मदों को छोड़कर) का मुख्य उपकरण के साथ अथवा बाद में निर्यात किया जा सकता है किन्तु यह ऐसे माल की वारंटी अवधि के भीतर ही हो बशर्ते कि इसे भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो।

2.50क उपयोग हेतु खराब और अनुपयुक्त पाए गए आयातित माल का पुनः निर्यातः

सीमा शुल्क निकासी के बाद खराब पाए गए या विनिर्देशनों अथवा शर्तों के अनुसार नहीं पाए गए आयातित माल को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अनुसार वापस निर्यात किया जा सकता है।

2.51 निर्यात के लिए निजी बाण्डेड गोदाम

(क) राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुसार विशेषतया निर्यात के लिए डीटीए में निजी बाण्डेड गोदाम की स्थापना की जा सकती हैं ।

(ख) ऐसे गोदाम सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना स्वदेशी विनिर्माताओं से माल खरीदने के हकदार होंगे। ऐसे अधिसूचित गोदामों को स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा की गई आपूर्तियों को वास्तविक निर्यात माना जाएगा बशर्ते कि भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो।

आयात/निर्यात हेतु भुगतान और प्राप्ति

2.52 निर्यात संविदाओं का कोटिकरण

(क) सभी निर्यात संविदाओं और बीजकों को मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा अथवा भारतीय रुपये के मूल्य वर्ग में रखा जाएगा किन्तु निर्यात प्राप्तियां मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएंगी ।

(ख) तथापि, विशेष निर्यातों के मद्दे निर्यात प्राप्तियाँ रुपयों में भी वसूल की जा सकती है, बशर्ते कि यह एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के सदस्य देश या नेपाल या भूटान को छोड़कर किसी भी देश में स्थित अप्रवासी बैंक के मुक्त रुप से परिवर्तनीय वोस्ट्रो खाते के जरिए हों । इसके अतिरिक्त वोस्ट्रो खाते के जरिए रुपये का भुगतान क्रेता द्वारा उसके अप्रवासी बैंक खाते में मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के मद्दे हो । इस सौदे के कारण खरीदार को अपने अप्रवासी बैंक को (बैंक सेवा प्रभार को घटाने के बाद) मुक्त विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान को विदेश व्यापार नीति के निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात वसूली के रुप में गिना जाएगा ।

(ग) संविदाओं (जिनके लिए भुगतान एशियन क्लीयरिंग यूनियन (एसीयू) के जरिए प्राप्त किए जाएंगे) को एसीयू डालर के मूल्य वर्ग में रखा जाएगा। तथापि, एसीयू के प्रतिभागी आरबीआई की अधिसूचनाओं के अनुसार एसीयू डालर या एसीयू में अपनी लेनदेन निष्पादित कर सकते है। केन्द्र सरकार उपयुक्त मामलों में इस पैराग्राफ के प्रावधानों से छूट दे सकती है। एक्जिम बैंक/भारत सरकार लाइन ऑफ क्रेडिट के मद्दे निर्यात ठेकों और बीजकों का भारतीय रुपयों में नामकरण किया जा सकता है ।

2.53 ईरान को निर्यात-विदेश व्यापार नीति के लाभों/प्रोत्साहनों के लिए पात्र बनने के लिए भारतीय रुपयों में वसूली

उरोक्त पैरा 2.52(क) में निहित प्रावधानों के अलावा ईरान को किए गए विशेष निर्यातों से भारतीय रुपये में प्राप्त निर्यात आय पर विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत निर्यात लाभ प्रोत्साहन उपलब्ध होगा जो मुक्त परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त निर्यात आय के समतुल्य होगी ।

2.54 निर्यात आय की गैर वसूली

(क) यदि कोई निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर निर्यात आय वसूल नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में, उस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी दायित्व या दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसे निर्यातों के लिए उठाए गए सभी लाभों/प्रोत्साहनों का वापस करना होगा और उसके विरुद्ध विदेश व्यापार

(विकास और विनियमन) अधिनियम, नियमों और उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों और विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(ख) यदि निर्यातक अपने नियंत्रण से बाहर (अप्रत्याशित घटना) की वजह से निर्यात आय प्राप्त करने में असमर्थ होता है, तो वह प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.87 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त न हुई राशि को बट्टे-खाते डालने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से सम्पर्क कर सकता है।

(ग) बीमा कवर के जरिए प्राप्त राशि विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ हेतु पात्र होगी। ऐसे मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.85 में डाल दी गई है।

2.54क: निर्यात क्रेडिट एजेंसियां (ईसीए)

(i) निर्यात क्रेडिट एजेंसियां (ईसीए) निर्यात को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की नीति संबंधी साधन है। ईसीए बीमा, गारंटी और प्रत्यक्ष ऋण के द्वारा निर्यात को सहायता प्रदान करती है। निर्यात क्रेडिट एजेंसियां (ईसीए) जैसे भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम लि० (ईसीजीसी) निर्यात को और निर्यात क्रेडिट ऋण को क्रेडिट बीमा सहायता प्रदान करती है। निर्यातकों को ईसीजीसी द्वारा दिए गए कवर की देखरेख करती है, क्रेता के दिवालिएपन या चूक के कारण अथवा राजनीतिक जोखिम के कारण भुगतान असफल होने से उत्पन्न हानि के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। निर्यातक ऐसे कवर के द्वारा मौजूदा बाजारों की रक्षा के अलावा अपने बाजारों का विविधीकरण करते हैं। ईसीजीसी परियोजना निर्यात सहित मध्यम एवं दीर्घावधि (एमएलटी) निर्यात को भी सहायता देता है। एक्जिम बैंक एमएलटी की क्रेडिट लाइन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी ईसीए है।

(ii) ईसीजीसी क्रेता के दिवालिएपन या चूक के कारण निर्यात व्यापार में निर्यातकों की हानि की क्षतिपूर्ति करता है। इसके अलावा पोतलदान कर दिए जाने के बाद युद्ध, अचानक आयात प्रतिबंध, कानून या आज्ञप्ति के प्रख्यापन जैसे राजनीतिक जोखिम के कारण हानि को भी कवर किया जाता है। पोतलदान कर दिए जाने के बाद पाटन–रोधी के कुछ उपाय या गैर–प्रशुल्क अवरोध राजनीतिक जोखिम के अधीन आएंगे। ऐसे मामले में ईसीजीसी द्वारा निर्यातक के हित की रक्षा की जाती है।

निर्यात संवर्धन परिषदें

2.55 आरसीएमसी जारी करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) को पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित करना।

(क) निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) निर्यातकों के संगठन हैं जिनकी स्थापना भारतीय निर्यातों का संवर्धन और विकास करने के लिए की गई है। प्रत्येक परिषद एएएनएफ के परिशिष्ट 2न के अनुसार उत्पादों/परियोजनाओं/सेवाओं के एक विशिष्ट समूह के संवर्धन के लिए उत्तरदायी है।

(ख) ईपीसी अपने सदस्यों को पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आरसीएमसी) जारी करने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए पात्र है। ईपीसी के लिए अपने सदस्यों को आरसीएमसी जारी करने के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में चिन्हित करने के मानदंड प्रक्रिया-पुस्तक के पैरा 2.92 में दिए गए हैं।

2.56 पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)

कोई भी व्यक्ति,

(क) जो आईटीसी (एचएस) में प्रतिबंधित मदों के रुप में सूचीबद्ध आयात/निर्यात (मदों के अतिरिक्त) के लिए प्राधिकार पत्र

अथवा

(ख) विदेश व्यापार नीति के अन्तर्गत किसी अन्य लाभ या छूट के लिए आवेदन करता है तो उसको प्रक्रिया पुस्तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार डीजीएफटी की वेबसाइट पर आयातक निर्यातक प्रोफाइल में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत अथवा अपलोड करना होगा जब तक कि इस सम्बन्ध में विदेश व्यापार नीति के तहत विशेष रुप से उसे छूट न दी गई हो। मसाला बोर्ड द्वारा जारी मसालों के निर्यातक के रुप में पंजीकरण के प्रमाण-पत्र (सी आर ई एस) और कॉयर बोर्ड द्वारा जारी कॉयर के उत्पादों के निर्यातक के रुप में पंजीकरण के प्रमाणपत्र को इस नीति के तहत प्रयोजनों के लिए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र (आर सी एम सी) के रुप में माना जाएगा।

नीतिगत व्याख्या और छूटें

2.57 नीतिगत व्याख्या

(क) नीतिगत व्याख्या, अथवा प्रक्रिया-पुस्तक के प्रावधान, परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों अथवा आईटीसी(एचएस) के आयात/निर्यात के लिए किसी मद के वर्गीकरण से संबंधित सभी मामलों पर विदेश व्यापार महानिदेशालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय की सहायता करने और सलाह देने के लिए एक नीति व्याख्या समिति (पीआईसी) का गठन किया जा सकता है। पीआईसी की रचना निम्नानुसार होगीः-

(i) महानिदेशक, विदेश व्यापारः अध्यक्ष

(ii) मुख्यालय के सभी अपर महानिदेशक विदेश व्यापारः सदस्य

(iii) नीतिगत मामलों को बनाने वाले मुख्यालय में कार्यरत सभी संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापारः सदस्य

(iv) संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार (पीआरसी/पीआईसी): सदस्य-सचिव

(v) अध्यक्ष द्वारा सह-चयनित संबंधित मंत्रालय/विभाग का कोई अन्य व्यक्ति/प्रतिनिधि

2.58 नीति/प्रक्रिया से छूट

विदेश व्यापार महानिदेशालय जनहित में ऐसे आदेश जारी कर सकता है अथवा ऐसी छूट, रियायत, उपाय प्रदान कर सकता है जोकि वह विदेश व्यापार नीति के किसी प्रावधान अथवा किसी प्रक्रिया से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा श्रेणी पर व्यापार पर विपरीत प्रभाव और वास्तविक कठिनाइयों के आधार पर उपयुक्त समझता है। ऐसी छूट प्रदान करते समय, विदेश व्यापार महानिदेशालय समिति से विचार-विमर्श करने के पश्चात् ऐसी शर्तें लगा सकता है जो वह उपयुक्त मानता हो।

क्रम सं0	विवरण	समिति
(क)	उत्पाद मानदण्डों का निर्धारण/संशोधन	मानदण्ड समितियाँ
(ख)	पूंजीगत माल (सीजी) और ईपीसीजी स्कीम के तहत लाभों का संबंध	ईपीसीजी समितियाँ
(ग)	अन्य सभी मामले	नीतिगत छूट समिति(पीआरसी)

2.59. शिकायत निवारण के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई

(क) सरकार व्यापार और उद्योग जगत से शिकायतों के तीव्र और शीघ्र समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 2.58 में व्यापार पर वास्तविक कठिनाईयों और विपरीत प्रभाव के आधार पर नीति और प्रक्रिया में छूट प्रदान करने का प्रावधान है। यदि कोई आयातक/निर्यातक नीतिगत छूट संबंधी समिति (पीआरसी) द्वारा लिए गए किसी निर्णय या विदेश व्यापार महानिदेशालय में किसी प्राधिकारी द्वारा किसी निर्णय/आदेश से असंतुष्ट है तो परिशिष्ट–2 ट के अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) हेतु महानिदेशक के समक्ष विशिष्ट अनुरोध करना होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय संबंधित मानदण्ड समिति, ईपीसीजी समिति अथवा नीतिगत छूट समिति (पीआरसी) से विचार विमर्श करने के पश्चात् छूट पर विचार कर सकता है और व्यक्तिगत सुनवाई के अनुसरण में सूचित निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

(ख) व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के संबंधित प्रावधानों के तहत अधिनिर्णय कार्रवाई चाहे वह पहली अवस्था में हो अथवा अपीलीय अवस्था सहित किसी कार्यवाही में लिए गए निर्णय/आदेश पर लागू नहीं होगा।

2.60 *बंदोबस्त आयोग के जरिए निर्यात दायित्व चूक का विनियमीकरण और सीमाशुल्क और ब्याज का निपटान*

ऐसी फर्मों को सहायता प्रदान करने के लिए जिन्होंने ऐसे कारण, जो कि उनके नियंत्रण में नहीं थे, विदेश व्यापार नीति के तहत भुगतान नहीं किए हैं और रुग्ण इकाइयों के विलयन, अभिग्रहण और पुनर्वास को सरल बनाने के लिए 0.1.04.2005 से ऐसे मामलों का निर्णय लेने के लिए राजस्व विभाग में बंदोबस्त आयोग को सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया है ।

उद्गम होने वाले माल का स्व-प्रमाणन

2.61 उद्गम के प्रमाणपत्र पर स्वप्रमाणन के लिए अनुमोदित निर्यातक स्कीम

(i) फिलहाल विविध तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए), मुक्त व्यापार समझौतों(एफटीए), समग्र आर्थिक सहयोग समझौतों (सीईसीए) और समग्र आर्थिक सहभागिता समझौतों (सीईपीए) के तहत उद्गम के प्रमाणपत्र परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2ख के अनुसार नामित एजेंसियों के द्वारा जारी किए जाते हैं। सौदा लागत को कम करने के उद्देश्य से स्वप्रमाणन की एक वैकल्पिक प्रणाली शुरु की जा रही है।

(ii) विनिर्माता जो कि स्तर धारक भी हैं अनुमोदित निर्यातक स्कीम के भी पात्र होंगे। अनुमोदित निर्यातक अपने विनिर्मित माल को प्रचलित विविध पीटीए/एफटीए/सीईसीए/ सीईपीए के तहत तरजीही समझौते को पास करने के उद्देश्य से भारत में बनाया हुआ दर्शाने के लिए स्वप्रमाणित करने के हकदार होंगे। स्वप्रमाणन केवल उसी माल के लिए अनुमत होगा जोकि विनिर्माताओं को जारी औद्योगिक उद्यम संबंधी ज्ञापन (आईईएम)/औद्योगिक लाइसेंस (आईएल)/आशय-पत्र (एलओआई) के अनुसार हो।

(iii) परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2च के साथ पठित प्रक्रिया-पुस्तक 2015-20 के पैरा 2.109 के विवरणों के अनुसार डीजीएफटी द्वारा अपेक्षित अवसंरचना, क्षमता और प्रशिक्षित मानव शक्ति की उपलब्धता के आधार पर स्व-प्रमाणन के लिए प्राधिकृत निर्यातकों के रूप में स्तरधारकों की पहचान की जाएगी।

(iv) दण्ड प्रावधानों के साथ स्कीम का विवरण परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2च में दिया गया है और केवल तभी लागू होगा जब भारत स्कीम को अपने सहभागी/सहभागियों के साथ एक विशिष्ट समझौते के रूप में शामिल करता है और इसे डीजीएफटी द्वारा उपयुक्त रूप से अधिसूचित किया जाता है।

2.62 यूरोपीय संघ सामान्यीकृत अधिमानता प्रणाली (ईयू–जीएससी) के लिए माल के उद्‌गम का प्रमाणपत्र

निर्यातक पंजीकृत निर्यातक प्रणाली (आरईएक्स) के तहत यूरोपीय संघ (ईयू) की स्व–प्रमाणन स्कीम के अनुसार अपने माल के उद्‌गम संबंधी विवरण को स्वप्रमाणित कर सकते हैं जैसा कि प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.104(ग) में दिया गया है।

अध्याय-3

भारत से निर्यात संबंधी स्कीम

3.00 उद्देश्य

इस अध्याय के तहत स्कीमों का उद्देश्य अवसंरचनात्मक खामियों एवं उनसे जुड़ी लागतों को पूरा करने हेतु निर्यातकों को प्रतिफल देना है।

3.01 भारत से निर्यात संबंधी स्कीम

वाणिज्यिक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए निम्नलिखित क्रमशः दो स्कीमें होंगीः

(i) भारत से वाणिज्यक-वस्तु के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस)

(iii) भारत से सेवाओं का निर्यात स्कीम (एसईआईएस)

3.02 प्रतिफलों की प्रकृति

एमईआईएस और एसईआईएस के अन्तर्गत प्रतिफल के रूप में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी की जाएगी। इनके तहत आयातित/घरेलू रूप से अधिप्राप्त की गई वस्तुएं और ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय होंगी। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिपों का निम्नलिखित के लिए प्रयोग किया जा सकता है:

(i) डीओआर अधिसूचना के अनुसार, परिशिष्ट 3(क) में सूचीबद्ध मदों को छोड़कर पूंजीगत वस्तुएं सहित निविष्टियों या वस्तुओं के आयात के लिए सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3(1), 3(3), 3(5) में विनिर्दिष्ट मूल सीमाशुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क का भुगतान।

(ii) निविष्टियों या वस्तुओं की घरेलू प्राप्ति पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान।

(iii) हटा दिया गया है।

(iv) इस नीति के पैरा 3.18 के अनुसार सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3(1), 3(3), 3(5) में विनिर्दिष्ट मूल सीमाशुल्क और अतिरिक्त सीमाशुल्क का भुगतान।

भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस)

3.03 उद्देश्य

भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) का उद्देश्य अधिसूचित वस्तुओं/उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देना है।

3.04 एमईआईएस के अन्तर्गत पात्रता

परिशिष्ट 3ख में यथा सूचीबद्ध आईटीसी (एचएस) कोड के साथ अधिसूचित बाजारों को अधिसूचित वस्तुओं/उत्पादों के निर्यात को एमईआईएस के तहत प्रतिफल प्रदान किए जाएंगे। विभिन्न अधिसूचित उत्पादों (आईटीसी-एचएस कोड वार) पर प्रतिफल का दर (रें) की सूचियाँ भी परिशिष्ट 3ख में होंगी। प्रतिफल के परिकलन का आधार जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, मुक्त विदेशी मुद्रा में निर्यात का प्राप्त एफओबी मूल्य अथवा मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में पोतलदान बिलों में दिए गए निर्यात का एफओबी मूल्य, जो भी कम हो, होगा।

3.05 ई-कामर्स प्रयोग करने वाले कूरियर या विदेश के डाक कार्यालयों के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात

(i) परिशिष्ट 3ग की अधिसूचना के अनुसार ई-कामर्स का उपयोग करते हुए कूरियर अथवा विदेश के डाक कार्यालयों के माध्यम से 25000 रुपये प्रति खेप की एफओबी मूल्य तक की वस्तुओं का निर्यात एमईआईएस के अंतर्गत प्रतिफल प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

(ii) यदि ई-कामर्स प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए निर्यात का मूल्य 25000 रु0 प्रति खेप से अधिक है तो, एमईआईएस प्रतिफल केवल 25000 रु0 के एफओबी मूल्य तक सीमित होगा।

(iii) ऐसी वस्तुएं नई दिल्ली, मुम्बई और चैन्नई में स्थित विदेश डाक कार्यालयों के माध्यम से मैनुअल विधि में निर्यात की जा सकती है।

(iv) कूरियर विनियमों के अधीन ऐसे माल का निर्यात, राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए विनियमों में उपयुक्त संशोधनों के अनुसार दिल्ली, मुम्बई और चेन्नई में स्थित विमानपत्तनों के माध्यम से प्रायोगिक आधार पर मैनुअल विधि द्वारा अनुमत किया जाएगा। राजस्व विभाग कूरियर टर्मिनलों पर ईडीआई विधि का कार्यान्वयन फास्ट-ट्रैक आधार पर करेगा।

3.06 एमईआईएस के अन्तर्गत अपात्र श्रेणियाँ

एमईआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप हकदारी के लिए निम्नलिखित निर्यात श्रेणियाँ/क्षेत्र अपात्र होंगेः

(i) एसईजेड इकाइयों को डीटीए इकाइयों से आपूर्ति की गई हो।

(ii) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.46 के तहत आयात की गई वस्तुओं का निर्यात।

(iii) पोतांतरण के माध्यम से निर्यात, जिसका अर्थ यह है कि निर्यात का उद्गम तो तृतीय देशों में हुआ है लेकिन भारत से पोतांतरण किया गया हो।

(iv) मान्य निर्यात।

(v) डीटीए इकाइयों द्वारा निर्यात किए गए एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी /एफटीडब्ल्यूजेड उत्पाद ।

(vi) निर्यात उत्पाद जो कि न्यूनतम निर्यात मूल्य या निर्यात शुल्क के अधीन हो।

(vii) एफटीडब्ल्यूजेड में इकाईयों द्वारा किया गया निर्यात।

भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)

3.07 उद्देश्य

भारत से सेवा निर्यात की स्कीम का उद्देश्य भारत से अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करना और इष्टतम बनाना है।

3.08 पात्रता

(क) भारत में स्थित, अधिसूचित सेवाओं के सेवा प्रदाताओं को एसईआईएस के अन्तर्गत प्रतिफल दिया जाएगा। केवल इस नीति के पैरा 9.51(i) और पैरा 9.51(ii) के अनुसार दी गई सेवाएं ही पात्र होंगी। अधिसूचित सेवाएं और प्रतिफल की दरें परिशिष्ट 3घ में सूचीबद्ध की गई हैं।

(ख) ऐसे सेवा प्रदाता, जिनके पास गत वित्त वर्ष में 15,000 अमेरिकी डॉलर की न्यूनतम निवल मुक्त विदेशी मुद्रा आय हो, वे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के लिए पात्र होंगे। व्यक्तिगत सेवा प्रदाताओं और एकल स्वामित्व के लिए गत वित्त वर्ष में 10,000/- अमेरिकी डॉलर की न्यूनतम निवल मुक्त विदेशी मुद्रा आय का मानदंड होगा।

(ग) विनिर्दिष्ट सेवाओं पर अर्जित सेवा शुल्क के लिए, भारतीय रुपयों में किया गया भुगतान, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्य विदेशी मुद्रा में प्राप्ति माना जाएगा। ऐसी सेवाओं की सूची परिशिष्ट 3ड. में दर्शाई गई है।

(घ) योजना के लिए निवल विदेशी मुद्रा आय निम्नानुसार परिभाषित की गई हैः निवल विदेशी मुद्रा= विदेशी मुद्रा की सकल आय घटा कुल खर्च/भुगतान/वित्त वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित आईईसी धारक द्वारा विदेशी मुद्रा का प्रेषण।

(ड.) यदि आईईसी धारक वस्तुओं का विनिर्माता और साथ ही साथ सेवा प्रदाता भी है तो विदेशी मुद्रा आय और कुल खर्च/भुगतान/प्रेषण केवल सेवा क्षेत्र के लिए विचारणीय होगा।

(च) योजना के अधीन प्रतिफल का दावा करने के लिए, सेवा प्रदाता ऐसे दावे के प्रतिफल के लिए ऐसी सेवाएं प्रदान करते समय सक्रिय आईईसी धारक होना चाहिए।

3.09 एसईआईएस के तहत अपात्र श्रेणियाँ

अधिसूचित सेवाएं प्रदान किए जाने वाले सेवा क्षेत्र से भिन्न सेवाओं से अर्जित विदेशी मुद्रा प्रेषण की गणना हकदारी के लिए नहीं की जाएगी। इसी प्रकार अन्य साधनों से अर्जित विदेशी मुद्रा जैसे इक्विटी या ऋण भागीदारी, दान, ऋण की अदायगी इत्यादि और अन्य साधनों से प्राप्त विदेशी मुद्रा जो सेवा देने से संबंधित नहीं है, पात्र नहीं होगी।

3.10 एसईआईएस के तहत हकदारी

पात्र सेवाओं के सेवा प्रदाता अर्जित निवल विदेशी मुद्रा पर (परिशिष्ट 3घ में दी गई) अधिसूचित दरों पर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के लिए हकदार होंगे।

3.11 एमईआईएस और एसईआईएस के लिए क्रेडिट कार्ड और अन्य दस्तावेजों द्वारा प्रेषण

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुमत अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड और अन्य दस्तावेजों के जरिए अर्जित मुक्त विदेशी मुद्रा को निर्यात के मूल्य के परिकलन के लिए भी ध्यान में रखा जाएगा।

3.12 स्कीमों (एमईआईएस तथा एसईआईएस) की प्रभावी तिथि

स्कीमें इस नीति की अधिसूचना जारी करने की तिथि से प्रभावी होंगी अर्थात इस नीति की अधिसूचना की तिथि को अथवा बाद में किए गए निर्यात/प्रदान की गई सेवाओं के लिए एमईआईएस/एसईआईएस के तहत प्रतिफल देय होंगे।

3.13 विशेष प्रावधान

(क) सरकार जनहित में, निर्यात उत्पादों या सेवाओं या बाजारों को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, जो शुल्क क्रेडिट स्क्रिप की हकदारी के परिकलन के पात्र नहीं होंगे।

(ख) सरकार इस अध्याय के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप पर प्रतिबंध लगाने/ अधिकतम दर लगाने/दर परिवर्तित करने का भी अधिकार सुरक्षित रखती है।

(ग) सरकार परिशिष्ट 3क की वस्तुओं को भी अधिसूचित कर सकती है जिसे आयात के मामले में शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के माध्यम से निकालने की अनुमति नहीं होगी।

(घ) इस अध्याय के तहत किसी भी समय सरकार किसी भी प्रकार की वस्तु (वस्तुओं) के अधिकतम मूल्य को निर्धारित कर सकती है अथवा प्रति आईईसी धारक कुल लाभ को सीमित कर सकती है।

भारत से निर्यात स्कीमों (एमईआईएस और एसईआईएस) के लिए सामान्य प्रावधान

3.14 परिवर्ती व्यवस्था

इस नीति की अधिसूचना की तिथि तक निर्यात किए गए माल के लिए अथवा प्रदान की गई सेवाओं के लिए, जो कि पूर्ववर्ती विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत स्क्रिप जारी करने के लिए अन्यथा पात्र थीं और ऐसे माल के निर्यात अथवा प्रदान की गई सेवाओं के अधीन इस नीति की अधिसूचना जारी करने की तिथि को अथवा इसके पश्चात स्क्रिप लागू/जारी किया गया है, उस समय विद्यमान हकदारी, हस्तान्तरणीयता, स्क्रिप के प्रयोग की नीति और पात्रता,और वस्तुओं के निर्यात अथवा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उस समय लागू अन्य किसी शर्त ऐसी स्क्रिप के लिए लागू होगी।

3.15 सेनवैट/शुल्क वापसी

शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के अधीन नकद अथवा डेबिट के माध्यम से अदा किए गए सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 3(1), 3(3) और 3(5) के तहत् विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए नियमों या अधिसूचनाओं के अनुसार सेनवैट क्रेडिट या शुल्क वापसी के रूप में समायोजित किया जाएगा। शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के अधीन नकद या डेबिट के माध्यम से अदा किए गए मूल सीमाशुल्क को राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए नियमों अथवा अधिसूचनाओं के अनुसार शुल्क वापसी के रूप में भी समायोजित किया जाएगा।

3.16 पट्टा वित्तपोषण के अन्तर्गत आयात

विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.34 के प्रावधानों में पट्टा वित्तपोषण के अन्तर्गत पूंजीगत माल के आयात के मामले में शुल्क अदायगी हेतु शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के उपयोग की अनुमति होगी।

3.17 निर्यात निष्पादन का अन्तरण

(क) एक आईईसी धारक से दूसरे आईईसी धारक को निर्यात निष्पादन के अन्तरण की अनुमति नहीं होगी। इस प्रकार पोतलदान बिल जिसमें आवेदक का नाम हो, की आवेदक के निर्यात निष्पादन/कारोबार में गणना तभी की जाएगी जब विदेश से निर्यात आय की वसूली आवेदक के बैंक खाते में हुई हो और यह ई-बीआरसी/एफआईआरसी से प्रमाणित हो।

(ख) तथापि, एमईआईएस लाभ का दावा या तो सहायक विनिर्माता (कम्पनी/फर्म जिसने सीधे विदेश से विदेशी मुद्रा अर्जित की है से डिसक्लेमर सहित) द्वारा या कम्पनी/फर्म जिसने विदेश से सीधे विदेशी मुद्रा अर्जित की है, द्वारा किया जा सकता है।

3.18 ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिपों के माध्यम से सीमाशुल्क और शुल्क के भुगतान की सुविधा

(क) विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 और 5 के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के अधीन निर्यात दायित्व चूक के मामले में सीमाशुल्क भुगतान के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का प्रयोग/डेबिट किया जा सकता है। ऐसा उपयोग/प्रयोग उन वस्तुओं के संबंध में होगा जो इन संबंधित स्कीमों के तहत आयात करने के लिए अनुमत है। तथापि, जुर्माना/ब्याज का भुगतान नकद में करना होगा।

(ख) प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.49 के तहत विदेश व्यापार नीति के अधीन संयोजन शुल्क के भुगतान के लिए, विदेश व्यापार नीति के अधीन आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए यदि कोई हो और निर्यात दायित्व में मूल्य में आने वाली कमी के भुगतान के लिए शुल्क क्रेडिट स्क्रिप का भी उपयोग किया जा सकता है।

3.19 जोखिम प्रबंधन प्रणाली

(क) जोखिम प्रबंधन प्रणाली प्रचालन में होगी जिससे डीजीएफटी मुख्यालय में प्रत्येक महीने कम्प्यूटर प्रणाली, यादृच्छिक आधार पर और डीजीएफटी द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के आधार पर प्रत्येक स्कीम के तहत प्रत्येक आरए के लिए 10% प्रतिशत आवेदनों को चुनेगी जहाँ पहले से प्रत्येक स्कीम के तहत स्क्रिप और स्तर धारक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। आरए उसके बाद इन सभी चुने गए मामलों में आगे विस्तार से जाँच करने के लिए मूल दस्तावेजों को मांग सकता है। यदि ऐसी जांच पर कोई असंगति और/अथवा अतिरिक्त दावा पाया जाता है, तो आवेदक इस असंगति को सुधारने के और/अथवा स्क्रिप जारी करने की तिथि से एक महीने के भीतर सीमाशुल्क विभाग के संबंधित लेखा शीर्ष में स्क्रिप जारी करने की तिथि से एक मास के भीतर सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28क(क) के अंतर्गत निर्धारित ब्याज की दर के साथ दावों की नकद वापसी करने के दायित्व के अधीन होगा। तथापि स्क्रिप का वास्तविक धारक ऐसे अतिरिक्त दावे की वापसी, आंशिक रूप से प्रयुक्त अथवा पूर्ण रूप से अप्रयुक्त स्क्रिप का अभ्यर्पण करके बिना ब्याज के कर सकता है।

(ख) क्षेत्रीय प्राधिकारी लैंडिंग प्रमाण पत्र,(जहां कहीं नीति के लिए अपेक्षित हो) एएनएफ के साथ संलग्न अनुलग्नक अथवा किसी अन्य दस्तावेज जिसे स्क्रिप जारी करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के भीतर किसी समय डिजिटल रूप से अपलोड किया गया हो अथवा आवेदन के संबंध में या निर्यात से संबंधित कोई अन्य निर्यात दस्तावेज जैसे निर्यात बीजक का मूल प्रमाण मांग सकता है। ऐसे दस्तावेजों को मूल रुप में प्रस्तुत न करने पर आवेदक प्रदान किए गए प्रतिफल को स्क्रिप जारी करने की तिथि से सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28क(क) में निर्धारित ब्याज की दर के साथ वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा। यदि आवेदक को आईटीसी एचएस कोड के तहत मद विवरण का गलत उल्लेख करता हुआ पाया जाता है तो एफटी (डीआर) अधिनियम के तहत समुचित कार्रवाई की जाएगी। आवेदक इन दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों इत्यादि को स्क्रिपों के जारी करने की तिथि से कम से कम तीन वर्षों की अवधि या आरएमएस के तहत क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा शुरू की गई जांच के पूरा होने तक, जो भी पहले हो, संभाल कर रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

3.20 स्तर धारक

(क) स्तर-धारक व्यापार जगत के अग्रणी व्यक्ति हैं जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्कृष्टता हासिल की है और देश के विदेश व्यापार में सफलतापूर्वक योगदान दिया है। स्तर-धारकों से अपेक्षा की जाती है कि वे न केवल भारत के निर्यातों में योगदान दें अपितु नए उद्यमकर्त्ताओं को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करें।

(ख) आयात-निर्यात कोड (आईईसी) संख्या वाले माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के सभी निर्यातक एक स्तर-धारक के रूप में पहचान प्राप्त करने के पात्र होंगे। स्तर-धारक की पहचान निर्यात निष्पादन पर निर्भर करती है। एक आवेदक को विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.21 में दर्शाए अनुसार मौजूदा और गत तीन वित्तीय वर्षों के (रत्न एवम् आभूषण क्षेत्र के लिए वर्तमान और पिछले दो वित्तीय वर्षों के (निष्पादन को स्तर धारक के रुप में मान्यता के लिए विचार किया जाएगा) दौरान निर्यात निष्पादन प्राप्त कर लेने पर स्तर-धारक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। निर्यात निष्पादन की गणना मुक्त रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्यात आय के एफओबी मूल्य के आधार पर की जाएगी।

(ग) मान्य निर्यात के लिए, भारतीय रुपयों में निर्यातों के एफओआर मूल्य को, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को यथा लागू, सीबीईसी द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित किया जाएगा।

(घ) स्तर प्रदान करने के लिए, चार वर्षों में कम से कम दो वर्षों के लिए निर्यात निष्पादन आवश्यक है ।

3.21 स्तर श्रेणी

स्तर श्रेणी	निर्यात निष्पादन एफओबी/एफओआर मूल्य के लिए (परिवर्तित मूल्य के रूप में) (अमेरिकी डॉलर मिलियन में)
एक स्टार निर्यात कम्पनी	3
दो स्टार निर्यात कम्पनी	25
तीन स्टार निर्यात कम्पनी	100
चार स्टार निर्यात कम्पनी	500
पाँच स्टार निर्यात कम्पनी	2000

3.22 दोहरा तरजीह प्रदान करना

(क) निम्नलिखित श्रेणियों के तहत आईईसी धारकों द्वारा निर्यात स्तर प्रदान करने के लिए निर्यात निष्पादन की गणना करने के लिए दोहरा तरजीह प्रदान किया जाएगाः-

(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 में यथापरिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)।

(ii) आईएसओ/बीआईएस युक्त विनिर्माण इकाइयाँ।

(iii) सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू और कश्मीर में स्थित इकाइयाँ

(iv) कृषि-निर्यात क्षेत्र में स्थित इकाइयाँ।

(ख) दोहरी तरजीह केवल एक स्टार निर्यात कम्पनी स्तर श्रेणी प्रदान करने के लिए उपलब्ध होगी। दोहरी तरजीह के ऐसे लाभ अन्य श्रेणियों नामतः दो स्टॉर निर्यात कम्पनी, तीन स्टार निर्यात कम्पनी, चार स्टार निर्यात कम्पनी और पाँच स्टार निर्यात कम्पनी को स्तर पहचान प्रदान करने के लिए लागू नहीं होंगे।

(ग) उपरोक्त श्रेणियों में से एक पोतलदान केवल एक बार दोहरा लाभ प्राप्त कर सकता है।

3.23 स्तर प्रदान करने के लिए अन्य शर्तें

(क) एक आईईसी धारक का निर्यात निष्पादन अन्य आईईसी धारक को स्थानांतरित करना अनुमत नहीं किया जाएगा। इसलिए, दावा-परित्याग पर आधारित निर्यात निष्पादन की गणना अनुमत नहीं की जाएगी।

(ख) पुनः निर्यात के आधार पर किए गए निर्यातों की गणना पहचान के लिए नहीं की जाएगी।

(ग) स्कोमैट मदों सहित प्राधिकार-पत्र के तहत मदों का निर्यात, निर्यात निष्पादन की गणना के लिए शामिल किया जाएगा।

3.24 स्तर-धारकों के विशेषाधिकार

एक स्तर-धारक निम्नानुसार विशेषाधिकारों का पात्र होगाः-

(क) आयात और निर्यात दोनों के लिए प्राधिकार-पत्र और सीमाशुल्क निकासी को स्व-घोषणा के आधार पर प्रदान किया जा सकता है;

(ख) मानदण्ड समिति द्वारा निविष्टि उत्पादन मानदण्डों को प्राथमिकता के आधार पर 60 दिनों के अंदर निर्धारित किया जा सकता है; निविष्टि उत्पादन मानदंड के संबंध में विषेश स्कीम विनिर्दिष्ट स्तर धारक के लिए डीजीएफटी द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाएगी।

(ग) विदेश व्यापार नीति के तहत स्कीमों के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से छूट प्राप्त होगी जब तक कि इन्हें विदेश व्यापार नीति अथवा प्रक्रिया-पुस्तक में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

(घ) बैंकों के माध्यम से दस्तावेजों पर आवश्यक विचार-विमर्श से छूट हालांकि प्रेषण/प्राप्तियां बैकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त की जाएंगी;

(ड.) दो स्टॉर और इससे ऊपर की निर्यात कंपनियों को राजस्व विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्यात गोदामों की स्थापना करने हेतु अनुमत किया जाएगा।

(च) तीन स्टॉर और इससे ऊपर की निर्यात कंपनियां सीबीईसी (वेबसाइटः www.cbec/gov.in) के दिशानिर्देशों के अनुरूप मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी) के लाभ प्राप्त करने की हकदार होंगी।

(छ) स्तर-धारक तरजीही व्यवहार और संबंधित एजेंसियों द्वारा उनकी खेपों की सुपुर्दगी में प्राथमिकता के हकदार होगें।

(ज) विनिर्माता जो कि स्तर-धारक (तीन सितारा/चार सितारा/पाँच सितारा) भी हैं अपने विनिर्मित माल (अपने आईईएम/ आईएल/एलओआई के अनुसार) को विविध तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए), मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए), समग्र आर्थिक सहयोग समझौतों (सीईसीए) और समग्र आर्थिक सहयोग सहभागिता समझौतों (सीईपीए) के तहत तरजीही प्रबंध के लिए पात्र होने के उद्देश्य से भारत से प्रवृत्त करने के रूप में स्व-प्रमाणित करने में सक्षम होगा। तत्पश्चात स्कीम को शेष स्तर धारकों के लिए लागू किया जा सकता है।

(झ) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.108 (घ) के अनुसार विनिर्माता निर्यातक जो कि स्तर-धारक भी हैं यह स्व-प्रमाणित करने के लिए पात्र होगें कि उनका माल भारत में तैयार होता है।

(ञ) निर्यात प्रोत्साहन के लिए स्तर धारक निःशुल्क लागत पर स्वतंत्र रुप से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का निर्यात (रत्न और आभूषण, सोने की वस्तुएं और बहुमूल्य धातु को छोड़कर) करने के पात्र होगे बशर्ते एक करोड़ रुपए या पिछले तीन लाइसेसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 2% जो भी कम हो, की वार्षिक सीमा होगी। फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा दवा उत्पादों के निर्यात के लिए पिछले तीन लाइसेसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति की 2% की वार्षिक सीमा होगी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यूएन, डब्ल्यूएचओ पीएएचओ, के स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए फार्मास्युटिकल उत्पादों, टीके और जीवन रक्षक दवा की आपूर्तियों के मामले में पिछले तीन लाइसेसिंग वर्षो के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 8% तक की वार्षिक सीमा होगी। ऐसी निःशुल्क आपूर्तियां शुल्क वापसी या किसी निर्यात प्रोत्साहन योजना के अधीन अन्य निर्यात प्रोत्साहन की पात्र नहीं होगीं।

अध्याय - 4
शुल्क विमुक्ति/छूट स्कीम

4.00 उद्देश्य

इस अध्याय के तहत स्कीमें निविष्टियों की पुनःपूर्ति अथवा शुल्क छूट सहित निर्यात उत्पादन के लिए निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात को सक्षम बनाती हैं।

4.01 स्कीम

(क) शुल्क छूट स्कीम

शुल्क छूट स्कीम में निम्नलिखित शामिल हैंः

- अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए)(जिसमें वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र सम्मिलित है)
- शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए)

(ख) शुल्क छूट स्कीम।

राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित शुल्क वापसी स्कीम (डीबीके)

4.02 नीति और प्रक्रिया की अनुप्रयोज्यता

इस अध्याय के तहत प्राधिकार पत्र को प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि से प्रभावी नीति और प्रक्रिया के अनुसरण में जारी किया जाएगा।

4.03 अग्रिम प्राधिकार पत्र

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र उन निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति हेतु जारी किया जाता है, जो कि निर्यात उत्पाद में वास्तविक रूप से सम्मिलित हैं (अपशिष्ट के लिए सामान्य अनुमति देते हुए)। इसके अतिरिक्त ईंधन, तेल, उत्प्रेरकों जो निर्यात उत्पाद के उत्पादन की प्रक्रिया में उपभोग/प्रयुक्त किए जाते हैं, भी अनुमत होंगें।

(ख) अग्रिम प्राधिकार पत्र निम्नलिखित आधार पर परिणामी उत्पाद के संबंध में इनपुट के लिए जारी किया जाता हैः

(i) अधिसूचित मानक निविश्टि उत्पाद मानदंड (सिओन) के अनुसार (प्रक्रिया पुस्तक में उपलब्ध);

अथवा

(ii) प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.07 के अनुसार स्व–घोशणा के आधार पर

अथवा

(iii) मानदंड समिति द्वारा मानक का आवेदक विशिष्ट पूर्व निर्धारण।

अथवा

(iv) विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.07क के अनुसार स्व–अनुसमर्थन स्कीम के आधार पर।

4.04 मसालों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र

आईटीसी(एचएस) के अध्याय-9 के तहत शामिल मसालों का शुल्क मुक्त आयात केवल तेल अथवा ओलियोरेजिन्स की पेषण/घर्षण/घिसना/अनुर्वरता/उत्पादन जैसे कार्यकलापों के लिए अनुमत होगा। मात्र सफाई, श्रेणीकरण, पुनर्पैकिंग आदि के लिए प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं होगा।

4.04क परिधान सामग्री और वस्त्र की सहायक सामग्री के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम।

निर्यात एवं आयात का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 61 और 62 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के निर्यात के लिए इस योजना हेतु जारी की गई सीमाशुल्क विभाग की अधिसूचना के अनुसार, परिधान सामग्री और वस्त्र की सहायक सामग्री के निर्यात के लिए विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत फैब्रिक के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाएगी, जो निर्यात और आयात के, निम्नलिखित नियम और शर्तों के अधीन होगीः

(i) मानदंड समिति द्वारा मानक निविष्टि उत्पाद मानदंड (सिओन) या मानदंडों के पूर्व निर्धारण के आधार पर प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा।

(ii) निविष्टि के रूप में केवल अस्तर सहित संबद्ध फैब्रिकों के आयात हेतु प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। इस प्राधिकार पत्र के तहत किसी अन्य निविष्टि, पैकिंग सामग्री, ईंधन, तेल और उत्प्रेरक के आयात के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) निर्यातक गैर–फैब्रिक निविष्टियों के लिए इस स्कीम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित शुल्क वापसी की समग्र औद्योगिक दर के लिए पात्र होंगे। एफटीपी के पैरा 4.08 के मूल्य वर्धन मानदंड के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त ऐसी किसी अन्य निविष्टि का मूल्य जिस पर शुल्क वापसी के लाभ का दावा किया जाता है या दावा किए जाने का आशय है, किए गए निर्यात के एफओबी मूल्य

के 22% के बराबर होगा। न्यूनतम मूल्य वर्धन एफटीपी के पैरा 4.09 के अनुसार होगा।

(iv) जहां निर्यातक क्षेत्राधिकारी सीमा शुल्क प्राधिकरण (ब्रांड दर) द्वारा निर्धारित और नियत शुल्क वापसी का दावा करना चाहता है, तो वह प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन में की जाने वाली घोषणाओं के संबंध में एफटीपी के पैरा 4.15 का पालन करेगा और ब्रांड दर हेतु दावा के तहत निर्यात करेगा। ऐसे मामलों में मूल्य वर्धन एफटीपी के पैरा 4.08 के अनुसार होगा। न्यूनतम मूल्य वर्धन एफटीपी के पैरा 4.09 के अनुसार होगा।

(v) प्राधिकार पत्र और आयातित फैब्रिक वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन होगा। निर्यात दायित्व के पूरा होने के बाद भी यह हस्तांतरणीय नहीं होगा। हालांकि आयात किया गया फैब्रिक पंजीकरण के पत्तन पर सीमा शुल्क प्राधिकारी को सूचना देकर जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियत कार्य के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से क्षेत्र आधारित छूट के लिए पात्र क्षेत्रों में अवस्थित इकाइयों को छोड़कर)। प्राधिकार पत्र के अमान्यकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vi) आयात किया जाने वाला फैब्रिक आयात पूर्व शर्तों के अधीन होगा और इसे वास्तविक रूप से निर्यात उत्पाद में शामिल किया जाएगा (अपशिष्ट के लिए सामान्य अनुमति देते हुए)। केवल वास्तविक निर्यात ही निर्यात दायित्व को पूरा करेगा।

(vii) विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.02, 4.05 (क), 4.13 (i), 4.13 (ii), 4.14, 4. 15, 4.17, 4.19, 4.21 (i), 4.21 (ii),4.21 (iii),4.21 (v), 4.22(i), और 4.24 के प्रावधान लागू होंगे, जब तक कि वे इस स्कीम के साथ असंगत न हों।

4.05 पात्र आवेदक/निर्यात/आपूर्ति

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र विनिर्माणकर्ता निर्यातकों या व्यापारी निर्यातक जो सहायक विनिर्माताओं से संबंद्ध है, को जारी किया जा सकता है।

(ख) गैर उल्लघंनीय (एनआई) प्रक्रिया निर्मित भेषज उत्पादों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र (प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.18 में यथानिर्दिष्ट) केवल विनिर्माणकर्ता निर्यातकों के लिए जारी होगा।

(ग) अग्रिम प्राधिकार पत्र निम्न के लिए जारी किया जाएगाः

(i) वास्तविक निर्यात (एसईजैड को किए निर्यात सहित);

(ii) अन्तर्वर्ती आपूर्तियाँ; और/अथवा

(iii) इस विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 7.02(ख), (ग), (ड.), (च) और (छ) में उल्लिखित श्रेणियों के लिए माल की अपूर्ति।

(iv) ऐसे विदेश जाने वाले जहाज/वायुयान पर 'स्टोर्स' की आपूर्ति इस शर्त के अधीन होगी कि आपूर्ति की गई मदों के संबंध में विशिष्ट मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड हैं।

4.06 वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र

(i) वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र केवल मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड (सिओन) में अधिसूचित मदों के लिए जारी होगा, और यह विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.03(ख)(ii) के तहत तदर्थ मानदण्डों के मामलों के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

(ii) वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र सिओन के लिए भी उपलब्ध नहीं होगा जहाँ पर निविष्टि की कोई भी मद परिशिष्ट 4ञ में आती है।

4.07 *वार्षिक* आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्त

(i) निर्यातक जिनका विगत में निर्यात निष्पादन है (न्यूनतम पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों में), वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र के पात्र होंगे।

(ii) आयातों को सीआईएफ मूल्य के अनुसरण में वास्तविक निर्यात के एफओबी मूल्य के 300% और/अथवा विगत वित्तीय वर्ष में मान्य निर्यात के लिए अथवा एक करोड़ रु0 जो भी अधिक हो, हकदारी होगी।

4.07क स्व–अनुसमर्थन स्कीम

(i) जहां किसी निर्यात उत्पाद के लिए कोई सिओन/मान्य तदर्थ मानदंड नहीं है और जहां सिओन को अधिसूचित किया गया है किन्तु निर्यातक विनिर्माण प्रक्रिया में अतिरिक्त निविष्टि का उपयोग करना चाहता है तो पात्र निर्यातक स्वघोषणा और स्व–अनुसमर्थन के आधार पर इस स्कीम के अंतर्गत अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी कर सकता है तथा ऐसे मामलों को मानदंडों के अनुसमर्थन हेतु मानदंड समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस स्कीम के तहत निर्धारित प्रपत्र में सनदी अभियंता के प्रमाण–पत्र के साथ आवेदन किया जा सकता है।

(ii) इस स्कीम के तहत सनदी अभियंता जिसे विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और सम्बद्ध अधिनियमों तथा उनके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत पिछले 5 वर्शों में दंडित नहीं किया

गया है, का प्रमाणपत्र ही प्राधिकार पत्र प्रदान किए जाने के लिए स्वीकार किया जाएगा।

(iii) इस स्कीम को लागू करने की विस्तृत प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक में निर्धारित की जाएगी।

(iv) निर्यातक (विनिर्माता या व्यापारी) जिसके पास सीबीईसी के साथ सामान्य प्रत्यायन कार्यक्रम के अंतर्गत एईओ प्रमाण पत्र है, इस स्कीम को चुनने के लिए पात्र है।

(v) यह स्कीम निम्नलिखित निर्यात उत्पादों के लिए उपलब्ध नहीं होगीः

क) आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय–1 से 24, और अध्याय–71 के तहत शामिल सभी मदें;

ख) जैव प्रौद्योगिकी मदें और संबंधित उत्पाद; तथा

ग) स्कोमेट मद।

(vi) यह स्कीम निम्नलिखित निविष्टियों के लिए उपलब्ध नहीं होगीः

क) आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय–15 के अंतर्गत वर्गीकृत सभी वनस्पति/खाद्य तेल और अध्याय–12 के अंतर्गत वर्गीकृत सभी प्रकार के तिलहन;

ख) आईटीसी (एचएस) पुस्तक के अध्याय–10 के अंतर्गत वर्गीकृत सभी प्रकार के अनाज;

ग) पशु की सींग, खुर और अन्य कोई अंग;

घ) वन्यजीव उत्पाद, अंग और उनके अपशिष्ट;

ड.) शहद;

च) 30 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क के साथ सभी मदें;

छ) आईटीसी (एचएस) कोड के अध्याय–7 और 8 के अंतर्गत वर्गीकृत सभी प्रकार के फल/बादाम/सब्जियां।

ज) आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के शीर्षक 2515, 2516, 3301, 3302, 3303, 6801 और 6802 के अतंर्गत आने वाली मदें

झ) आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 50 से 63 के अंतर्गत आने वाली मदें

ञ) एसीटिक एनहाईड्राइड, एफेड्राइन और स्यूडो एफेड्राइन

ट) विटामिन

ठ) जैव प्रौद्योगिकी मदें और संबंधित उत्पाद

ड) कीटनाशक, चूहा नाशक, कवकनाशी, शाकनाशी, एन्टी स्प्राउटिंग उत्पाद और पौधा वृद्धि विनियामक, डिस्इन्फेक्टेंट और सभी आकार, किस्म और ग्रेडों के इसी तरह के उत्पाद

ढ) सभी किस्म का अपशिष्ट/कचरा और

ण) पुरानी वस्तुएं

(vii) आयातित निविष्टि पूर्व–आयात भार्त के अधीन होंगे तथा इन्हें निर्यात उत्पाद में वास्तविक रूप से (अपशिष्ट हेतु सामान्य अनुमति देने पर) शामिल किया जाएगा। अवैधीकरण/एआरओ के अंतर्गत स्थानीय अधिप्राप्ति किए जाने के मामले में निविष्टियों की निर्यात मद के विनिर्माण से पूर्व अधिप्राप्ति की जाएगी तथा निर्यात उत्पाद में वास्तविक रूप से शामिल किया जाएगा।

(viii) जब भी विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न उपोत्पादों और पुनः प्राप्ति योग्य अपशिष्ट का मूल्य सीआईएफ मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक हो तो मुख्य निविष्टि की तद्नुरूपी मात्रा को पात्रता से इस हद तक कम किया जाएगा कि इसकी अस्वीकृत मात्रा का मूल्य विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न उपोत्पादों और पुनः प्राप्ति योग्य अपशिष्ट के मूल्य के बराबर हो।

(ix) महानिदेशक, विदेश व्यापार अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति विनिर्माता की लेखा परीक्षा कर सकता है। लेखा परीक्षा की आवृत्ति और पद्धति का निर्धारण विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रक्रिया पुस्तक में किया जाएगा। लेखा परीक्षा समय पर पूरा करने हेतु यथा अपेक्षित खाताबही/अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए विनिर्माता को आव यक सुविधा, जानकारी और सहायता प्रदान करनी होगी। उत्पादन और उपभोग संबंधी दस्तावेजों/आँकड़ों की अनुपलब्धता को मिथ्या घोषणा और छलपूर्ण कार्यकलापों में भाामिल होना माना जाएगा तथा यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और उसके तहत निर्मित नियमों के तहत दण्डित किया जाएगा।

(x) महानिदेशक, विदेश व्यापार अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति छानबीन/पूछताछ/जाँच– पड़ताल के किसी भी चरण पर मामले के स्वरूप और जटिलता तथा सरकार के राजस्व को देखते हुए यदि उसे यह लगता है कि मानदण्डों का अनुपालन सही ढंग से नहीं किया गया है अथवा अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर लिया गया है तो, विशेष लेखा परीक्षा तब भी की जा सकती है, चाहें विनिर्माता की लेखापरीक्षा पहले भी की जा चुकी हो।

(xi) यदि लेखा परीक्षा से मिथ्या घोषणा और अथवा ऐसी निविष्टियों के दावे की घटना का पता लगता है जिनका उपयोग विनिर्माण प्रक्रिया में नहीं किया गया है अथवा उपयोग की गई निविष्टियों की माँग की तुलना में अतिरिक्त मात्रा का पता लगने पर यथा संशोधित विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम, 1992 और/अथवा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और उसके तहत निर्मित नियमों के अनुसार प्राधिकार पत्र धारक, विनिर्माता और चार्ट्र्ड इंजीनियर के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जाएगी।

(xii) उन मामलों में जहां सनदी अभियन्ता ने पूर्ण विचार–विमर्श नहीं किया है या जानबूझकर गलत घोशषा करते हुए उसका पक्षकार बन गया है ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और उसके तहत निर्मित नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले संस्थान के उपनियमों के तहत यथा आवश्यक कार्रवाई करने हेतु, 'इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया)' को भी भेजे जाएंगे।

(xiii) अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के लिए लागू सभी प्रावधान इस स्कीम के लिए भी लागू होंगे जब तक कि वे इस स्कीम के लिए असंगत न हों।

4.08 मूल्यवर्धन

इस अध्याय के प्रयोजनार्थ मूल्यवर्धन (रत्न और आभूषण क्षेत्र के अलावा जिसके लिए मूल्यवर्धन विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.38 में निर्धारित किया गया है) निम्नवत होगाः

मूल्य वर्धन = $\frac{\text{ए-बी}}{\text{बी}}$ x100, जहाँ पर

ए = किए गए निर्यात का एफओबी मूल्य/प्राप्त की गई आपूर्ति का एफओआर मूल्य

बी = प्राधिकार-पत्र द्वारा शामिल निविष्टियों का सीआईएफ मूल्य तथा साथ में प्रयुक्त की गई अन्य कोई निविष्टियाँ जिस पर डीबीके लाभ का दावा किया गया है अथवा दावा किया जाना है।

4.09 न्यूनतम मूल्यवर्धन

(i) अग्रिम प्राधिकार-पत्र के तहत प्राप्त किए जाने हेतु न्यूनतम मूल्य वर्धन 15 % है।

(ii) निर्यात उत्पाद जहाँ पर मूल्यवर्धन 15% से कम हो सकता है, को परिशिष्ट 4घ में दिया गया है।

(iii) हटा दिया गया है।

(iv) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए न्यूनतम मूल्यवर्धन प्रक्रिया-पुस्तक के पैराग्राफ सं0 4.61 में दिया गया है।

(v) चाय के आयात के मामले में, न्यूनतम मूल्यवर्धन 50% होगा।

4.10 अनिवार्य पुर्जों का आयात

अनिवार्य पुर्जों का आयात जिन्हें परिणामी उत्पाद सहित निर्यात/ आपूर्ति किया जाना अपेक्षित है, को प्राधिकार-पत्र के सीआईएफ मूल्य के 10% की सीमा तक शुल्क मुक्त अनुमत किया जाएगा।

4.11 स्व-घोषणा आधार पर आयात की अपात्र श्रेणियाँ

(क) निम्नलिखित उत्पादों का आयात स्व-घोषणा आधार पर अनुमत नहीं होगाः-

(i) आईटीसी(एचएस) पुस्तक के अध्याय-15 के तहत वर्गीकृत सभी वनस्पति/खाद्य तेल और अध्याय-12 के तहत वर्गीकृत सभी प्रकार के तिलहन।

(ii) आईटीसी(एचएस) पुस्तक के अध्याय-10 के तहत वर्गीकृत सभी प्रकार के अनाज।

(iii) आईटीसी(एचएस) पुस्तक के अध्याय-9 और 12 के तहत वर्गीकृत सभी 30% से अधिक मूल सीमा-शुल्क सहित हल्की काली मिर्च (हल्की बैरी) के अलावा सभी मसाले

(iv) आईटीसी(एचएस) पुस्तक के अध्याय-7 और अध्याय-8 के तहत वर्गीकृत सभी प्रकार के फल/सब्जियाँ जिनके ऊपर 30% से अधिक शुल्क है।

(v) सींग, खुर और पशु का अन्य कोई अंग

(vi) शहद

(vii) अपरिष्कृत संगमरमर, ब्लॉक्स/स्लैब्स और

(viii) अपरिष्कृत ग्रेनाइट

(ix) भेषज उद्योग में प्रयोग किए जाने के अलावा विटामिन।

(ख) विटामिन सहित, परफ्यूम, परफ्यूमरी यौगिकों और विविध संभरण अंशों के निर्यात के लिए, प्रक्रिया-पुस्तक, के पैराग्राफ 4.07 के तहत क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा कोई प्राधिकार-पत्र जारी नहीं किया जाएगा और आवेदकों को मानदण्ड समिति के पास प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.06 के तहत आवेदन करना होगा।

(ग) जहां पर प्रौद्योगिकी मदों और संबंधित उत्पादों का निर्यात और/अथवा आयात शामिल है, प्राधिकार-पत्र क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रक्रिया-पुस्तक के पैराग्राफ 4.07 के तहत प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा केवल एक ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' सौंपने पर जारी किया जाएगा।

4.12 निविष्टियों की गणना

(i) जहाँ पर सिओन (क) जेनेरिक निविष्टि अथवा (ख) वैकल्पिक निविष्टि को अनुमत करता है जब तक कि मात्रा के साथ विशिष्ट निविष्टि को (जिसे निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त कर लिया गया है) पोतलदान बिल में दर्शाया/शामिल नहीं कर लिया जाता और ऐसे पृष्ठांकन में जहाँ निविष्टियाँ, विनिर्दिष्ट मात्रा के भीतर और संबंद्ध प्रविष्टि बिल के विवरण से मेल नहीं खाती हैं, संबंधित प्राधिकार-पत्र

जारी नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में, प्राधिकार-पत्र में प्रयुक्त (अथवा प्रयोग की जाने वाली) निविष्टि का नाम/विवरण पोतलदान बिल में पृष्ठांकित नाम/विवरण से पूर्णतया मिलना चाहिए।

(ii) इसके अतिरिक्त, यदि किसी सिओन में निविष्टियों (एक से अधिक निविष्टि) की संख्या के सामने कोई एकल मात्रा दर्शाई गई है, तो आयात हेतु अनुमेय ऐसी निविष्टियों की मात्रा निविष्टियों के ऐसे समूह के सामने समग्र मात्रा के भीतर उत्पादन में वास्तविक रूप से प्रयुक्त/उपयोग की गई इन निविष्टियों की मात्रा के अनुपात में होंगी। निर्यात उत्पाद के उत्पादन में वास्तविक रूप में प्रयुक्त/उपयोग की गई इन निविष्टियों का अनुपात मात्रा के साथ पोतलदान बिलों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

(iii) निर्यात दायित्व के निर्वहन (ईओडीसी) के समय अथवा विप्रेषण के समय क्षेत्रीय प्राधिकारी केवल उन निविष्टियों को अनुमति देगा जो पोतलदान बिल में विशिष्ट रूप से दर्शाई गई हैं।

(iv) उपर्युक्त प्रावधान विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज़) को की जाने वाली आपूर्तियों और मान्य निर्यात के तहत की गई आपूर्तियों के लिए भी लागू होगा। ऊपर दिए गए ब्यौरे को संगत निर्यात बिल, एआरई–3, केन्द्रीय उत्पाद प्रमाणित बीजक/आयात दस्तावेज/जीएसटी नियमों के अंतर्गत विहित निर्यात हेतु कर संबंधी बीजक में दर्शाना होगा।

4.13 कतिपय मामलों में आयात पूर्व शर्त

(i) डीजीएफटी इस अध्याय के तहत अधिसूचना द्वारा निविष्टि हेतु आयात-पूर्व शर्तें अधिरोपित कर सकता है।

(ii) आयात-पूर्व शर्त के अधीन आयात मदों को परिशिष्ट-4ञ में सूचीबद्ध किया गया है अथवा ये मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड (सिओन) के अनुसार होंगी।

(iii) अपंजीकृत स्रोतों से औषधियों के आयात हेतु आयात- पूर्व शर्त अधिरोपित की जाएगी।

4.14 छूट प्राप्त शुल्कों का ब्यौरा

अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातों को मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, शिक्षा उपकर, पाटन रोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, सुरक्षोपाय शुल्क, पारगमन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षोपाय शुल्क जहाँ भी लागू हो, के भुगतान से छूट प्राप्त है। विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.02(ग), (घ) और (छ) के तहत शामिल आपूतियों के तहत आयात लागू पाटनरोधी शुल्क, प्रतिकारी शुल्क, सुरक्षोपाय शुल्क, पारगमन उत्पाद विशिष्ट सुरक्षोपाय शुल्क, यदि कोई है, के भुगतान से छूट प्राप्त नहीं है। तथापि, वास्तविक निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयात को भी राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में यथा

प्रदत्त सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के तहत लगाए जाने वाले क्रमशः संपूर्ण एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर से छूट प्राप्त है, और ऐसे आयात पूर्व–आयात शर्त के अधीन होंगे। वास्तविक निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार–पत्र के तहत आयात को समेकित कर और क्षतिपूर्ति उप–कर से केवल 31.03.2018 तक छूट प्राप्त है।

4.15 शुल्क वापसी की स्वीकार्यता

राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा निश्चित और निर्धारित दर के अनुसार शुल्क वापसी निर्यात उत्पाद में उपयोग की गई शुल्क प्रदत्त आयातित अथवा स्वदेशी निविष्टियों (जो मानदण्डों में विनिर्दिष्ट नहीं है) के लिए उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन हेतु, आवेदक को अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन में शुल्क प्रदत्त निविष्टियों का ब्यौरा स्पष्ट रूप से देना होगा। आवेदन में उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी को अग्रिम प्राधिकार-पत्र की भार्त में ऐसी प्रदत्त निविष्टि शुल्कों के ब्यौरे को स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित भी करना होगा।

4.16 अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु वास्तविक प्रयोक्ता शर्त

(i) अग्रिम प्राधिकार पत्र और/अथवा अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित सामग्री 'वास्तविक प्रयोक्ता' शर्त के अधीन होगी। यह निर्यात दायित्व पूरा किए जाने के पश्चात भी हस्तांतरणीय नहीं होगी। तथापि प्राधिकार पत्र धारक के पास निर्यात दायित्व के पूरा हो जाने पर शुल्क मुक्त निविष्टि से विनिर्मित उत्पाद का निपटान करने का विकल्प होगा।

(ii) निर्यातित दायित्व के पूरा होने के पश्चात् भी यदि निर्यातित माल के लिए निविष्टियों पर सेनवैट/इनपुट टैक्स क्रेडिट सुविधा प्राप्त की गई है, तो इस अग्रिम प्राधिकार पत्र से आयातित माल का उपयोग या तो समान कारखाने के भीतर अथवा बाहर (सहायक के विनिर्माता द्वारा) शुल्क योग्य माल के विनिर्माण में किया जाएगा। इसके लिए, प्राधिकार पत्र धारक निर्यातक के विकल्प पर निर्यात दायित्व निपटान प्रमाणपत्र हेतु संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करते समय या तो संबंधित क्षेत्राधिकार के केन्द्रीय सीमाशुल्क प्राधिकारी अथवा सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

(iii) विनिर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट/रद्दी का निपटान जैसा कि अनुमत है, निर्यात दायित्व को पूरा किए जाने के कहीं पहले लागू शुल्क के भुगतान पर किया जा सकता है।

4.17 आयात के लिए वैधता अवधि और इसका विस्तार

अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयात के लिए वैधता अवधि प्रक्रिया पुस्तक के अनुसार होगी।

4.18 उन मदों के आयात/निर्यात किए जाने की पात्रता जो निषिद्ध/प्रतिबंधित/एसटीई मदें हैं।

(i) किसी मद के निर्यात अथवा आयात की अनुमति अग्रिम प्राधिकार पत्र/ शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र के तहत उस स्थिति में नहीं दी जाएगी यदि वह मद क्रमशः निर्यात अथवा आयात के लिए निषिद्ध हो। किसी निषिद्ध मद के निर्यात की अनुमति अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत दी जा सकती है बशर्ते इसे पृथक रूप से इसमे दी गई शर्तों के अधीन इस प्रकार अधिसूचित किया गया हो।

(ii) राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा आयात हेतु आरक्षित मदों को अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए प्रमाणपत्र के मद्दे आयात नहीं किया जा सकता। तथापि, ये मदें ए.आर.ओ. अथवा अवैधीकरण पत्र के मद्दे राज्य व्यापार उद्यमों से खरीदी जा सकती हैं। अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए धारक को समुद्री मार्ग के माध्यम से बिक्री के आधार पर माल की बिक्री की अनुमति राज्य व्यापार उद्यमों को भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य व्यापार उद्यमों को अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए धारक द्वारा आयात के लिए ''अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी)'' जारी करने की अनुमति है। प्राधिकार पत्र धारक को उन ''अनापत्ति प्रमाणपत्र'' के मद्दे किए गए आयातों की तिमाही विवरणी संबंधित राज्य व्यापार उद्यम को प्रस्तुत करनी होगी और राज्य व्यापार उद्यम, ऐसे आयातों के अर्द्धवार्षिक आयात आँकड़े, निगरानी हेतु संबंधित प्रशासनिक विभाग को भेजेंगे और इसकी एक प्रति विदेश व्यापार महानिदेशालय को भेजेंगे।

(iii) राज्य व्यापार उद्यमों द्वारा निर्यात के लिए आरक्षित मदें संबंधित राज्य व्यापार उद्यम से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के बाद ही अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए के तहत निर्यात की जा सकती हैं ।

(iv) प्रतिबंधित मदों का आयात अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए के तहत अनुमत होगा ।

(v) तथापि, प्रतिबंधित/स्कोमैट मदों का निर्यात, निर्यात प्राधिकार पत्र अथवा अनुज्ञा पत्र की सभी शर्तों अथवा अपेक्षाओं जैसा भी आवश्यक हो, के अधीन आईटीसी (एचएस) की अनुसूची-2 के तहत होगा ।

4.19 विदेशी क्रेता द्वारा निःशुल्क आपूर्ति

अग्रिम प्राधिकार पत्र वहां भी उपलब्ध होगा जहां विदेशी क्रेता द्वारा निर्यातक को कुछ या सभी निविष्टियों की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है। ऐसे मामलों में, मूल्य संवर्धन के परिकलन हेतु निःशुल्क निविष्टि के अनुमानित मूल्य को आयात के सीआईएफ मूल्य और निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में जोड़ा जाएगा। तथापि, निर्यात लाभ की प्राप्ति ऐसी निविष्टि के अनुमानित मूल्य को निकाल देने के बाद की धनराशि के समतुल्य होगी।

4.20 निविष्टियों की घरेलू प्राप्ति

(i) अग्रिम प्राधिकार पत्र/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र धारक आयात के बदले स्वदेशी आपूर्तिकर्ता/राज्य व्यापार उद्यम/ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी/एसटीपी से सीधे निविष्टि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी प्राप्ति अग्रिम निर्गम आदेश या अमान्यकरण पत्र के मद्दे की जा सकती है।

(ii) जब घरेलू आपूर्तिकर्ता दूसरे अग्रिम प्राधिकार पत्र/ डीएफआईए/ईपीसीजी प्राधिकार पत्र को परिणामी उत्पाद की आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र के माध्यम से निविष्टि हेतु शुल्क मुक्त सामग्री प्राप्त करना चाहता है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी अमान्यकरण पत्र जारी करेगा।

(iii) क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम निर्गम आदेश जारी करेगा जो विदेश व्यापार नीति के अध्याय–7 के प्रावधानों के अनुसार घरेलू आपूतिकर्ता को मान्य निर्यात प्रणाली के द्वारा शुल्क वापस लेने में सक्षम बनाता है।

(iv) क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार पत्र के साथ ही या उसके बाद अग्रिम निर्गम आदेश या अमान्यकरण पत्र जारी कर सकता है।

(v) डीटीए के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक अग्रिम निर्गम आदेश या अमान्यकरण पत्र प्राप्त किए बिना एसईजेड यूनिटों से निविष्टि प्राप्त कर सकते हैं।

(vi) हटा दिया गया है।

(vii) अग्रिम निर्गम आदेश या अमान्यकरण पत्र की वैधता प्राधिकार पत्र की वैधता की सहमियादी (को-टर्मिनस) होगी।

4.21 निर्यात लाभ की प्राप्ति हेतु मुद्रा

(i) यदि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो तो निर्यात लाभ मुक्त रूप से परिवर्तनशील मुद्रा में प्राप्त किया जाएगा। निर्यात लाभ प्राप्त करने या नहीं करने से संबंधित प्रावधान विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.52, 2. 53 और 2.54 में दिए गए हैं।

(ii) हटा दिया गया है।

(iii) एसईजेड यूनिटों को किए गए निर्यात को निर्यात दायित्व के भुगतान हेतु ध्यान में रखा जाएगा बशर्ते कि एसईजेड यूनिट के विदेशी मुद्रा खाते से भुगतान की प्राप्ति हुई हो।

(iv) एसईजेड विकासकर्ताओं/सह-विकासकर्ताओं को किए गए निर्यात को भारतीय रुपए में भुगतान होने के बावजूद निर्यात दायित्व के भुगतान हेतु भी ध्यान में रखा जा सकता है।

(v) प्राधिकार पत्र धारक के लिए एसईजेड नियमावली, 2006 में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार एसईजेड यूनिट/विकासकर्ता/ सह-विकासकर्ता को किए गए निर्यात के लिए निर्यात बिल प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4.22 निर्यात दायित्व अवधि और इसका विस्तार

अग्रिम प्राधिकार पत्र के अधीन निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि और इसका विस्तार प्रक्रिया पुस्तक में यथा निर्धारित अवधि होगी।

4.23 हटा दिया गया है।

4.24 शुल्क मुक्त/छूट स्कीम के अंतर्गत निर्यात माल का पुनः आयात

अग्रिम प्राधिकार पत्र/शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र के अंतर्गत निर्यात माल को उसी रूप में अथवा काफी हद तक उसी रूप में पुनः आयात किया जा सकता है बशर्ते राजस्व विभाग द्वारा ऐसा उल्लेख किया गया हो। प्राधिकार पत्र धारक ऐसे पुनः आयात के बारे में पुनः आयात की तारीख से एक मास के अन्दर उस क्षेत्रीय प्राधिकरण को भी सूचित करेगा जिसने प्राधिकार पत्र जारी किया था।

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र स्कीम (डीएफआईए)

4.25 डीएफआईए स्कीम

(क) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र को निविष्टि, के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, निर्यात उत्पाद के उत्पादन में खपत/उपयोग किए जाने वाले तेल और उत्प्रेरक को भी आयात की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(ख) विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.12, 4.18, 4.20, 4.21 और 4.24 के प्रावधान डीएफआईए पर भी लागू होंगे।

(ग) डीएफआईए स्कीम खांड के आयात के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

4.26 छूट दिए जाने वाले शुल्क

(i) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र में केवल मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) के भुगतान से छूट प्रदान की जाएगी।
(ii) हटा दिया गया है।
(iii) शुल्क वापसी सीमा-शुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित और स्थिर की गई दर के अनुसार शुल्क प्रदत्त की गई निविष्टियों के लिए उपलब्ध होगी, निर्यात उत्पाद

में प्रयुक्त वे निविष्टियाँ चाहे आयातित हों अथवा स्वदेशी। तथापि, सिओन में अविनिर्दिष्ट निविष्टियों के लिए यदि शुल्क-वापसी का दावा किया गया है तो आवेदक को शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र के लिए आवेदन-पत्र में शुल्क प्रदत्त ऐसी निविष्टियों के विवरणों को स्पष्टतया दर्शाना चाहिए और आवेदन-पत्र में उल्लिखित विवरणों के अनुसार, क्षेत्रीय प्राधिकारी को शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार-पत्र के शर्त पत्र में, शुल्क प्रदत्त ऐसी निविष्टियों के विवरणों को स्पष्टतया दर्शाना चाहिए।

4.27 पात्रता

(i) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र को निर्यात के पश्चात ऐसे उत्पादों के लिए जारी किया जाएगा जिनके लिए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों को अधिसूचित किया गया है।

(ii) व्यापारी निर्यातक द्वारा निर्यात प्रलेख अर्थात पोत लदान बिल/निर्यात बिल/जीएसटी नियमावली के तहत निर्धारित निर्यात हेतु कर बीजक पर निर्यात उत्पाद के सहायक उत्पादक का नाम और पते का उल्लेख करना अपेक्षित होगा।

(iii) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात करने से पूर्व संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iv) ऐसी निविष्टि के लिए कोई शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा जो आयात–पूर्व शर्त के अधीन हो अथवा जहां सिओन 'वास्तविक प्रयोक्ता' शर्त निर्धारित करता हो तथा/अथवा परिशिष्ट–4ञ ऐसी निविष्टि के लिए आयात–पूर्व शर्त निर्धारित करता हो।

4.28 न्यूनतम मूल्य संवर्धन

न्यूनतम 20 प्रतिशत मूल्य संवर्धन की प्राप्ति किया जाना अपेक्षित होगा।

4.29 डीएफआईए की वैधता एवं अंतरण

(i) डीएफआईए के अंतर्गत निर्यात शुरू करने से पूर्व आवेदक को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

(ii) निर्यात आवेदन की ऑनलाइन फाइलिंग और फाइल संख्या सृजित किए जाने की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा करना होगा।

(iii) निर्यात आपूर्ति करते समय आवेदक निर्यात प्रलेखों अर्थात पोत लदान बिल/निर्यात बिल/जीएसटी नियमावली के तहत निर्धारित आपूर्ति के लिए कर बीजक पर फाइल सं. इंगित करेगा।

(iv) विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.12 के अनुसार जहां पर सिओन (क) जेनेरिक निविष्टि अथवा (ख) वैकल्पिक निविष्टि के उपयोग को अनुमत करता है, वहां विशिष्ट निविशिष्ट को उसकी मात्रा (जिसे निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में उपयोग किया गया है) के साथ संबंधित पोतलदान बिल/निर्यात बिल/जीएसटी नियमों के तहत निर्धारित आपूर्ति हेतु कर–बीजक में

दर्शाया/पृष्ठांकित किया जाना चाहिए। ऐसी जेनेरिक निविष्टि/वैकल्पिक निविष्टि के मद्दे समग्र मात्रा के भीतर उत्पादन में इन निविष्टियों की वास्तविक रूप से प्रयुक्त/खपत की गई मात्रा के अनुपात में प्राधिकार–पत्र में आयात के लिए ही इन निविष्टियों को अनुमत किया जा सकता है।

(v) इसके अतिरिक्त यदि किसी सिओन में निविष्टियों (एक से अधिक निविष्टि) की संख्या के मद्दे कोई एकल मात्रा दर्शाई गई है तो आयात हेतु अनुमेय ऐसी निविष्टियों की मात्रा ऐसी निविष्टियों के समूह के मद्दे समग्र मात्रा के भीतर उत्पादन में वास्तविक रूप से प्रयुक्त/खपत की गई और पोतलदान बिल/निर्यात बिल/जीएसटी नियमों के तहत निर्धारित आपूर्ति हेतु कर–बीजक में घोषित इन निविष्टियों की मात्रा के अनुपात में होगी। निर्यात उत्पाद के उत्पादन में वास्तविक रूप से प्रयुक्त/खपत की गई नइ निविष्टियों का अनुपात पोत लदान बिल/जीएसटी नियमों के तहत निर्धारित आपूर्ति हेतु कर–बीजक में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा।

(vi) प्रत्येक सिओन और प्रत्येक पत्तन हेतु अलग डीएफआईए जारी किया जाएगा।

(vii) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.37 में दिए गए उल्लेख के अनुसार डीएफआईए के अंतर्गत निर्यात एक ही पत्तन से किया जाएगा।

(viii) क्षेत्रीय प्राधिकरण हस्तांतरणीय डीएफआईए को इसे जारी किए जाने की तिथि से 12 मास की वैधता के साथ जारी करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा आगे कोई वैधता प्रदान नहीं की जाएगी।

4.30 शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र के तहत संवेदनशील मदें

(क) निम्नलिखित निविष्टियों के संबंध में निर्यातक द्वारा पोतलदान बिल में तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विशिष्टता संबंधी घोषणा प्रदान करना अपेक्षित होगाः

''स्टेनलेस स्टील सहित मिश्रधातु स्टील, कॉपर मिश्रधातु, कृत्रिम रबड़, बियरिंग्स,साल्वेंट, परफ्यूम/खाद्य तेल/सुगंध युक्त रसायन, सर्फेक्टेंट, संबंधित वस्त्र, मार्बल,पोलीप्रोपिलिन से बनी वस्तुएं,कागज और कागज बोर्ड से बनी वस्तुएं, कीटनाशक सीसा इन्गाट, जिंक इन्गाट, सिट्रिक एसिड, संबंधित ग्लास फाइबर रिइन्फार्समेंट (ग्लास फाइबर, चाप्ड/ स्ट्रेंडिड मैट, रॉविग वोवन सर्फेसिंग मैट), संबंधित सिंथेटिक रेजिन (अन्सेचूरेटिड पालीस्टर रेजिन, इपॉक्सी रेजिन, विनाइल एस्टर रेजिन, हाइड्रोक्सि इथाइल सेल्यूलोज), लाइनिंग सामग्री''

(ख) शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र जारी करते समय क्षेत्रीय प्राधिकरण प्राधिकार पत्र में इन निविष्टियों के संबंध में तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विशेषीकरण का उल्लेख करेगा।

रत्न एवं आभूषण के निर्यातकों के लिए स्कीम

4.31 निविष्टि का आयात

रत्न एवं आभूषण के निर्यातक निर्यात उत्पाद के विनिर्माण के लिए शुल्क मुक्त (सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लेवी योग्य एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर को छोड़कर) निविष्टियों का आयात/को प्राप्त कर सकते हैं।

4.32 निर्यात की मदें

निम्नलिखित मदें, यदि उनका निर्यात किया जाता है, सुविधाओं के लिए पात्र होंगीः

(i) पदकों और सिक्कों (वैध सिक्कों को छोड़कर) चाहे वे सामान्य अथवा जड़े हुए हों, जिनमें 8 कैरेट या अधिक सोना जिसकी अधिकतम सीमा 22 कैरेट हो, सहित आंशिक रूप से संसाधित आभूषण अथवा वस्तुओं सहित स्वर्ण आभूषण;

(ii) पदकों और सिक्कों (वैध सिक्कों और किसी इंजीनियरिंग माल को छोड़कर) जिनमें अपने भार के 50 प्रतिशत से अधिक चांदी हो, सहित आंशिक रूप से संसाधित आभूषण, चांदी की वस्तुएं, चांदी की स्ट्रिप्स और वस्तुओं सहित चांदी के आभूषण;

(iii) पदकों और सिक्कों (वैध सिक्कों और किसी इंजीनियरिंग माल को छोड़कर) जिनमें अपने भार के 50 प्रतिशत से अधिक प्लैटिनम हो, सहित आंशिक रूप से संसाधित आभूषण और वस्तुओं सहित प्लैटिनम आभूषण।

4.33 योजनाएं

योजनाएं निम्नवत हैंः

(i) नामित एजेंसियों से कीमती धातुओं की अग्रिम प्राप्ति/पुनःपूर्ति;

(ii) रत्नों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र;

(iii) उपभोज्यों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र;

(iv) कीमती धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र।

4.34 नामित एजेंसियों से कीमती धातुओं की अग्रिम प्राप्ति/पुनःपूर्ति

माउंटिंग्स और फाइनडिंग्स सहित सोने/चांदी/प्लैटिनम आभूषण और उनकी वस्तुओं के निर्यातक, नामित एजेंसी से इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में अग्रिम रूप से अथवा निर्यात के बाद पुनःपूर्ति के रूप में, निर्यात उत्पाद की निविष्टि के रूप में सोना/चांदी/प्लैटिनम प्राप्त कर सकते हैं।

यदि निर्यातक/विनिर्माता निर्यातित उत्पाद संबंधी निम्नलिखित में कोई लाभ प्राप्त करता है, तो उसे बहुमूल्य धातु की कोई पुनःपूर्ति प्राप्त नहीं होगी।

(क) विनिर्माता द्वारा निविष्टियों और सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ प्राप्त किया गया है।

(ख) तैयार माल अवस्था संबंधी छूट अधिसूचना सं0.19/2004 सीई (एनटी) दिनांक 06.09.2004 के तहत प्राप्त की गई है।

(ग) बहुमूल्य धातु अथवा बहुमूल्य धातु की वस्तुओं पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क के संबंध में अधिसूचना सं0 21/2004-सीई (एनटी) दिनांक 06.09.2004 के तहत निविष्टि चरण छूट प्राप्त की गई है।

(घ) विनिर्माता द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 19(2) के तहत बहुमूल्य धातु अथवा बहुमूल्य धातु की वस्तुएं प्राप्त की गई हैं।

(ड.) निर्यातक द्वारा निविष्टियों अथवा सेवाओं पर सीजीएसटी अधिनियम के अध्याय–5 के तहत निविष्टि कर क्रेडिट प्राप्त किया गया हैः अथवा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54 के तहत आईटीसी की वापसी अथवा आईजीएसटी की वापसी प्राप्त की गई है।

(ii) निर्यात प्रक्रिया पुस्तक के क्रमशः पैरा 4.60 और 4.61 में यथा उल्लिखित अपशिष्ट मानदंडों और न्यूनतम मूल्य संवर्धन के अधीन होगा।

4.35 रत्नों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र

(i) निर्यातक प्रक्रिया-पुस्तक में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसरण में क्षेत्रीय प्राधिकरण से रत्नों के लिए परिशिष्ट–4च में निर्धारित पुनःपूर्ति दर के अनुसार पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। रत्नों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र मुक्त रूप से हस्तांतरणीय होगा।

(ii) रत्नों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र निर्यात के अधीन जारी किया जा सकता है जिसमें नामित एजेंसी (एफटीपी का पैराग्राफ 4.41) और विदेशी खरीदार (एफटीपी का पैराग्राफ 4.45) द्वारा की गई आपूर्ति के अधीन किया गया आयात शामिल है।

(iii) जड़े हुए सोने/चांदी/प्लैटिनम आभूषण और तत्संबंधी वस्तुओं के मामले में, रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र का मूल्य स्वीकार्य अपशिष्ट सहित सोने/चांदी/प्लैटिनम का मूल्य घटाने के बाद निर्यात के शेष पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य पर होगा। पुनःपूर्ति दर और आयात की मद प्रक्रिया-पुस्तक आयात-निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 4छ के अनुसार होगी।

4.36 उपभोज्यों के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र

(i) विगत वर्ष के निर्यातों के मूल्य के एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर कीमती धातुओं (सोने और प्लैटिनम के अलावा) से बने हुए आभूषण के लिए उपभोज्यों, टूल्स और अन्य मदों नामतः टैग्स एवं लेबल्स, कार्ड पर सुरक्षा सेंसर, स्टेपल कयर, पोली बैग (सीमा-शुल्क विभाग द्वारा यथा अधिसूचित) और विगत वर्ष के निर्यातों के एफओबी मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर कटे हुए और पॉलिश किए गए हीरों और सोने और चांदी से बने हुए आभूषणों के लिए शुल्क मुक्त (सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगाए गए एकीकृत कर और मुआवजा उपकर को छोड़कर) आयात के लिए पुनःपूर्ति प्राधिकार-पत्र निर्यात कार्यनिष्पादन दर्शाते हुए सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर जारी किया जा सकता है। तथापि, रोडियम के तैयार किए हुए

चांदी के आभूषणों पर ऐसे आभूषणों के लिए एफओबी मूल्य के 3 प्रतिशत की हकदारी होगी। यह प्राधिकार-पत्र गैर-हस्तांतरणीय होगा और वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा।

(ii) ऊपर दिए गए उपभोज्यों के आयात के लिए आवेदन-पत्र एएनएफ 4ज में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है।

4.37 कीमती धातुओं के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र

(क) इनके शुल्क मुक्त (सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगाए गए एकीकृत कर और मुआवजा उपकर को छोड़कर) आयात के लिए 'वास्तविक प्रयोक्ता' की शर्त के साथ आयात- पूर्व आधार पर अग्रिम प्राधिकार-पत्र प्रदान किया जाएगाः

(i) 0.995 तक की शुद्धता का सोना और 8 कैरेट या अधिक के माउंटिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स और फाइंडिंग्स;

(ii) कम से कम 0.995 शुद्धता की चांदी, और माउन्टिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिग्स जिनमें भार के रुप में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी हो ।

(iii) कम से कम 0.900 शुद्धता का प्लेटिनम और माउन्टिंग्स, सॉकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिग्स जिनमें भार के रुप में 50 प्रतिशत से अधिक प्लेटिनम हो ।

(ख) अग्रिम प्राधिकार पत्र में निर्यात दायित्व की शर्त लगाई जायेगी जिसे प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूरा करना अपेक्षित होगा।

(ग) विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.38 और प्रक्रिया पुस्तक, के पैरा 4.61 के अनुसार मूल्य संवर्धन होगा।

4.38 मूल्यवर्धन

रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए न्यूनतम मूल्य संवर्धन मानदंड प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.61 में दिए गए हैं। इसका आकलन निम्नानुसार किया जाएगाः-

$$\text{वी.ए} = \frac{\text{ए - बी}}{\text{बी}} \times 100$$ जहाँ

ए= प्राप्त निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/प्राप्त आपूर्ति का एफओआर मूल्य
बी=निविष्टियों का मूल्य (घरेलू स्रोतों से प्राप्ति सहित), जैसे निर्यात उत्पाद में स्वर्ण/ चांदी/प्लेटिनम का अंश तथा रत्न आदि जैसी अन्य मदों के मूल्य सहित अनुमत अपशिष्ट। जहाँ कहीं भी सोने को ऋण आधार पर दिया गया है, विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में ब्याज के भुगतान को भी मूल्य में शामिल किया जाएगा ।

4.39 छीजन मानदंड

सोने/चांदी/प्लेटिनम के जेवरात के लिए विनिर्माण हानि अथवा छीजन, प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.60 के अनुसार ग्राह्य होगी।

4.40 डीएफआईए की अनुपलब्धता

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र स्कीम रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

4.41 नामित एजेंसियां

(i) निर्यातक नामित एजेंसी से स्वर्ण/चांदी/ प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं। ईओयू के निर्यातक और एसईजेड की यूनिट क्रमशः विदेश व्यापार नीति के अध्याय-6 के प्रावधानों/एसईजेड नियमावली से अभिशासित होंगे।

(ii) नामित एजेंसियां ये हैं - एमएमटीसी लिमिटेड, हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच एच ई सी), राज्य व्यापार निगम (एस टी सी), भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी), एसटीसीएल लि0, एमएमटीसी लि0, डायमण्ड इण्डिया लि0 (डीआईएल)।

(iii) विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के तहत नामित अभिकरणों द्वारा सोने के आयात के संबंध में किसी प्रावधान के बावजूद, नामित अभिकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किसी चार सितारा और पांच सितारा हाऊस द्वारा सोने का आयात वास्तविक प्रयोक्ता भार्त के अधीन है तथा नामित अभिकरण प्रमाण पत्र की बकाया वैधता अवधि के दौरान उन्हें सोने का आयात करने की अनुमति स्वयं विनिर्माण के प्रयोजन हेतु केवल एक निविष्ट के रूप में तथा निर्यात करने के लिए प्राप्त है।

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक किसी अन्य एजेंसी को नामित एजेंसी के रूप में प्राधिकृत कर सकता है।

(v) नामित एजेंसी (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत और ईओयू और एसईजैड स्कीमों के तहत संचालित रत्न एवं आभूषण यूनिटों को छोड़कर) द्वारा बहुमूल्य धातु के आयात के लिए प्रक्रिया और उनकी निगरानी प्रणाली, प्रक्रिया पुस्तक में दिए गए प्रावधानों के अनुसार होगी ।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, शोधन हेतु स्वर्ण छीज़न का निर्यात तथा मानक स्वर्ण छड़ों का आयात कर सकता है ।

4.42 प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनः निर्यात के लिए हीरों का आयात

निम्नलिखित एजेन्सी का उनके द्वारा प्रमाणन/ ग्रेडिंग रिपोर्टों के प्रयोजन के लिए उनकी प्रयोगशालाओं हेतु हीरे आयात करने की अनुमति होगी बशर्ते कि इसे प्रक्रिया पुस्तक में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उनके द्वारा जारी प्रमाणन/ ग्रेडिंग रिपोर्टों के साथ पुनः निर्यातित किया जाएगाः

1 जैमोलोजिकल इन्स्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (जीआईए) मुम्बई, महाराष्ट्र

2 भारतीय हीरा संस्थान, सूरत, गुजरात

3 इंटरनेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ डायमंड ग्रेडिंग एण्ड रिसर्च इंडिया, प्राईवेट लिमिटेड, सूरत, गुजरात, इंडिया

4 एचआरडी डायमंड इन्स्टीटयूट प्राईवेट लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र, इंडिया

5 इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (इंडिया) प्रा0लि0, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, मुम्बई

4.43 कटे हुए और पॉलिश किए गए हीरों का प्रमाणन/ ग्रेडिंग और पुनः आयात के लिए निर्यात

0.25 कैरेट और ऊपर के हीरों के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए प्राधिकृत प्रयोगशालाओं की सूची प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.74 में दी गई है।

4.44 शून्य शुल्क पर पुनः आयात की सुविधा के साथ कटे और पालिश किए गए हीरों का निर्यात

एक निर्यातक (जिसका गत तीन वर्षों में से प्रत्येक में 5 करोड़ रु0 के निर्यात की वार्षिक कुल बिक्री हो) अथवा प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.74 के तहत उल्लिखित प्रयोगशालाओं के भारत के प्राधिकृत कार्यालय/अभिकरण विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.74 में उल्लिखित किसी भी अभिकरण/प्रयोगशाला को तराशे हुए और पालिश किए गए हीरे (प्रत्येक 0.25 कैरेट अथवा अधिक) का निर्यात कर सकता है जिसमें निर्यात की तिथि से 3 मास की अवधि के अंदर शून्य शुल्क की पुनः आयात की सुविधा दी गई है। ऐसी शून्य शुल्क की पुनः आयात सुविधा राजस्व विभाग के केन्द्रीय सीमाशुल्क एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

4.45 विदेशी खरीदारों द्वारा आपूर्ति किए जाने पर निर्यात

(i) जहां निर्यात आदेश नामित किए गए अभिकरणों/स्तर धारकों/तीन वर्षों के अनुभव वाले ऐसे निर्यातकों को दिया जाता है जिनकी पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वार्षिक औसत कुल बिक्री 5 करोड़ रुपये की हो, इसमें विदेशी खरीदार प्रभार मुक्त सोने/चांदी/प्लेटिनम/मिश्र धातुओं, विनिर्माण और निर्यात हेतु सोने/चांदी/प्लेटिनम की फाइंडिंग्स और माउंटिंग्स की अग्रिम आपूर्ति कर सकते हैं।

(ii) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.61 के अंतर्गत ऐसी आपूर्ति अग्रिम रूप से भी की जा सकती है तथा इसमें निर्धारित न्यूनतम मूल्य के अधीन मरम्मत/पुनः निर्माण तथा निर्यात हेतु फाइंडिंग्स/माउंटिंग्स/पुर्जों सहित अर्द्ध-तैयार गहने शामिल हो सकते हैं। निर्यात के ऐसे मामलों में प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.60 के अनुसार अपव्यय मानदंड लागू होंगे।

(iii) निर्यात नामित अभिकरणों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा उनके सहायकों अथवा स्तर धारकों/निर्यातकों के माध्यम से किया जा सकता है। फाइंडिंग्स का आयात और निर्यात निवल आधार पर किया जाएगा।

4.46 निर्यात संवर्धन दौरे/ ब्राण्डेड आभूषणों का निर्यात

(i) वाणिज्य विभाग के अनुमोदन से नामित एजेन्सियाँ और उनके सहयोगी रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुमोदन से विदेशों में प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम आभूषण और उनसे बनी वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं।

(ii) स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण, कीमती, अर्द्ध कीमती पत्थरों, मणियों और वस्तुओं को व्यक्तिगत तौर पर ले जाने तथा ब्राण्डेड आभूषण के निर्यात की भी अनुमति है बशर्ते ये प्रक्रिया पुस्तक, में दी गई शर्तों के अधीन हों।

4.47 निर्यात/आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर लाना-ले जाना

विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा रत्न और आभूषण के निर्यात पार्सलों तथा किसी भारतीय आयातक/विदेशी द्वारा आयात पार्सल को व्यक्तिगत तौर पर प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लाने-ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

4.48 डाक द्वारा निर्यात

विदेशी डाकघर के माध्यम से निर्यात के मामले में जिसमें स्पीड पोस्ट द्वारा निर्यात भी शामिल है, आभूषण के पार्सल भार के रुप में 20 किग्रा. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

4.49 निजी/सार्वजनिक अनुबद्ध माल गोदाम

तराशे और पॉलिश किए गए हीरों, तराशे और पॉलिश किए गए रंगीन रत्नों, बिना तराशे गए और बिना जड़े गए कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थरों के आयात और पुनर्निर्यात के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र/डीटीए में निजी/सार्वजनिक अनुबद्ध माल गोदाम स्थापित किए जा सकते हैं, जो डीटीए इकाइयों द्वारा 5% के न्यूनतम मूलयवर्द्धन के अधीन होंगे।

4.49(क) विशेष अधिसूचित क्षेत्र

समय–समय पर यथा संशोधित दिनांक 1 अप्रैल, 2014 की आरबीआई की अधिसूचना सं0 116 द्वारा यथा अधिसूचित कंपनी द्वारा कच्चे हीरे के आयात, नीलामी/ब्रिक्री और पुनः निर्यात सीमाशुल्क विभाग के पर्यवेक्षणाधीन, एसएनजेड के परिचालक द्वारा प्रशासित विशेष अधिसूचित क्षेत्र (एसएनजेड) में खेप अथवा एकमुश्त आधार पर अनुमत होगा। कच्चे हीरे (अनबिके) के आयात/नीलामी/बिक्री और पुनः निर्यात की प्रकिया सीबीईसी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

4.50 हीरे और जवाहरात संबंधी डॉलर खाते

(क) अपरिष्कृत या कटे और पालिश किए गए हीरों/रत्नों के सादे आभूषण, मीनाकारी और/या हीरे से जड़ित/रहित और/या अन्य पत्थर की खरीद/बिक्री करने वाली फर्में तथा कम्पनियाँ, जिनका हीरों/रंगीन रत्नों/हीरे व रंगीन रत्नों से जड़ित आभूषणों/सादे स्वर्ण आभूषणों के आयात या निर्यात में कम से कम 2 वर्षों का अनुभव हो और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 3 करोड़ या इससे अधिक का वार्षिक औसत कारोबार हो, नामजद हीरा डॉलर खातों (डी डी ए) के जरिये अपना व्यापार जारी रख सकती हैं ।

(ख) ऐसे खातों में डॉलर, बैंक वित्त और/या निर्यात आय से उपलब्ध होगा और इसका प्रयोग केवल निम्नलिखित हेतु होगा-

(i) विदेशी/स्थानीय स्रोतों से अपरिष्कृत हीरों का आयात/खरीद;

(ii) स्थानीय स्रोतों से कटे और पालिश हीरों, रंगीन रत्नों और सादे स्वर्ण आभूषणों की खरीद,

(iii) विदेशी/नामित एजेन्सियों से स्वर्ण का आयात/ खरीद तथा बैंक से डॉलर ऋणों की चुकौती, और

(iv) निर्यातक के रुपये खाते में हस्तातंरण। इस हीरा डॉलर खाता(डी डी ए) स्कीम के ब्यौरे प्रक्रिया पुस्तक में दिये गये हैं।

(ग) गैर डी डी ए धारक को भी कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों की डीडीए धारक को आपूर्ति करने, भुगतान डालर में लेने तथा इसे 7 दिन के भीतर रुपयों में बदलने की अनुमति है। कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों और रंगीन रत्नों की गैर डी डी ए धारक द्वारा की गई आपूर्ति को भी उसके निर्यात दायित्व की पूर्ति के रूप में माना जाएगा और/या उसे प्रतिपूर्ति प्राधिकार-पत्र का हक प्रदान करेगा।

4.51 परिशोधन तथा पुनः आयात के लिए कटे एवं पॉलिश किए हुए बहुमूल्य और अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को सीमाशुल्क नियमावली एवं विनियमन के अनुसार परिशोधन तथा पुनः आयात के लिए कटे एवं पालिश किए हुए बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों का निर्यात करने की अनुमति होगी । पुनः निर्यात के मामले में, निर्यातक नियमानुसार शुल्क वापसी का हकदार होगा।

4.52 अस्वीकृत आभूषणों का पुनः आयात

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को प्रक्रिया-पुस्तक, के पैरा 4.91 के अनुसार अस्वीकृत बहुमूल्य धातु आभूषणों का पुनः आयात करने की अनुमति होगी ।

4.53 खेप आधार पर निर्यात और आयात

रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को प्रक्रिया-पुस्तक के अनुसार और इस संबंध में सीमाशुल्क नियमावली और विनियमों के अनुसार खेप आधार पर हीरे, रत्न और आभूषणों के निर्यात और आयात की अनुमति होगी।

अध्याय - 5

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम

5.0 उद्देश्य

ईपीसीजी स्कीम का उद्देश्य भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत माल के आयात को सुविधाजनक बनाना है।

5.01 ईपीसीजी स्कीम

(क) ईपीसीजी स्कीम में शून्य सीमाशुल्क पर उत्पादन पूर्व, उत्पादन और उत्पादन-पश्च के लिए पूंजीगत माल के (परिशिष्ट 5 च में नकारात्मक सूची मे विनिर्दिष्ट को छोड़कर) आयात की अनुमति दी गई है। वास्तविक निर्यात के लिए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के तहत आयातित पूंजीगत माल को उस पर राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में यथा प्रदत्त सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की क्रमशः उपधारा (7) और उपधारा (9) के तहत लगाए जाने वाले आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर से केवल 31.03.2018 तक छूट प्राप्त है। वैकल्पिक रूप से प्राधिकार पत्र धारक विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.07 के प्रावधानों के अनुसार स्वदेशी स्रोतों से पूंजीगत माल प्राप्त कर सकते हैं। ईपीसीजी स्कीम के लिए निम्नलिखित पूंजीगत माल शामिल होंगे।

(i) सीकेडी/एसकेडी की शर्त सहित अध्याय 9 में यथा परिभाषित पूंजीगत माल;

(ii) कम्प्यूटर प्रणाली और साफ्टवेयर जो आयात किए जा रहे पूंजीगत माल का भाग है;

(iii) स्पेयर्स, मोल्ड्स, डाई, जिग्स, फिक्चर्स औजार और
रिफैक्ट्रीज और

(iv) प्रारंभिक प्रभार और बाद के प्रभार के लिए कैटेलिस्ट।

(ख) ईपीसीजी स्कीम के तहत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित परियोजना आयात के लिए पूंजीगत माल के आयात की भी अनुमति है।

(ग) ईपीसीजी स्कीम के तहत आयात प्राधिकार पत्र जारी होने की तिथि के बाद 6 वर्षों तक पूरा किए जाने वाले पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्कों, करों और उपकरों के 6 गुना के बराबर निर्यात दायित्व की शर्तों के अधीन किया जाएगा।

(घ) आयात के लिए प्राधिकार पत्र, प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख से 18 महीने तक वैध रहेगा। ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं होगी।

(ड.) यदि ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातों पर एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर नकद रुप में अदा किया गया है तो, एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर बचाए गए

निवल शुल्क के लिए नहीं लिया जाएगा बशर्ते कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ न उठाया गया हो।

(च) हटा दिया गया है।

(छ) हटा दिया गया है।

(ज) ईपीसीजी स्कीम के तहत मदों, जो आयात के लिए प्रतिबंधित हैं, का आयात विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) की एक्जिम सुविधा समिति (ईएफसी) से अनुमोदन के बाद ही अनुमत होगा।

(झ) यदि ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के अंतर्गत निर्यात किए जाने वाला माल निर्यात हेतु प्रतिबंधित है तो ईपीसीजी प्राधिकार पत्र को डीजीएफटी मुख्यालय की एक्जिम सुविधा समिति से निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही जारी किया जाएगा।

5.02 कवरेज

(क) ईपीसीजी स्कीम में सहायक विनिर्माता(ओं) के साथ या उनके बिना विनिर्माता निर्यातक, सहायक विनिर्माता (ओं) और सेवा प्रदाता(ओं) से जुड़े व्यापारी निर्यातक शामिल हैं। तथापि, सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) के मामले में सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) की फैक्ट्री/परिसर में पूंजीगत वस्तुओं के संस्थापन से पहले ईपीसीजी प्राधिकार पत्र पर सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) का नाम पृष्ठांकित किया जाएगा। सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) में कोई बदलाव होने की स्थिति में क्षेत्रीय प्राधिकारी इस बदलाव के बारे में क्षेत्राधिकार के मौजूदा सीमा–शुल्क प्राधिकारी के साथ-साथ बदले गए सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) और प्राधिकार पत्र के पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क विभाग को सूचित करेगा।

(ख) विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक के प्रावधानों के अधीन निर्यात संवर्धन पूँजीगत माल (ईपीसीजी) स्कीम में वह सेवा प्रदाता भी शामिल है, जो डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग अथवा निर्यात विशिष्ट शहर में स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल कारपोरेशन द्वारा एक सामान्य सेवा प्रदाता (सीएसपी) के तौर पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नामित/प्रमाणित हैः-

(i) सामान्य सेवा के प्रयोक्ताओं द्वारा किए गए निर्यात में संबंधित पोत लदान बिल में सामान्य सेवा प्रदाता द्वारा दिए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के ब्यौरे शामिल होगें तथा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऐसे निर्यात से पूर्व प्रयोक्ता ब्यौरों के विषय में सूचित करना होगा ।

(ii) ऐसे निर्यात को अन्य ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों(सीएसपी/प्रयोक्ता का) से संबंधित विशिष्ट निर्यात दायित्वों को पूरा करने हेतु गिना नहीं जाएगा; तथा

(iii) बचाए गए शुल्क की राशि के बराबर की बैंक गारंटी प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। सीएसपी के विकल्प पर, किसी भी प्रयोक्ता द्वारा अथवा सीएसपी द्वारा बैंक गारंटी दी जा सकती है।

5.03 वास्तविक प्रयोक्ता शर्त

पूंजीगत माल का आयात, निर्यात दायित्व की पूर्ति होने तक और ईओडीसी प्रदान कि जाने पर वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा।

5.04 निर्यात दायित्व(ईओ)

निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्ते लागू होंगीः-

(क) प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा ऐसे माल जो कि उसके द्वारा अथवा उसके सहायक विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किया जाता है/ उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं जिसके लिए ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र प्रदान किया जा चुका है के द्वारा निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा।

(ख) स्कीम के अंतर्गत निर्यात दायित्व प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.13(क) में उल्लिखित श्रेणियों को छोड़कर बढ़ाई गयी समयावधि सहित समग्र निर्यात-दायित्व अवधि के भीतर आवेदक द्वारा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में उक्त तथा उसी तरह के उत्पादों के किए गए निर्यातों के औसत स्तर से अधिक होगा। यह औसत उक्त और उसी तरह के उत्पादों के लिए पिछले 3 लाइसेंसिंग वर्षों के निर्यात निष्पादन का गणितीय माध्य होगा।

(ग) पूंजीगत माल के स्वदेशी प्रापण के मामले में, विशिष्ट निर्यात दायित्व पैरा 5.01 मे निर्धारित निर्यात दायित्व के 25 प्रतिशत से कम होगा।

(घ) विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत अग्रिम प्राधिकार- पत्र, डीएफआईए, शुल्क वापसी स्कीम अथवा प्रोत्साहन स्कीम के तहत पोतलदान, ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए माना जाएगा।

(ड.) निर्यात वास्तविक निर्यात होंगे । तथापि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 7.02 (क), (ख), (ड.), (च) और (ज) में यथा उल्लिखित आपूर्तियां भी विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03 के तहत उपलब्ध सामान्य लाभों के साथ निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए माने जाएंगे ।

(च) निर्यात दायित्व डीटीए को आई टी ए-1 मदों की आपूर्ति द्वारा भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते कि वसूली मुक्त विदेशी मुद्रा में हो ।

(छ) प्राधिकार पत्र धारक द्वारा आर एण्ड डी सेवाओं के लिए प्राप्त मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा में प्राप्त रायल्टी भुगतान भी ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्वहन के लिए माने जाएंगे ।

(ज) परिशिष्ट 5घ. में यथा अधिसूचित ऐसी सेवाओं के लिए रुपयों मे प्राप्त की गई अदायगी ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व के निर्वहन के लिए मानी जाएगी।

5.05 हटा दिया गया हैं।

5.06 कृषि इकाइयों के मामले में एलयूटी/बॉण्ड/बीजी

विधिक वचनबद्धता/बंधपत्र या 15 प्रतिशत बैंक गारंटी, जो भी लागू हो, कृषि निर्यात क्षेत्रों में इकाइयों को प्रदत्त ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के लिए दी जा सकती है बशर्ते ईपीसीजी प्राधिकार पत्र में अधिसूचित मुख्य कृषि उत्पाद (ओं) अथवा उनकी मूल्य संवर्धन वस्तुओं के निर्यात के लिए लिया गया हो।

5.07 स्वदेशी रुप से पूंजीगत माल प्राप्त करना और घरेलू आपूर्तिकर्ता को लाभ

ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक व्यक्ति पूंजीगत वस्तुएं घरेलू विनिर्माता से प्राप्त कर सकता है । ऐसा घरेलू विनिर्माता विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03 के तहत मान्य निर्यात लाभ पाने का पात्र होगा और जैसा कि मान्य निर्यात श्रेणी के अंतर्गत जीएसटी नियमों के तहत प्रदान किया जाए। ऐसी घरेलू प्राप्ति की ईओयू से भी अनुमति दी जाएगी और विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.09 (क) में उल्लिखित उक्त ईओयू द्वारा सकारात्मक एनएफई को पूरा करने के उद्देश्य से इन आपूर्तियों को गिना जाएगा।

5.08 निर्यात दायित्व की गणना

सीधे आयात के मामले में, निर्यात दायित्व को वास्तविक रूप से बचाई गई शुल्क राशि के संदर्भ में माना जाएगा। घरेलू प्रापण के मामले में, निर्यात दायित्व को एफओआर मूल्य पर बचाए गए काल्पनिक सीमाशुल्क के संदर्भ में माना जाएगा।

5.09 समय से पहले निर्यात दायित्व पूरा करने हेतु प्रोत्साहन

निर्यातों को गति प्रदान करने की दृष्टि से, ऐसे मामलों में जहाँ प्राधिकार-पत्र धारक ने अब तक प्राधिकार-पत्र में विनिर्दिष्ट मूल निर्यात दायित्व की अवधि के आधे या आधे से कम समय में विशिष्ट निर्यात दायित्व का 75 प्रतिशत अथवा अधिक तथा औसत निर्यात दायित्व का 100% पूरा कर लिया हो तो बकाया निर्यात दायित्व को माफ कर दिया जाएगा और संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार-पत्र को विमुक्त कर दिया जाएगा । तथापि, ऐसे मामलों में प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.21 के अन्तर्गत कोई लाभ उपलब्ध नहीं होगा जहाँ पर शीघ्र निर्यात दायित्व पूर्ति के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठाया गया है।

5.10 हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए कम किया गया निर्यात दायित्व

हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यातकों के लिए पैरा 5.01 में यथानिर्धारित निर्यात दायित्व का 75% होगा । पैरा 5.04 में यथानिर्धारित औसत निर्यात दायित्व, यदि कोई हो, में कोई परिवर्तन नहीं होगा । हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों की सूची प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.29 में दी गई है ।

5.11 उत्तर-पूर्व क्षेत्र और जम्मू एवं कश्मीर के लिए कम किया गया निर्यात दायित्व

अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और जम्मू एवं कश्मीर में स्थित यूनिटों के लिए विशिष्ट निर्यात दायित्व यथालागू पैरा 5.01 में यथा उल्लिखित निर्यात दायित्व का 25% होगा । पैरा 5.04 में यथा उल्लिखित लगाया गया, औसत निर्यात दायित्व यदि कोई हो, में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

5.12 पश्च-निर्यात ईपीसीजी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स)

(क) पश्च-निर्यात ईपीसीजी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) उन निर्यातकों के लिए उपलब्ध होंगी जो नकद रुप से लागू शुल्कों, करों और उपकरों के पूर्ण नकद भुगतान से पूंजीगत माल आयात करना चाहते हैं और इस योजना का विकल्प चुनते हैं।

(ख) पूँजीगत माल पर अदा किए गए मूल सीमा शुल्क पर, विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत जारी मुक्त रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) के रुप में छूट होगी।

(ग) ईपीसीजी स्कीम के तहत विशिष्ट निर्यात दायित्व लागू विशिष्ट ई ओ का 85% होगा। तथापि औसत निर्यात दायित्व अपरिवर्तित रहेगा।

(घ) शुल्क छूट पूरे किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात में होगी ।

(ड.) विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत जारी स्क्रिप्स के उपयोग के लिए किए गए सभी प्रावधान पश्च निर्यात ईपीसीजी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) के लिए भी लागू होंगे।

(च) मौजूदा ईपीसीजी स्कीम के सभी प्रावधान लागू होंगे जब तक कि वे इस स्कीम के साथ असंगत नहीं हों ।

अध्याय - 6

निर्यातोन्मुखी यूनिटें (ईओयू), इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ईएचटीपी), सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एसटीपी) और बॉयो टेक्नोलोजी पार्क (बीटीपी)

6.00 भूमिका और उद्देश्य

(क) अपने सारे माल के उत्पादन और सेवाओं (डीटीए में अनुमत बिक्री को छोड़कर) को निर्यात करने का दायित्व लेने वाली यूनिटें निर्यातोन्मुख यूनिट (ई.ओ.यू.) स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ईएचटीपी) योजना, साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एसटीपी) योजना या बायो टेक्नोजोली पार्क (बीटीपी) स्कीम के अंतर्गत स्थापित की जा सकती हैं तथा ऐसी यूनिटें माल के निर्माण सहित मरम्मत, री-मेकिंग, री-कंडीशनिंग, री-इन्जीनियरिंग और सेवा प्रदान करने में, साफ्टवेयर तैयार करने, कृषि जिसमें खाद्य प्रसंस्करण, एक्वाकल्चर, पशु पालन, बायोटेक्नोलाजी, फूलों की खेती, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगूर की खेती, मुर्गी पालन और रेशम उत्पादन में लगी हो सकती हैं। इन योजनाओं के तहत व्यापारी यूनिट शामिल नहीं है।

(ख) इन स्कीमों का उद्देश्य निर्यात का संवर्धन करना, विदेशी मुद्रा के अर्जन को बढ़ाना, निर्यात उत्पादन और रोजगार उत्पन्न करने के लिए निवेश को आकर्षित करना है।

6.01 माल का निर्यात तथा आयात

(क) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर सकती है, सिवाय उन मदों के जो आई टी सी (एचएस) में निषिद्ध हैं। तथापि, सोने के आभूषण, आंशिक रुप से तराशे गए आभूषण चाहे सादा हो अथवा जड़ित हो और संबंधित वस्तुओं सहित जिनमें 8 कैरेट और इससे अधिक 22 कैरेट की अधिकतम सीमा तक सोना हो, को ही अनुमति दी जाएगी।

(ख) विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों (एससीओएमईटी) का निर्यात आई टी सी (एचएस) में उल्लिखित शर्तें पूरी करने के अधीन होगा। ईओयू के संबंध में अनुमोदन बोर्ड (बीओए) द्वारा एक निषेध वस्तु के निर्यात की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते ऐसे कच्चे माल का आयात किया गया हो तथा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) से ऐसे कच्चा माल की अधिप्राप्ति न की गई हो।

(ग) निर्यात संवर्धन सामान जैसे कि ब्रोशर/साहित्य, पम्फलैट, होर्डिंग, कैटालॉग, पोस्टर इत्यादि की खरीद और आपूर्ति पिछले वर्षों के निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक की भी अनुमति होगी ।

(घ) (i) निर्यात अभिमुख यूनिट/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट, डीटीए अथवा डीटीए में बाण्डेड गोदामों/भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी उससे संबंधित गतिविधियों के लिए पूंजीगत माल सहित सभी प्रकार की वस्तुओं का आयात और/या खरीद कर सकती है बशर्ते कि ये नीचे पैरा (ii) और (iii) में दी गई शर्तों के अधीन आई टी सी (एचएस) में आयात की निषिद्ध मदें न हो। किसी अन्य कानून के तहत आयात के लिए अपेक्षित कोई अनुमति लागू होगी। यूनिटों को, ग्राहकों से ऋण/लीज पर पूंजीगत वस्तुओं सहित, मुफ्त में या स्वीकृत कार्यकलापों के लिए अपेक्षित वस्तुओं के आयात की भी अनुमति होगी। पूंजीगत माल का आयात स्वप्रमाणन आधार पर होगा। एकक द्वारा माल का आयात, निर्यात उत्पादन के उपयोग तथा वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन होगा ।

(ii) डीटीए में बांडेड माल गोदाम से अथवा भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी से आयात और/अथवा खरीद सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची में उस पर प्रभार्य सीमाशुल्क और उक्त अधिनियम की धारा 3(1), 3(3) और 3(5) के तहत प्रभार्य अतिरिक्त सीमाशुल्क यदि कोई हो, के भुगतान के बिना होगी। ऐसे आयात और/अथवा खरीद राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3(7) और 3(9) के तहत प्रभार्य एकीकृत कर और क्षतिपूर्ति उपकर के बिना होगी और यह छूट केवल दिनांक 31.03.2018 तक उपलब्ध होगी।

(iii) डीटीए से जीएसटी के तहत शामिल की गई वस्तुओं की अधिप्राप्ति लागू जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान करने पर होगी। डीटीए से ईओयू को की गई आपूर्ति पर भुगतान किए गए जीएसटी की वापसी आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध होगी, जो जीएसटी नियमावली और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट शर्तों और दस्तावेजीकरण के अध्यधीन होगी। ईओयू डीटीए से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की चौथी अनुसूची के तहत आने वाली उत्पाद शुल्क प्रभार्य वस्तुएं भी लागू उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना खरीद सकते है।

(ड.) निर्यातोन्मुख विनिर्माण यूनिटों पर राज्य व्यापार व्यवस्था लागू नहीं होगी । तथापि, क्रोम ओर/क्रोम कंसंट्रेट, के संबंध में इन मदों की निर्यात नीति में यथानिर्धारित राज्य व्यापार व्यवस्था निर्यात अभिमुख इकाइयों के लिए लागू होगी ।

(च) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी इकाइयां केन्द्रीय सुविधा बनाने के लिए कुछ विनिर्दिष्ट वस्तुओं को ऊपर पैरा 6.01 (घ) (ii) और पैरा 6.01 (घ)

(iii) में यथा प्रदत्त शुल्कों/करों के भुगतान के साथ या भुगतान के बिना डीटीए से आयात/खरीद सकती हैं। सॉफ्टवेयर ईओयू/डीटीयू इकाइयाँ सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकती हैं।

(छ) कृषि, पशुपालन, जल कृषि, पुष्प उत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगूरोत्पादन, मुर्गीपालन अथवा रेशम उत्पादन में संलग्न निर्यातोन्मुख यूनिटों के परिसर के बाहर प्रयोग के लिए केवल विशिष्ट माल को ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(ज) रत्न और आभूषण ई ओ यू यूनिटें नामित एजेंसियो से सोना/चांदी/प्लेटिनम ऋण/सम्पूर्ण खरीद आधार पर प्राप्त कर सकती हैं। नामित एजेन्सियों से सोना/चाँदी/ प्लेटिनम प्राप्त करने वाली यूनिटों को ऋण अथवा सम्पूर्ण खरीद के आधार पर सोना/चांदी/प्लेटिनम का निर्यात रिलीज करने की तारीख से 90 दिन के अन्दर करना होगा ।

(झ) सेवा यूनिटों के अतिरिक्त, ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें, भारतीय रिजर्व बैंक की क्लियरेन्स, यदि कोई हो, के अधीन सेवा यूनिटों के अलावा राज्य ऋण के पुनः भुगतान/क्रेता के एस्क्रो रूपया लेखा के प्रति भारतीय रूपयों में रूसी संघ को निर्यात कर सकती हैं।

(ञ) स्पेयर्स/संघटकों की खरीद और निर्यात के 5 प्रतिशत पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के बराबर उन्हीं करारकर्त्ता/खरीददार को निर्यात वस्तुओं के निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते कि एन एफ ई और प्रत्यक्ष कर लाभों के लिए इनका आकलन नहीं किया जाएगा ।

(ट) अनुमोदन बोर्ड, मामला दर मामला आधार पर, रत्न एवं आभूषण के अलावा ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के आवेदन पर विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित वस्तुओं को समेकित करने के लिए और विनिर्मित वस्तुओं के साथ उनके निर्यात के लिए अनुमति दे सकता है। ऐसी वस्तुओं को पिछले वित्तीय वर्ष में यूनिट द्वारा निर्यात की गई ऐसी विनिर्मित वस्तुओं के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के पांच प्रतिशत की सीमा तक ईओयू द्वारा डीटीए से आयात करने/प्राप्त करने की अनुमति उपर्युक्त पैरा 6.01 (घ) (ii) और (iii) में यथा प्रदत्त शुल्कों और/या करों के भुगतान के साथ या बगैर, जैसा भी मामला हो, पर दी जा सकती है। ईओयू द्वारा विनिर्मित इस प्रकार खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं का विवरण निर्यात दस्तावेज में अलग से सूचीबद्ध किया जाएगा। ऐसे मामलों में खरीद की गई/आयातित वस्तुओं का मूल्य एनएफई और डीटीए की बिक्री हकदारी की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसी खरीद की गई/आयात की गई वस्तुओं को डीटीए में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी । अनुमोदन बोर्ड किन्ही अन्य शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

6.02 पुराना पूंजीगत माल

पुराने पूंजीगत माल का बिना किसी कालावधि सीमा के उपर्युक्त पैरा 6.10 (घ) (ii) के तहत यथा प्रदत्त शुल्क/करों के भुगतान के साथ या बगैर आयात किया जा सकता है।

6.03 पूंजीगत माल के पट्टे

(क) पार्टियों के बीच में हुए पक्के करार के आधार पर कोई निर्यातोन्मुख यूनिट/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी यूनिट घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी से पूंजीगत माल उपर्युक्त पैरा 6.01 (घ) (ii) और (iii) में यथा प्रदत्त शुल्कों/करों के भुगतान के साथ या बगैर, जैसा भी मामला हो, प्राप्त कर सकती हैं। ऐसे मामले में घरेलू/विदेशी पट्टे वाली कंपनी तथा निर्यातोन्मुख यूनिट/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/ सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी यूनिट पूंजीगत आयात करने/ खरीदने के लिए संयुक्त रुप से दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

(ख) एक निर्यातोन्मुख यूनिट/इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बी.टी.पी./सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क निम्नलिखित शर्तों के मद्दे पूंजीगत वस्तुओं को बेच सकता है और उसे एक गैर-बैकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) से पट्टे पर वापस ले सकता हैः-

(i) यूनिट को परिसंपत्तियों की ब्रिकी और पट्टे पर वापसी का लेन-देन करने के लिए सीमाशुल्क क्षेत्राधिकारी उप/सहायक आयुक्त से अनुमति लेनी होगी और बेचे जाने वाली या पट्टे पर वापस ली जाने वाली वस्तुओं का पूरा विवरण और एनबीएफसी का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(ii) बेचे जाने वाली और पट्टे पर वापस ली जाने वाली वस्तुएं यूनिट के परिसर से नहीं हटाई जाएंगी।

(iii) यूनिट की निवल विदेशी मुद्रा सकारात्मक होनी चाहिए जब यह एनबीएफसी के साथ बिक्री एवं पट्टे पर वापसी के लेन देन को शुरू करती है।

(iv) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अधिनियम 1944 के साथ पठित अधिसूचना के किसी प्रावधान के उल्लंघन या व्यतिक्रम जिसके तहत इन वस्तुओं का आयात किया गया है या इन्हें खरीदा गया है, के मामले में इन वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान करने के लिए यूनिट और एन बी एफ सी द्वारा एक संयुक्त वचनबद्धता देनी होगी और इन वस्तुओं पर ग्रहणाधिकार सीमाशुल्क के पास रहेगा जिनके पास सीमाशुल्क (सरकारी देनदारियों की वसूली के लिए चूककर्त्ताओं की संपत्ति को जब्त करना) नियमावली, 1995 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 (ख) के प्रावधान के तहत यूनिट से सरकार को बकाया देय राशि की वसूली के लिए उपरोक्त वस्तुओं पर प्रथम अधिकार रहेगा ।

6.04 निवल विदेशी मुद्रा अर्जन

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें, एक सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होंगी। इसके अलावा परिशिष्टों एवं एएनएफ के परिशिष्ट 6 ख के क्षेत्र विशेष के लिए प्रावधानों जहाँ उच्च मूल्य सवंर्धन और अन्य शर्ते दी गई है, का अनुपालन करने की आवश्यकता होगी। निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई) उत्पादन प्रारम्भ होने से पांच वर्षों की अवधि के लिए संचित रुप से गिना जाएगा । जब भी कोई यूनिट परमिट पत्र में शामिल किसी उत्पाद के निर्यात पर लगाए गए निषेध/प्रतिबंध के कारण एनएफई प्राप्त करने में असमर्थ है, तो निवल विदेशी मुद्रा आय की गणना के लिए पांच वर्षों की ब्लॉक अवधि अनुमोदन बोर्ड द्वारा उपयुक्त तरीके से बढ़ायी जा सकती है। इसके अलावा जब कभी एक इकाई बाजार की प्रतिकूल स्थिति अथवा इकाई के कार्य पर बुरा असर डालने वाली किसी वास्तविक समस्या के कारण निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) को प्राप्त नहीं कर पाती है तो अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामला दर मामला आधार पर अर्जित निवल विदेशी मुद्रा की गणना हेतु पाँच वर्ष की ब्लाक अवधि को एक वर्ष तक की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। एनएफई की गणना की विधि का विस्तृत विवरण प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 6.10 में दिया गया है।

6.05 आवेदन व अनुमोदन/अनुज्ञा पत्र/आशय पत्र और विधिक वचनबद्धता:

(क) (i) प्रक्रिया पुस्तक में विवरण के अनुसार, इकाई अनुमोदन समिति (यूएसी/अनुमोदन बोर्ड (बीओए) जो भी मामला हो, के द्वारा ईओयू की स्थापना के लिए आवेदन पर विचार किया जाएगा। ईओयू के प्रशासन का विवरण और डीसी की शक्तियां प्रक्रिया पुस्तक में दी गई हैं।

(ii) इकाई ईएचटीपी/एसटीपी योजना के अधीन होने के मामले में, इस अध्याय के संबंधित पैरा के अन्तर्गत आवश्यक अनुमोदन/अनुमति, डीसी के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी और बीओए के स्थान पर अंतर्मत्रांलयी स्थायी समिति द्वारा जारी की जाएगी।

(iii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सिफारिशों पर डीजीएफटी द्वारा जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी) अधिसूचित किया जाएगा। बीटीपी में ईकाई के मामले में, इस अध्याय के संबंधित प्रावधान के अधीन आवश्यक अनुमोदन/अनुमति जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नामित अधिकारी द्वारा दी जाएगी।

(iv) अनुमोदन होने पर ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी ईकाई को अनुमति पत्र (एलओपी)/आशय पत्र (एलओआई) डीसी/नामित अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। अनुमति पत्र/एलओआई की वैधता प्रक्रिया पुस्तक में दी जाएगी।

(ख) सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त पैरा 6.1 में प्रावधानों के अनुसरण में ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/ बी टी पी यूनिटों को जारी एल ओ पी/एल ओ आई को सभी प्रयोजनों के लिए प्राधिकार पत्र माना जाएगा ।

(ग) यूनिट संबंधित विकास आयुक्त को एक विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी। सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन को सुनिश्चित करने में असफल होने पर अथवा एल ओ पी/एल ओ आई/आई एल/एल यू टी की शर्तों को पूरा न कर सकने पर वह किसी अन्य कानून/नियमों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेशों/नियमों के अधीन दण्ड के भागी होंगे और वह एल ओ पी/एल ओ आई/आई एल रद्द अथवा निरस्त हो जाएगा ।

6.06 *पूँजी निवेश मानदण्ड*

जिन परियोजनाओं में संयंत्र और मशीनरी पर 1 करोड़ रुपया न्यूनतम निवेश हो उन पर ही ई.ओ.यू. के रुप में स्थापना के लिए विचार किया जाएगा। हालाँकि, यह, मौजूदा यूनिटों और ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी और हस्तशिल्प/कृषि/पुष्पोत्पादन/जलकृषि/ पशुपालन/सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाएं, ब्रास हार्डवेयर और हस्तनिर्मित आभूषण के क्षेत्रों में ईओयू पर लागू नहीं होगा । अनुमोदन बोर्ड कम निवेश के मानदण्ड पर भी ईओयू की स्थापना की अनुमति दे सकता है।

6.07 *आवेदन एवं अनुमोदन*

(क) हटा दिया गया है।

(ख) हटा दिया गया है।

(ग) हटा दिया गया है।

(घ) हटा दिया गया है।

6.08 *तैयार उत्पाद/ अस्वीकृत माल/ अपशिष्ट/ स्क्रैप/ शेष और उप-उत्पाद की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डी टी ए) में बिक्री*

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाईयों के समस्त उत्पादन का निर्यात किया जाएगा। तथापि विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निम्नलिखित को अपवाद के रूप में अनुमत किया जाता है:–

(क) (i) रत्न और आभूषण यूनिटों के अतिरिक्त यूनिटें एलओपी (जिनमें ऐसी वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण या पैकेजिंग के दौरान होने वाले उप–उत्पाद खारिज अस्वीकृत, अपशिष्ट और स्क्रैप उत्पाद शामिल हैं।) में निर्दिष्ट अपने द्वारा विनिर्मित माल बेच सकती हैं जोकि उत्पाद शुल्क, यदि लागू हो, और/अथवा जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर, साथ ही ऐसी तैयार वस्तुओं (उपोत्पाद, अस्वीकृत माल, अपशिष्ट और ऐसे माल के उत्पाद, विनिर्माण, प्रसंस्करण अथवा पैकेजिंग के दौरान उत्पन्न स्क्रैप सहित) के विनिर्माण के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त निविष्टियों पर प्राप्त छूट, यदि कोई हो,

सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत प्रभार्य सीमाशुल्क के रिवर्सल सहित सकारात्मक एनएफई की पूर्ति की शर्त पूरी करने पर, डीटीए में एफटीपी के अधीन स्वतंत्र रूप से आयात करने योग्य हो। काली मिर्च या काली मिर्च उत्पाद, मार्बल और अन्य वस्तुएं जिन्हें समय–समय पर अधिसूचित किया गया हो, की डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

(ii) पैकेजिंग/लेबलिंग/सैग्रीगेशन/रेफ्रीजरेशन/कम्पैक्टिंग/माइक्रोनाइजेशन/ पल्वेराइजेशन/ग्रेन्यूलेशन/ मोनो-हाइड्रेट रुप के रसायन से एनहाइड्रस रुप में परिवर्तन अथवा विलोमतः कार्य से जुड़ी यूनिटों के मामले में ऐसी डी टी ए बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii)(क) एस ई जेड में यूनिट को की गई बिक्री भी ईओयू द्वारा निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखी जाएगी बशर्ते कि इन बिक्रियों हेतु किया गया भुगतान एसईजेड यूनिट के विदेशी मुद्रा खाते से किया गया हो ।

(iii)(ख) डीटीए को बिक्री फर्मास्युटिकल उत्पादों (बल्क औषधि सहित) के पंजीकरण आवश्यकता के भी अधीन होगी।

(iv) सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 9क के तहत आयात के समय लगायी गई एंटी डपिंग ड्यूटी के बराबर राशि यूनिट से डीटीए में लाई गई वस्तुओं के विनिर्माण या संसाधन के लिए प्रयुक्त वस्तुओं पर देय होगा ।

(v) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों द्वारा डीटीए सेल उत्पाद शुल्क, यदि लागू हो, और/अथवा जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान और साथ ही ऐसी तैयार वस्तुओं (उपोत्पाद, अस्वीकृत माल, अपशिष्ट और ऐसे माल, के उत्पादन, विनिर्माण, प्रसंस्करण अथवा पैकेजिंग के दौरान उत्पन्न स्क्रैप सहित) के विनिर्माण के प्रयोजन हेतु प्रयुक्त निविष्टियों पर प्राप्त छूट, यदि कोई हो, सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत प्रभार्य सीमाशुल्क के रिवर्सल के अध्यधीन होगी। सीमाशुल्क की यह रिवर्सल, मानदंड समिति (जहां सियोन मानदंड तय न हों) द्वारा प्रचलित सियोन मानदण्ड या तय मानदण्ड के अनुसार होगा।

(vi) ऐसी डीटीए बिक्री, डीटीए में स्वीकृत किए गए माल के विनिर्माण के लिए प्रयोग होने वाले माल पर, एफटीपी के अनुसार ईओयू/आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त किए गए लाभ की एफटीपी के अध्याय–7 के अधीन की वापसी की शर्त के अधीन होगी।

(ख) साफ्टवेयर यूनिटों सहित सेवाओं के लिए, डीटीए में किसी भी रुप में बिक्री, ऑनलाइन डाटा संचार सहित निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत और/अथवा अर्जित विदेशी मुद्रा के 50 प्रतिशत तक की भी अनुमति होगी, जहाँ ऐसी सेवाओं का भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है ।

(ग) रत्न और आभूषण यूनिटें, डीटीए में पूर्ववर्ती वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक बेच सकती है बशर्ते कि सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा को पूरा कर लिया गया हो। यूनिट को, ऐसे आभूषणों में प्रयोग किए गए इनपुट पर देय के रूप में, यदि कोई सीमाशुल्क छूट ली गई हो, तो, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के तहत प्रयोज्य सीमाशुल्क के रिवर्सल सहित लागू जीएसटी/क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान करना होगा।

(घ) जब तक एलओपी में विशिष्ट रुप से निषिद्ध न हो, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना देकर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य सीमाशुल्क के रिवर्सल के साथ निविष्टियों पर यदि छूट ली गई हो, तो उत्पाद शुल्क यदि लागू हो, तथा/अथवा जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकरण का भुगतान कर डीटीए में 50 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर अस्वीकृत माल बेचा जा सकता है। निर्यात के 5 प्रतिशत एफओबी मूल्य तक अस्वीकृत माल की बिक्री एनएफई प्राप्त करने के अधीन नहीं होगी।

(ङ) उत्पादन प्रक्रिया या तत्सम्बन्धी प्रक्रिया से निकलने वाले स्क्रैप/ अपशिष्ट/अवशेष की बिक्री यथा लागू शुल्क और/या कर और क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर शुल्क छूट योजना के तहत सिओन अधिसूचना के अनुसार डीटीए में की जा सकती है। स्क्रैप/अपशिष्ट/अवशेष की ऐसी बिक्री, सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के अधीन नहीं होगी उन मदों के संबंध में, जो मानदण्ड में शामिल नहीं है,विकास आयुक्त छः माह की अवधि के लिए तदर्थ मानदण्ड निर्धारित कर सकता है और इस अवधि के भीतर मानदण्ड समिति मानदण्ड निर्धारित कर सकती है। तदर्थ मानदण्ड तब तक लागू रहेंगे जब तक कि मानदण्ड समिति मानदण्ड निर्धारित न कर दे । स्क्रेप/अपशिष्ट/अवशेष का निर्यात भी किया जा सकता है।

(च) यदि ऐसे स्क्रैप/अपशिष्ट/अवशेषों को सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से नष्ट किया जाता है तो उन पर कोई शुल्क/कर नहीं लगेगा। ''शुल्क/कर नहीं'' अभिव्यक्ति में जीएसटी कानून के अधीन लागू कर और उपकर शामिल नहीं होगा।

(छ) अनुमति पत्र में शामिल उपोत्पाद को भी डीटीए में बेचा जा सकता है बशर्ते कि यदि इनपुटस पर लाभ लिए गए हैं, तो सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य सीमाशुल्क के रिवर्सल के साथ उत्पाद शुल्क, यदि लागू हो, तथा/अथवा जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर सकारात्मक एनएफई की उपलब्धि के अधीन हो।

(ज) हटा दिया गया है।

(झ) इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का विनिर्माण करने वाली यूनिटों के मामले में, निवल विदेशी मुद्रा और डीटीए बिक्री हकदारी, हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए अलग से गिनी जाएगी ।

(ञ) हटा दिया गया है।

(ट) नये ईओयू के मामले में, अग्रिम घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री की अनुमति होगी जो प्रथम वर्ष के लिए अनुमानित निर्यातों के 50% से अधिक नहीं होगी, सिवाय भेषज यूनिटों में जहाँ यह प्रथम दो वर्षों के लिए अनुमानित निर्यातों पर आधारित होगी।

(ठ) हटा दिया गया है।

(ढ) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र हेतु स्वीकृत विनिर्मित वस्तुओं के मूल्य के 2 प्रतिशत तक की जाने वाली पुर्जों/कलपुर्जों की अधिप्राप्ति को बिक्री पश्चात सेवा प्रदान करने के प्रयोजन हेतु उसी खेप प्राप्तकर्ता/खरीदार को आपूर्ति हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है। सीमा शुल्क छूट, यदि ली गई हो, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य सीमाशुल्क के रिवर्सल के साथ लागू जीएसटी और क्षतिपूति उपकर का भुगतान किए जाने पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र संबंधी स्वीकृति दी जा सकती है ।

6.09 अन्य आपूर्तियां

सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों से प्राप्त निम्नलिखित आपूर्तियों की गणना की जाएगी। ऐसी आपूर्तियों में 'मार्बल' शामिल नहीं होगा, सिवाय इसके कि मार्बल की ऐसी आपूर्ति अन्तःयूनिट आपूर्ति हो जैसा कि नीचे उप-पैरा (ग) में बताया गया है:-

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/ वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/ शुल्क छूट के तहत डीएफआईए/विमुक्ति योजना/ईपीसीजी स्कीम के धारकों के संबंध में डीटीए में की गई आपूर्तियां। तथापि, प्रिंटिंग क्षेत्र की ईओयू (या अन्य कोई क्षेत्र जिसे प्रक्रिया पुस्तक में अधिसूचित किया जा सके) वस्तुओं की आपूर्ति नहीं कर सकती, जहां पर अग्रिम प्राधिकार पत्र के धारक/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार धारक के लिए मूल सीमाशुल्क और सीवीडी शून्य है या अन्यथा छूट मुक्त है।

(ख) विदेशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा प्राप्तियों के मद्दे डीटीए में की गई आपूर्तियाँ।

(ग) अन्य निर्यातोन्मुख इकाई/इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बायोटेक्नोलाजी पार्क/एसईजेड इकाई को आपूर्ति, बशर्ते ऐसे माल की खरीद के लिए विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.01 के अन्तर्गत अनुमति हो।

(घ) विदेश व्यापार नीति और/या सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 के तहत स्थापित बांडेड गोदामों और मुक्त व्यापार तथा गोदाम क्षेत्रों में की गई आपूर्तियाँ, जहाँ भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है ।

(ड.) ऐसे संगठनों को, माल और सेवाओं की आपूर्तियाँ, जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य छूट अधिसूचना के अनुसार ऐसी मदों के शुल्क मुक्त आयात के हकदार हैं, जैसी प्रक्रिया पुस्तक में व्यवस्था है।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी समझौता (आईटीए-1) मदों और अधिसूचित शून्य शुल्क टेलिकाम/इलेक्ट्रानिक मदों की आपूर्ति।

(छ) निर्यात के लिए डीटीए यूनिट को टैग, लेबल, प्रिन्टेड बैगों, स्टीकरों, बेल्टों, बटनों अथवा हैंगरों जैसे मदों की आपूर्तियाँ ।

(ज) पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. ई-20029/18/2001-पीपी दिनांक 28-01-2003 द्वारा यथा अधिसूचित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) मिट्टी का तेल एवं घरेलू एलपीजी सब्सिडी स्कीम, 2002 (यहाँ पीडीएस स्कीम के रूप में निर्दिष्ट) के तहत सब्सिडाइज्ड मूल्यों पर घरेलू उपभोक्ताओं को सप्लाई किए जाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की घरेलू तेल कम्पनियों को ईओयू रिफाइनरी में उत्पादित एलपीजी की सप्लाई निम्नलिखित शर्तों के अनुसार होगीः-

(i) एलपीजी की केवल ऐसी मात्रा की सप्लाई मान्य होगी जिसके लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निर्यात की स्वीकृति न दी हो और घरेलू टैरिफ क्षेत्र में एलपीजी की निकासी की जानी हो; और

(ii) वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना द्वारा उपर्युक्त पीडीएस स्कीम के तहत सप्लाई के लिए एलपीजी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी हो।

6.10 अन्य के माध्यम से निर्यात

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट, अपने द्वारा विनिर्मित माल/विकसित साफ्टवेयर का निर्यात प्रक्रिया पुस्तक के पैरा-6.19 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार दूसरे निर्यातक अथवा किसी अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजेड यूनिट के माध्यम से कर सकती है।

6.11 डी.टी.ए. से आपूर्तियों हेतु हकदारी

(क) डीटीए से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाईयों को निर्यात हेतु उनके विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली निविष्टियों की आपूर्ति विदेश व्यापार नीति के अध्याय–7 के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्र होगी। डीटीए आपूर्तिकर्ता उनके निर्यात दायित्व यदि कोई हो, का निर्वहन करने के अलावा विदेश व्यापार नीति के अध्याय–7 के अंतर्गत संबंधित पात्रता के हकदार होंगे। डीजीटी से ईओयू को ऐसी आपूर्ति पर भुगतान किए गए जीएसटी की वापसी जीएसटी नियमावली और उसके तहत जारी अधिसचनाओं के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट शर्तों और दस्तावेजीकरण के अध्यधीन आपूर्तिकर्ता को उपलब्ध होगी।

(ख) बहुमूल्य और अर्द्धबहुमूल्य पत्थर, कृत्रिम पत्थर और प्रसंस्कृत मोतियों का डी टी ए से ई ओ यू को आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित मदों के लिए और दरों पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

(ग) इसके अलावा, ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट निम्नलिखित के लिए पात्र होगी :-

(i) भारत में विनिर्मित माल पर केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति। 6% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज सी एस टी की वापसी में देरी पर देय होगा यदि पूरा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर मामले का निपटान नहीं किया जाता है । (जैसा प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 9.10(ख) में दिया गया है)

(ii) डीटीए से भारत में विनिर्मित ऐसी वस्तुओं जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची में आती है, पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट।

(iii) हटा दिया गया है।

(iv) हटा दिया गया है।

6.12 अन्य हकदारियाँ

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों की अन्य हकदारियाँ निम्नलिखित हैः

(क) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट

(ख) निर्यात आय की वसूली 09 महीनों के भीतर करनी होगी ।

(ग) यूनिटों को ईईएफसी खाते में 100 प्रतिशत निर्यात अर्जन रखने की अनुमति होगी।

(घ) यूनिटों को आयात करते समय या डीटीए में जॉब कार्य करते समय बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिन मामलों में यूनिट का

(i) कारोबार 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक का है;

(ii) यूनिट कम से कम 3 वर्षों से मौजूद है; और

(iii) यूनिट ने :-

1. सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा/निर्यात दायित्व जहाँ भी लागू है, प्राप्त कर लिया है।

2. धोखा/सांठगांठ/जानबूझकर गलत बयानी/तथ्यों को छुपाना या उनके किसी प्रावधानों के उल्लंघन के कारण, सीमाशुल्क अधिनियम के दांडिक प्रावधान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, वित्त अधिनियम 1994 सेवाकर या सहयोगी अधिनियम या उनके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के अलावा, के आधार पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कारण बताओ नोटिस या पुष्टिकृत मांग जारी नहीं की है ।

(ड.) एस ई जेड यूनिटों की तरह आटोमैटिक रुट के जरिए 100 प्रतिशत एफ डी आई निवेश की अनुमति दी जाएगी ।

(च) हटा दिया गया है।

(छ) इकाई अनुमोदन समिति निर्यातोन्मुखी इकाइयों के मध्य मामला दर मामला आधार पर निवेदनों पर विचार करके अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साझा उपयोग पर विचार कर सकती है तथा यह अपनी सिफारिश पर विचार किए जाने के लिए इसे अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करेगी। ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृत करते समय इकाईयों के निवल विदेशी मुद्रा के दायित्व में परिवर्तन नहीं होगा। ईएचटीपी/ एसटीपी की इकाईयों को ऐसी सुविधाएं आईएमएससी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात उपलब्ध कराई जाएंगी। तथापि निर्यातोन्मुखी इकाईयों और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की इकाईयों के बीच सुविधाओं के साझा उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.13 अन्तर यूनिट हस्तांतरण

(क) निर्यातोन्मुख यूनिट/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट से अन्य ईओयू/ईएच टीपी/एसटीपी/बीटीपी/ यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण की लागू जीएसटी और/अथवा क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर अनुमति दी जाएगी तथा इसकी पूर्व सूचना वस्तुओं के आवागमन की निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरणकर्ता और हस्तांतरी इकाईयों के संबंधित विकास आयुक्त और संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारी को देनी होगीः

(i) ईओयू आपूर्तिकर्ता सामान्य वाणिज्यिक दस्तावेजों जैसे कर बीजक और वितरण चालान, अन्य ईओयू को आपूर्ति किए गए ऐसे तैयार माल (उप उत्पाद, अस्वीकृत माल, अपशिष्ट और ऐसे माल के उत्पादन, विनिर्माण, प्रक्रिया अथवा पैकेजिंग के दौरान उत्पन्न स्क्रैप सहित) के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों पर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य सीमाशुल्क की राशि पर प्राप्त की गई सीमा शुल्क में छूट की राशि संबंधी दस्तावेजों पर पृष्ठांकन करेगा। प्रापक ईओयू ऐसी पृष्ठांकित सीमा शुल्क राशि का डीटीए में ऐसे तैयार माल की स्वीकृति से पूर्व ऊपर पैरा 6.08 में यथा प्रदत्त सीमा शुल्क के रिवर्सल के अपने दायित्व के अलावा और इस संबंध में राजस्व विभाग की अधिसूचनाएँ/परिपत्र/दिशानिर्देश में यथा प्रदत्त राशि का भुगतान करेगा।

(ii) माल की प्राप्ति पर, प्रापक ईओयू अपने क्षेत्राधिकार के सीमा शुल्क प्राधिकारी को और आपूर्तिकर्ता ईओयू के क्षेत्राधिकार वाले सीमाशुल्क प्राधिकारी को कर बीजक की पृष्ठांकित प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(ख) लागू जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर संबंधित विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारी को पूर्व सूचना देकर पूंजीगत वस्तुओं को किसी अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/एसईजेड यूनिटों को हस्तांतरित किया जा सकता है या ऋण पर दिया जा सकता है। ऐसी हस्तांतरित वस्तुओं को लागू जीएसटी और

क्षतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर दूसरी इकाई द्वारा मूल इकाई को वापस भी किया जा सकता है यदि मामला अस्वीकृति अथवा किसी अन्य कारण का हो।

(ग) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी की एक यूनिट द्वारा अन्य यूनिट को वस्तुओं की आपूर्ति, वस्तुओं के मूवमेंट के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार लागू जीएसटी और क्षतिपूर्ति शुल्क के भुगतान पर की जाएगी।

(i) आपूर्तिकर्ता ईओयू प्रचलित वाणिज्यिक दस्तावेज पर पृष्ठांकन करेगा, जैसे कि कर बीजक और वितरण चालान, अन्य ईओयू को आपूर्ति किए गए ऐसे माल पर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत छूट के रूप में लाभ उठायी गई प्रभार्य सीमाशुल्क राशि। प्राप्तकर्ता ईओयू डीटीए में ऐसी वस्तुओं अथवा ऐसी वस्तुओं से विनिर्मित या उत्पादित तैयार माल की निकासी से पहले ऐसे पृष्ठांकित सीमाशुल्क और लागू जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान करेगा।

(ii) माल की प्राप्ति पर, प्रापक ईओयू अपने क्षेत्राधिकार के सीमा शुल्क प्राधिकारी को और आपूर्तिकर्ता ईओयू के क्षेत्राधिकार वाले सीमाशुल्क प्राधिकारी को कर बीजक की पृष्ठांकित प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(घ) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाईयों का समूह जो केन्द्रीय रूप से निविष्टियों की प्राप्ति करते हैं ताकि भारी छूट प्राप्त की जाए तथा/अथवा यातायात तथा संभार तंत्र की लागत को कम किया जाए और/अथवा कुशल आपूर्ति श्रृंखला को कायम रखा जा सके को इकाई अनुमोदन समिति द्वारा मामला दर मामला आधार पर माल और सेवाओं के अंतर इकाई हस्तांतरण की अनुमति दी जा सकती है। यदि इस प्रकार प्राप्त निविष्टियों का आयात करने के बाद उन्हें किसी अन्य इकाई को हस्तांतरित किया जाता है तो एनएफई की गणना के प्रयोजनार्थ इस प्रकार हस्तांतरित वस्तुओं के मूल्य को अंतर्वाह और इन वस्तुओं को प्राप्त करने वाली यूनिट के लिए आउटफ्लो माना जाएगा।

6.14 उप-ठेके

(क) (i) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें, जिनमें रत्न और आभूषण यूनिटें शामिल हैं, सीमा शुल्क प्राधिकारियों की वार्षिक अनुमति के आधार पर जॉब वर्क के जरिये डी टी ए को उत्पादन प्रक्रिया का उप-ठेका दे सकती हैं जिनमें डीटीए में यूनिटों द्वारा जॉब वर्क के जरिये माल के रुप या स्वरुप में परिवर्तन करना शामिल है ।

(ii) ये यूनिटें सीमा शुल्क प्राधिकरियों की अनुमति से डीटीए में जॉब वर्क के उप ठेके के लिए मूल्य की शर्तो में पिछले वर्ष के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत तक ही उप ठेके पर दे सकती हैं ।

(ख) (i) ईओयू यूनिटों को डीटीए निर्यातक की ओर से निर्यात हेतु जॉब वर्क की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते माल को ई ओ यू यूनिटों से सीधे निर्यात किया जाए और निर्यात दस्तावेज डीटीए/ईओयू यूनिट के नाम में संयुक्त रुप से तैयार किया जाए।

ऐसे निर्यात हेतु, शुल्क वापसी की ब्रांड दर के माध्यम से निविष्टियों पर अदा किए गए शुल्क को वापस लेने के लिए डीटीए यूनिटें हकदार होंगी। तथापि, शुल्क वापसी की यह ब्रांड दर सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियमावली, 2017 के अनुसार होगी तथा सीमाशुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की अनुसूची IV के तहत शामिल पात्र मदों के संबंध में) तक सीमित होगी।

(ii) ऊपर पैरा 6.01 (घ) (ii) के तहत यथा प्रदत्त शुल्कों और/अथवा करों के भुगतान के साथ या इसके बगैर जॉब वर्क के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ई ओ यू को दिए गए निर्यात आदेश को पूरा करने के लिए वस्तुओं का आयात करने की अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि कोई डी टी ए क्लीयरेंस न दी जाए ।

(iii) यूनिट में रखे गये रिकार्ड के अनुसार अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जैड/बी टी पी एककों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया दोनों के उप ठेके की प्रक्रिया किसी सीमा के बिना शुरु की जा सकती है।

(iv) 'ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी एकक विदेशों में उत्पादन प्रक्रिया के अंश का उप ठेका दे सकते हैं और एलओपी में यथा उल्लिखित मध्यवर्ती उत्पादों को विदेश भेज सकते हैं। विदेशी उप ठेकेदार परिसर से माल का निर्यात करते समय किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जब माल को देश में वापस लाया जाएगा, सम्बंधित विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना दी जायेगी।'

(ग) जॉब वर्कर के कार्य स्थल में पैदा हुए स्क्रैप/वेस्ट/रेमनन्ट को या तो जॉब वर्कर के कार्य स्थल से सौदा मूल्य पर ऊपर पैरा 6.08 के तहत यथा प्रदत्त लागू शुल्क और/अथवा करों के भुगतान पर हटाया जा सकता है या सीमा शुल्क प्राधिकारी की उपस्थिति में नष्ट किया जा सकता है या आपूर्तिकर्ता यूनिट को वापिस किया जा सकता है। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों को नष्ट करने की अनुमति नहीं होगी।

(घ) रत्न और आभूषण ईओयू इकाइयों द्वारा अन्य ईओयू या एसईजैड या डीटीए में इकाइयों में उपठेका/विनिमय प्रक्रिया पुस्तक में निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

6.15 प्रयोग न किए गए माल की बिक्री

क) यदि कोई निर्यातोन्मुख यूनिट/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी की यूनिट डीटीए से आयातित या खरीदे गए माल और सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाती है तो

(i) इन्हें अन्य ईओयू/ईएचटीपी /एसटीपी/बीटीपी/एसईजैड/इकाइयों को हस्तांतरित कर सकती है; या

(ii) सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सूचित करते हुए लागू शुल्कों तथा /अथवा करों और क्षतिपूर्ति कर का भुगतान करके सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य डीटीए में निपटान कर सकती है। इसके अलावा आयात के समय सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य यदि कोई सीमा

शुल्क छूट प्राप्त की गई हो वह भी देय होगी तथा आयात प्राधिकार पत्र को प्रस्तुत करना होगा; अथवा

(iii) किया गया निर्यात ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट से अन्य ऐसे यूनिटों को किए गये मदों का हस्तांतरण प्राप्त कर्ता इकाई के लिए आयात माना जाएगा ।

(ख) पूंजीगत माल और स्पेयर्स जो अप्रचलित हो गए/अतिरिक्त हैं उन्हें अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी/एसईजैड इकाईयों को हस्तांतरण या निर्यात किया जा सकता है अथवा लागू जीएसटी तथा क्षतिपूर्ति उपकर तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के तहत प्रभार्य सीमाशुल्क के भुगतान के बाद डीटीए में निपटान किया जा सकता है। डीटीए में निपटान की स्थिति में मूल्यह्रास का लाभ केवल तब उपलब्ध होगा जब इकाई ने लागू मूल्य ह्रास को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया हो। पूंजीगत माल कच्चा माल, उपभोज्य वस्तुएं, कलपुर्जे, विनिर्मित माल, संसाधित या पैकिंग किया गया और स्क्रैप/अपशिष्ट /रैमनेन्ट्स/रद्द माल को सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सूचित करने के बाद यूनिट के भीतर नष्ट करने पर या सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से यूनिट के बाहर नष्ट करने पर जीएसटी कानून के तहत लागू करों को छोड़कर कोई शुल्क नहीं लगेगा। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों पर उपर्युक्त वर्णित नष्ट करना लागू नहीं होगा।

(ग) वस्त्र क्षेत्र के मामले में लागत बीमा भाड़ा मूल्य या आयात की मात्रा, जो भी कम हो, के 2 प्रतिशत तक बचे हुए माल/कपड़े का निपटान सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर अनुमत होगा बशर्ते केन्द्रीय उत्पाद/सीमा शुल्क अधिकारी यह प्रमाणित करें कि यह बचा हुआ माल है।

(घ) इस्तेमाल की गई पैकिंग सामग्री के निपटान की अनुमति सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जाएगी ।

6.16 रिकंडिशनिंग/मरम्मत और पुनः इंजीनियरिंग करना

(क) निर्यातोन्मुख यूनिटों को रिकंडिशनिंग, मरम्मत, पुनर्निर्माण, परीक्षण, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनः इंजीनियरिंग जैसे कार्यों के लिए विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए यूएसी की स्वीकृति से स्थापित किया जा सकता है। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.29(क),(ख),(ग) और (घ) और विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.8, 6.9, 6.10, 6.13,6.14 के प्रावधान ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होगें।

(ख) ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों को रिकडिंशनिंग, मरम्मत, पुनर्निर्माण, परीक्षण, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनः इंजीनियरिंग जैसे कार्यों के लिए विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए आईएमएससी की स्वीकृति से स्थापित किया जा सकता है । प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.29(क),(ख),(ग) और (घ) और विदेश

व्यापार नीति के पैराग्राफ 6.08, 6.09, 6.10,6.13,6.14 के प्रावधान ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होगें।

6.17 आयातित/स्वदेशी वस्तुओं का प्रतिस्थापन/मरम्मत

(क) वस्तुओं के प्रतिस्थापन/मरम्मत के निर्यात/आयात से संबंधित विदेश व्यापार नीति के सामान्य प्रावधान ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों पर भी एक समान रूप से लागू होंगे। इन प्रावधानों के तहत न आने वाले मामलों पर विकास आयुक्त द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ख) डी टी ए में बेची गई और किन्हीं कारणों से स्वीकार न की गई वस्तुओं को सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र के सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सूचना देते हुए मरम्मत/ बदलने के लिए वापस लाया जा सकता है।

(ग) आयात करने पर/स्वदेशी रुप से प्राप्त करने पर वस्तुएं अथवा उनके कोई हिस्से जो त्रुटिपूर्ण अथवा उपयोग हेतु अन्यथा अनुपयुक्त अथवा आयात के बाद क्षतिग्रस्त हो जाएं, लौटाए और प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं अथवा नष्ट किए जा सकते हैं। प्रतिस्थापित करने के मामलें में वस्तुएं विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं अथवा भारत में उनके अधिकृत आपूर्तिकर्त्ताओं/स्वदेशी संभरकों से वापस लायी जा सकती है। यूनिट विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं के भारत में अधिकृत एजेन्टों से मुफ्त प्रतिस्थापन (प्रदत शुल्क) ले सकती है बशर्ते कि खराब हिस्से का पुनः निर्यात किया गया हो या नष्ट किया गया हो। तथापि कीमती और अर्द्धकीमती रत्नों और कीमती धातुओं पर विनिष्टीकरण लागू नहीं होगा।

6.18 ईओयू योजना से बहिर्गमन

(क) विकास आयुक्त के अनुमोदन से, निर्यातोन्मुख यूनिट इस योजना को छोड़ सकती हैं। ऐसा बहिर्गमन लागू उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क के भुगतान तथा लागू आईजीएसटी/सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटीजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर, यदि कोई हो, का भुगतान करने पर और लागू औद्योगिक नीति के तहत होगा ।

(ख) अगर यूनिट ने इस योजना के अन्तर्गत दायित्व पूरा नहीं किया है तो योजना से बहिगर्मन, के समय उसे जुर्माना देना होगा ।

(ग) रत्न व जेवरात यूनिटों द्वारा कार्य करना बन्द करने पर आभूषण के निर्माण के लिए उपलब्ध स्वर्ण व अन्य बहुमूल्य धातु, मिश्रधातु, रत्न व अन्य सामग्री, वाणिज्य विभाग द्वारा नामित एजेंसी को उनके द्वारा निर्धारित कीमत पर हस्तांतरित करनी पड़ेगी।

(घ) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाइयों के लिए मौजूदा ईपीसीजी स्कीम के तहत पूँजीगत माल पर लागू शुल्क तथा कर और क्षतिपूर्ति उपकर का भुगतान करके विकास आयुक्त द्वारा किसी भी समय स्कीम को छोड़ने की अनुमति भी दी जा सकती है। यह ईओयू स्कीम के तहत सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा

मानदण्ड की पूर्ति, ईपीसीजी स्कीम के तहत पात्रता मानदण्ड और प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित मानक शर्तों के अधीन होगा ।'

(ड.) ई ओ यू योजना को छोड़ने का प्रस्ताव करने वाले यूनिटों को विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को लिखित में सूचित करना होगा । यूनिट निकासी के कारण उत्पन्न शुल्क संबंधी दायित्व का मूल्यांकन करेगी और ऐसे मूल्यांकन के ब्यौरे सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भेजेगी । सीमाशुल्क प्राधिकारी प्राथमिकता के आधार पर शुल्क दायित्वों की पुष्टि करेंगें बशर्ते अनुमत मूल्यह्रास को ध्यान में रखते हुए इकाई ने सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया हो। शुल्क के भुगतान तथा सभी बकाया राशि का भुगतान कर देने के पश्चात यूनिट सीमाशुल्क प्राधिकारियों से बेबाकी प्रमाण-पत्र'' प्राप्त करेगा। सीमाशुल्क द्वारा जारी बेबाकी प्रमाण-पत्र'' के आधार पर यूनिट अन्तिम रुप से निकासी के लिए विकास आयुक्त को आवेदन करेगा। यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत कोई मामला लंबित न होने पर विकास आयुक्त 7 कार्य दिवसों के भीतर अन्तिम निकासी आदेश जारी कर देगा। सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए बेबाकी प्रमाण-पत्र और विकास आयुक्त द्वारा जारी

किए गए अन्तिम आदेश के बीच की अवधि के दौरान यूनिट पूंजीगत माल अथवा निविष्टि को प्राप्त करने के लिए किसी छूट का दावा करने का पात्र नहीं होगी। तथापि वे अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए/शुल्क वापसी का दावा कर सकते हैं। चूंकि गणना और देय राशि विवादग्रस्त है और उसमें लम्बा समय लगेगा तो निकास प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए बैंक गारंटी/बाण्ड/बीजी द्वारा किस्त प्रक्रिया उपलब्ध करवाई जाएंगी ।

(च) जिन मामलों में यूनिट लागू आयात शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् विदेश से या उत्पाद शुल्क/जीएसटी का भुगतान करने के पश्चात् घरेलू बाजार से मशीनें खरीद कर प्रारम्भ में डीटीए यूनिट के रूप में स्थापित होती है, और जिसे बाद में ई ओ यू में परिवर्तित कर दिया गया है, ऐसे मामलों में निकासी के पश्चात डीटीए में ऐसी पूँजीगत वस्तुएँ ले जाने के लिए किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इसी प्रकार जहाँ ई पी सी जी योजना के तहत डीटीए यूनिट ने पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया है और ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व को पूर्णतः पूरा करने के पश्चात ईओयू में परिवर्तित होती हैं, यूनिट से डीटीए तक ऐसी पूँजीगत वस्तुओं को निकासी के समय ले जाते समय पूँजीगत वस्तुओं पर सीमाशुल्क नहीं लिया जाएगा।

(छ) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट को अग्रिम प्राधिकार के तहत एक बार के विकल्प के रुप में निकास के लिए विकास आयुक्त द्वारा अनुमति दी जा सकती है । यह सकारात्मक एन एफ ई मानदण्ड की पूर्ति के अधीन होगा ।

(ज) कच्चे माल, पूंजीगत माल इत्यादि की अधिप्राप्ति के संबंध में कोई शुल्क लाभ न लेने वाली एसटीपी/ईएचटीपी इकाई का अनुबंध तोड़ने/बाहर करने के लिए त्वरित (फास्ट ट्रेक) सुविधा देने हेतु एक सरलीकृत प्रक्रिया प्रदान की जा सकती है।

6.19 परिवर्तन

(क) मौजूदा डीटीए यूनिटें किसी निर्यातोन्मुख यूनिट/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन भी कर सकती है।

(ख) विद्यमान ईएचटीपी/एसटीपी यूनिटें, ईओयू यूनिट में परिवर्तन/समाहित होने अथवा विलोमतः के लिए आवेदन कर सकती है। ऐसे मामलों में यूनिटें यथा लागू ड्यूटी एवं टैक्स छूट का लाभ उठा सकती हैं।

(ग) वर्तमान डीटीए इकाईयां जिनके संयत्र और मशीनरी में 50 करोड़ रूपये या इससे अधिक का निवेश किया गया हो अथवा जो 50 करोड़ रूपये या इससे अधिक राशि का वार्षिक निर्यात करती हों के ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई में परिवर्तित करने हेतु आवेदनों को निर्णय लेने हेतु अनुमोदन बोर्ड (बीओए) के समक्ष रखा जाएगा।

6.20 एन एफ ई की निगरानी

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के कार्य निष्पादन की निगरानी एकक अनुमोदन समिति द्वारा प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

6.21 प्रदर्शनियों/निर्यात प्रोत्साहन यात्राओं/ विदेश में शो-रुमों/ शुल्क मुक्त दुकानों के जरिये निर्यात

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों को निम्नलिखित की अनुमति हैः

(i) विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शनी करने/उनमें शामिल होने के लिए वस्तुओं का निर्यात करना ।
(ii) स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम जेवरात, बहुमूल्य, अर्धबहुमूल्य पत्थर, माणिक व अन्य वस्तुओं को व्यक्तिगत रुप से लाना/ले जाना ।
(iii) विदेशों में स्थापित अनुमोदित दुकानों में प्रदर्शन/बिक्री हेतु माल का निर्यात करना।
(iv) विदेशों में स्थापित अनुमोदित दुकानों में या उनके वितरकों/ एजेन्टों के शो रुम में प्रदर्शन/विक्रय।
(v) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शोरुम/खुदरा दुकानों की स्थापना करना ।

6.22 आयात/ निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत रुप से लाना ले जाना जिसमें विदेश जाने वाले यात्रियों के जरिए सामान ले जाना शामिल है

रत्न और आभूषणों का आयात/निर्यात व्यक्तिगत रुप से सीमा शुल्क प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है। तथापि, निर्यात आय को सामान्य बैंकिंग चैनलों द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। रत्न और आभूषण इकाईयों के अलावा यूनिटों के लिए आयात/निर्यात

व्यक्तिगत रुप से करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते वस्तुएं वाणिज्यिक मात्रा में न हों । भारतीय रिजर्व बैंक और राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार रत्न एवं आभूषण ई ओ यू का प्राधिकृत व्यक्ति व्यक्तिगत ढुलाई के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 10 किग्रा. तक प्रारंभिक रुप में सोने का आयात कर सकता है।

6.23 डाक/कूरियर द्वारा निर्यात/आयात

निःशुल्क नमूनों सहित माल का सीमा शुल्क प्रक्रिया के अधीन हवाई जहाज या विदेशी डाक खाने या कूरियर द्वारा निर्यात/आयात किया जा सकता है।

6.24 ईओयू यूनिटों का प्रशासन/विकास आयुक्त की शक्तियाँ

ईओयू यूनिटों के प्रशासन और विकास आयुक्त की शक्तियों का ब्यौरा प्रक्रिया पुस्तक में दिया गया है।

6.25 रुग्ण यूनिटों का पुनरुत्थान

उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा यूनिट को रुग्ण घोषित करने पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा यूनिट के पुनरुत्थान या अधिग्रहण के प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है।

6.26 ईएचटीपी/एसटीपी का अनुमोदन

हटा दिया गया है।

6.27 बीटीपी का अनुमोदन

हटा दिया गया है।

6.28 मालगोदाम सुविधाएं

हटा दिया गया है।

अध्याय 7

मान्य निर्यात

7.00 उद्देश्य

कतिपय विनिर्दिष्ट मामलों जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णय लिया जाए, में घरेलू विनिर्माताओं को समान अवसर प्रदान करना।

7.01 मान्य निर्यात

(i) इस विदेश व्यापार नीति के प्रयोजन हेतु मान्य निर्यात" का अर्थ उस लेन-देन से है जिसमें आपूर्तित माल देश से बाहर नहीं जाता और इन आपूर्तियों के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपये में या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है । निम्नलिखित पैरागाफ 7.02 में यथा उल्लिखित माल की आपूर्ति 'मान्य निर्यात' के रूप में मानी जाएगी बशर्ते कि माल का भारत में विनिर्माण हुआ हो ।

(ii) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रयोजन हेतु जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर ''मान्य निर्यात'' में सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 147 के तहत अधिसूचित आपूर्तियों को ही शामिल किया जाएगा। जीएसटी के लाभ तथा ऐसे लाभों हेतु लागू शर्तें जीएसटी परिषद और संबंधित नियमों और अधिसूचनाओं के यथा विनिर्दिष्ट होंगी।

7.02 आपूर्ति की श्रेणियाँ

एक विनिर्माता द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों (क) से (घ) और मुख्य/उप-ठेकेदार द्वारा श्रेणियों (ड.) से (ज) के तहत माल की आपूर्ति को 'मान्य निर्यात' माना जाएगा।

क. विनिर्माता द्वारा आपूर्ति:

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी एफ आई ए के अधीन माल की आपूर्ति;

(ख) निर्यातोन्मुख यूनिटों (ईओयू)/साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क्स (एसटीपी)/ इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नालाजी पार्क (ईएचटीपी)/बायोटैक्नोलोजी पार्क (बीटीपी) को माल की आपूर्ति।

(ग) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के अधीन पूंजीगत माल की आपूर्ति ।

(घ) *हटा दिया गया है।*

ख. मुख्य/उप-ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति

(ड.) (i) आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/निधियों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति जहाँ पर विधिक समझौते सीमाशुल्क को शामिल किए बगैर निविदा मूल्यांकन प्रदान करते हैं।

(ii) आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) वित्त मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/निधियों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को माल और उपस्करों (टर्नकी संविदाओं के लिए एकल उत्तरदायित्व) की आपूर्ति और संस्थापन जिनके लिए बोलियाँ आमंत्रित की गई हों और विदेशों में विनिर्मित माल के लिए सुपुर्दगी पर चुकाया गया शुल्क (डीडीपी) के आधार पर मूल्यांकन किया गया है।

(iii) आपूर्तियाँ उन एजेंसियों/निधियों की प्रक्रिया के अनुसरण में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली (आईसीबी) के तहत इस पैराग्राफ मे शामिल होंगी।

(iv) मान्य निर्यात लाभ के लिए इस पैराग्राफ के तहत शामिल एजेंसियों की सूची **परिशिष्ट 7क** में दी गई है।

च)(i) किसी परियोजना अथवा किसी प्रयोजन के लिए माल की आपूर्ति जिसके लिए समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 17.3.2012 की पूर्व अधिसूचना सं0 12/2012-सीमाशुल्क द्वारा वित्त मंत्रालय ने इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन (बीसीडी और सीवीडी दोनों को छोड़कर) शून्य सीमाशुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति प्रदान की थी जो सीमा भाुल्क विभाग की अधिसूचना संख्या 50/2017–सीमा शुल्क विभाग दिनांक 30.06.2017 के तहत शून्य मूल सीमा शुल्क को छोड़कर जारी है और उक्त नई अधिसूचना में उल्लिखित भार्तों के अधीन है। मान्य निर्यात के लाभ केवल तभी उपलब्ध होंगे जब आईसीबी की प्रक्रिया के तहत आपूर्ति की जाती है।

(ii) समय-समय पर यथासंशोधित राजस्व विभाग की अधिसूचना सं0 50/2017–सीमा भाुल्क विभाग दिनांक 30.06.2017 की क्रम सं0 598 पर सूची 31 में यथाविनिर्दिष्ट किसी मेगा विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यक माल की आपूर्ति इसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन मान्य निर्यात लाभ की पात्र होंगी बशर्ते कि ऐसी मेगा विद्युत परियोजना उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रारंभिक उत्पादन क्षमता के अनुरूप हो।

(iii) यदि विद्युत की अपेक्षित मात्रा को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली से सम्बद्ध किया गया हो अथवा यदि परियोजना प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा दी गयी हो तो मेगा विद्युत परियोजनाओं के लिए आईसीबी शर्त अनिवार्य नहीं होगी।

(छ) संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं छूट अधिनियम) 1947 की धारा 3 के अनुपालन में संयुक्त राष्ट्र को या अन्तर्राष्ट्रीय संगठन को उनके सरकारी उपयोग के लिए माल की

आपूर्ति अथवा उक्त संयुक्त राष्ट्र या भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को की गई आपूर्ति। ऐसे संगठन और ऐसी आपूर्तियों के लिए लागू शर्तों की सूची समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 11.11.1997 की सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचना सं0 84/97–सीमा शुल्क विभाग में दी गई है। इस पैराग्राफ के तहत शामिल एजेंसियों की एक सूची परिशिष्ट-7ख में दी गई है।

(ज) परमाणु विद्युत परियोजनाओं को प्रदत्त माल की आपूर्तिः

(i) समय-समय पर यथासंशोधित दिनांक 30.06.2017 की सीमा शुल्क विभाग की अधिसूचना सं0 50/2017–सीमा शुल्क विभाग की क्रम सं0 602 की सूची 32 में यथा विनिर्दिष्ट तथा इसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन किसी परमाणु विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए ऐसे माल की आवश्यकता होती है।

(ii) परियोजना की 440 मे0वा0 या उससे अधिक क्षमता होनी चाहिए।

(iii) इस आशय का एक प्रमाण-पत्र आवश्यक है जो परमाणु उर्जा विभाग में भारत सरकार के कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(iv) निविदा राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (एनसीबी) या आईसीबी के द्वारा आमंत्रित की जाती है।

7.03 मान्य निर्यात के लिए लाभ

प्रक्रिया पुस्तक और एएनएफ-7क में दी गयी शर्तों के अनुसार मान्य निर्यात के रुप में पात्र माल के विनिर्माण और आपूर्ति के संदर्भ में मान्य निर्यात पर निम्नलिखित में से कोई/सभी लाभ दिए जाएंगे :-

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए

(ख) बीसीडी हेतु मान्य निर्यात शुल्क वापसी।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की अनुसूची–4 में उल्लिखित उत्पाद कर योग्य वस्तुओं हेतु अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी बशर्ते आपूर्ति मान्य निर्यात की श्रेणी के अंतर्गत पात्र हो और इसमें कोई छूट प्राप्त न हो।

7.04 आपूर्तिकर्त्ता/प्राप्तकर्त्ता का लाभ

	पैरा 7.02 के अनुसार आपूर्तियों की श्रेणियॉ	उपर्युक्त पैरा 7.03 में यथा प्रदत्त आपूर्ति पर लाभ, जो भी लागू हो		
		पैरा 7.03(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र	**पैरा 7.03(ख) शुल्क वापसी**	**पैरा 7.03(ग) अंतिम उत्पाद शुल्क**
	(क)	हाँ (अमान्यकरण पत्र के अधीन अंतरवर्ती आपूर्तियों के लिए)	हाँ (एआरओ के मद्दे)	हाँ
	(ख)	हाँ	हाँ	हाँ
	(ग)	हाँ	हाँ	लागू नहीं
	(घ)	हटा दिया गया है	हटा दिया गया है	हटा दिया गया है
	(ड.)	हाँ	हाँ	लागू नहीं
	(च)	हाँ	हाँ	हाँ, केवल पैरा 7.08 (iii) (क) हेतु
	(छ)	हाँ	हाँ	लागू नहीं
	(ज)	हाँ	हाँ	लागू नहीं

7.05 अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए शर्त

(i) माल की आपूर्ति, विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03(ग) के अनुसार अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी के लिए पात्र होगी, बशर्ते कि माल के प्राप्तकर्त्ता ने ऐसे माल पर सेनवैट क्रेडिट/ छूट प्राप्त न की हो।

(ii) *हटा दिया गया है।*

(क) *हटा दिया गया है।*

(ख) *हटा दिया गया है।*

(ग) *हटा दिया गया है।*

(घ) *हटा दिया गया है।*

7.06 मान्य निर्यात की शुल्क वापसी के लिए शर्तें

आपूर्तियाँ विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03(ख) के अनुसार मान्य निर्यात वापसी के लिए पात्र होंगी जो इस प्रकार हैं :

उक्त श्रेणी के अंतर्गत विनिर्माण और आपूर्ति में उपयोग की जाने वाली निविष्टियों की मूल सीमा शुल्क के रूप में शुल्क–वापसी मूल सीमा शुल्क का वास्तविक भुगतान करने के साक्ष्य के रूप में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर ब्रांड दर आधार पर की जाएगी।

7.07 मान्य निर्यात लाभों के लिए सामान्य शर्तें

(i) पैरा 7.02 में सूचीबद्ध कम्पनियों को आपूर्ति सीधे की जाएगी। तृतीय पक्षकार की आपूर्ति लाभ/छूट हेतु पात्र नहीं होगी।

(ii) सभी मामलों में, आपूर्ति सीधी नामोदिष्ट परियोजनाओं/ एजेंसियों/इकाइयों/अग्रिम प्राधिकार पत्र/ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को की जाएगी। उप संविदाकार, तथापि, नामोदिष्ट परियोजना/ एजेंसियों के बजाए मुख्य संविदाकार को सीधे आपूर्ति कर सकता है। ऐसे मामलों में भुगतान मुख्य-संविदाकार द्वारा उप-संविदाकार को किया जाएगा न कि परियोजना प्राधिकारी द्वारा।

(iii) किसी भारतीय उप-संविदाकार द्वारा किसी भारतीय अथवा विदेशी मुख्य संविदाकार को नामोदिष्ट परियोजनाओं/एजेंसियों की साइट के लिए स्वदेशी विनिर्मित माल की आपूर्ति मान्य निर्यात लाभ के लिए भी पात्र होगी बशर्ते उप-संविदाकार का नाम मुख्य संविदा में या तो मूल रूप से अथवा बाद में (परन्तु ऐसे माल की आपूर्ति की तारीख के पहले) दर्शाया गया हो।

7.08 विनिर्दिष्ट आपूर्तियों पर लाभ

(i) मान्य निर्यात लाभ केवल पैरा 7.02(ड.) के तहत 'सीमेंट' की आपूर्ति के लिए उपलब्ध होगा।

(ii) मान्य निर्यात लाभ 'इस्पात' की आपूर्ति के संबंध में उपलब्ध होगा ;

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए धारक/ईओयू संबंधी निविष्टियों के रूप में।

(ख) उप-पैरा 7.02(ड.) के अनुसार बहुपक्षीय/द्विपक्षीय निधि पोषित एजेंसियों को।

(iii) **'ईंधन'** की (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की अनुसूची 4 के अंतर्गत शामिल पात्र ईंधन मदों के मामले में) आपूर्ति करने पर मान्य निर्यात लाभ उपलब्ध होगा बशर्ते आपूर्ति निम्नलिखित को की जाएः

(क) समय–समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क विभाग की अधिसूचना सं0 50/2017–सीमा शुल्क विभाग दिनांक 30.06.2017 में क्रम सं0 44 के तहत और उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन तथा विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.02(च) में शामिल पेट्रोलियम प्रचालन हेतु सूचीबद्ध परियोजनाएं।

(ख) ई ओ यू;

(ग) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक/वार्षिक अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक।

7.09 ब्याज का दायित्व

अपूर्ण/अधूरे आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तथापि, स्कीम के अंतर्गत शुल्क वापसी तथा अंतिम उत्पाद शुल्क की वापसी में देरी होने पर 6 प्रतिशत की दर से वार्षिक साधारण ब्याज देना होगा बशर्ते क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अंतिम अनुमोदन पत्र जारी किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर दावे का निपटान नहीं किया गया हो।

7.10 जोखिम प्रबंधन और आन्तरिक लेखा परीक्षा तंत्र

क) एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली शुरू की जाएगी जिसमें डीजीएफटी मुख्यालय में प्रत्येक माह कम्प्यूटर सिस्टम यादृच्छिक आधार पर प्रत्येक क्षेत्रीय प्राधिकरण के लिए 10 मामलों का चयन करेगा जहाँ पर इस अध्याय के लिए लाभ पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। सभी मण्डलों के मण्डलीय अपर महानिदेशक के कार्यालय में संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार की अध्यक्षता में एक आन्तरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा ऐसे मामलों की जाँच की जाएगी। टीम न केवल अपने कार्यालय के ऑडिट दावों के लिए उत्तरदायी होगी अपितु मण्डल के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले सभी क्षेत्रीय प्राधिकरणों के दावों के लिए भी उत्तरदायी होगी।

(ख) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी भी किसी मामले की आंतरिक लेखा परीक्षा/बाह्य लेखा परीक्षा अभिकरण/अभिकरणों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अथवा अपनी ओर से स्वयं पुनः आकलन कर सकता है, जिसमें कोई दोषपूर्ण/अपात्र भुगतान किया गया हो/दावा किया गया हो। क्षेत्रीय अधिकारी वसूली योग्य राशि पर 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित भुगतान की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगा।

7.11 दण्डनीय कार्रवाई

यदि दावे को तथ्यों की गलत घोषणा/गलत बयानी के साथ दायर किया गया है तो ऊपर पैरा 7.10(ख) के तहत वसूली किए जाने के अतिरिक्त आवेदक विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों इसके नियमों और आदेशों के तहत दण्डनीय कार्रवाई किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

7.12 **परिवर्ती पैरा**

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 में उल्लिखित मान्य निर्यात लाभ दिनांक 30.06.2017 तक लागू एफटीपी 2015–20 के प्रावधानों के अनुसार 30.06.2017 तक की गई आपूर्तियों पर उपलब्ध होंगे। दिनांक 30.06.2017 के बाद की गई आपूर्ति के संबंध में नए प्रावधान लागू होंगे।

अध्याय - 8

गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवाद

8.00 उद्देश्य

निर्यातकों को निर्यात के संवर्धन हेतु विदेश में देश की अच्छी छवि प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। विदेशी खरीदारों के साथ स्थायी संबंध बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है तथा जब भी कोई शिकायत अथवा व्यापार संबंधी विवाद उत्पन्न होता है, तो सौहार्दपूर्ण तरीके से यथाशीघ्र उसका निपटारा किया जाना होता है। आयातकों को भी कई शिकायतें हो सकती हैं।

ऐसी शिकायतों या व्यापार संबंधी विवादों के निपटान हेतु प्रयास के रूप में और देश के व्यापारिक माहौल में विश्वास उत्पन्न करने के लिए एक व्यवस्था तैयार की जा रही है जिससे ऐसी शिकायतों और विवादों का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान किया जा सके।

8.01 गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवाद

निम्नलिखित प्रकार की शिकायतों पर विचार किया जाएः
(क) भारत के निर्यातकों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पादों की घटिया गुणवत्ता के संबंध में विदेशी खरीदारों से प्राप्त शिकायतें।

(ख) आपूर्ति किए गए उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के विरूद्ध आयातकों की शिकायतें; तथा

(ग) अनैतिक वाणिज्यिक सौदे संबंधी ऐसी शिकायतें जिन्हें मुख्यतः इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया गया है, जैसे आदेश की पुष्टि के पश्चात् माल की आपूर्ति न किया जाना/आंशिक आपूर्ति, जिस माल पर सहमति हुई है, उससे भिन्न माल की आपूर्ति, भुगतान न किया जाना, सुपुर्दगी अनुसूचियों का पालन न किया जाना आदि।

8.02 आयातक/निर्यातक का दायित्व

(क) विदेश व्यापार (विनियमन) नियमावली 1993 के नियम 11 में अपेक्षित है कि किसी माल के किसी सीमाशुल्क पत्तन में आयात होने अथवा वहाँ से निर्यात होने पर चाहे वह शुल्क के लिए दायी हो अथवा नहीं, इस माल का स्वामी प्रविष्टि बिल अथवा पोतलदान बिल अथवा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत निर्धारित किसी अन्य दस्तावेज पर माल का मूल्य, मात्रा और विवरण अपनी पूरी जानकारी और विश्वास के आधार पर प्रस्तुत करेगा तथा माल के निर्यात की स्थिति में यह प्रमाणित करेगा कि माल की गुणवत्ता और विनिर्देश जैसा कि दस्तावेजों में वर्णित है, खरीदार अथवा परेषिती के साथ की गई निर्यात संविदा की शर्तों के अनुसार है तथा उसके अनुसरण में माल का निर्यात किया जा रहा है। तथा इस कथन की सच्चाई की घोषणा

प्रविष्टि बिल अथवा पोतलदान बिल अथवा किसी अन्य दस्तावेज में करेगा। इस उपबंध का उल्लंघन होने पर निर्यातक दांडिक कर्रवाई हेतु दायी होगा।

(ख) कतिपय निर्यात वस्तुओं को उनके निर्यात से पूर्व अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण एवं लदान-पूर्व निरीक्षण हेतु अधिसूचित किया गया है। 1984 में यथासंशोधित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के तहत ऐसे निर्यातक जो इन मानकों तथा/अथवा अधिनियम के इन उत्पादों के लिए यथा निर्धारित उपबंधों का पालन नहीं करते हैं, के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई की जा सकती है।

8.03 चूककर्ता निर्यातकों/ आयातकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और विदेश व्यापार (विनियमन) नियमावली में प्रावधान

यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) नियमावली, 1993 के तहत चूककर्ता निर्यातकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है जो निम्नानुसार हैः

(क) अधिनियम की धारा 8 में महानिदेशक, विदेश व्यापार या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उसमें दिए गए कारणों के लिए आयातक/ निर्यातक कोड सं0 को रोकने या रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(ख) अधिनियम की धारा 9(2) में महानिदेशक, विदेश व्यापार या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अधिनियम के तहत दिए गए वित्तीय या आर्थिक लाभ देने वाले लाइसेंस, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी अन्य दस्तावेज देने या नवीकरण करने से मना करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(ग) धारा 9(4) में महानिदेशक, विदेश व्यापार या उनके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अधिनियम के तहत दिए गए आर्थिक या वित्तीय लाभ प्रदान करने वाले किसी लाइसेंस, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी अन्य दस्तावेज को रोकने या रद्द करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(घ) अधिनियम की धारा 11(2) में उन मामलों में वित्तीय दंड लगाने का प्रावधान है जिनमें कोई व्यक्ति अधिनियम, नियमावली या उसके अन्तर्गित दिए गए आदेश अथवा विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों का उल्लघंन करके आयात या निर्यात करता है या उसको बढ़ावा देता है या ऐसा करने का प्रयास करता है।

8.04 शिकायतों/विवादों की निगरानी हेतु तंत्र

(क) गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति (सीक्यूसीटीडी)

शिकायतों और विवादों की बढ़ रही संख्या को प्रभावी रूप से निपटारा करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के सभी कार्यालयों में 'गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति' (सीक्यूसीटीडी) का गठन किया जाएगा।

(ख) गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति का गठन

विदेश व्यापार माहनिदेशालय के प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति (सीक्यूसीटीडी) का गठन किया जाएगा और यह गठन प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 8 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(ग) गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति के कार्य

यह समिति (सीक्यूसीटीडी) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरणों के क्षेत्राधिकार में आने वाली गुणवत्ता संबंधी शिकायतों तथा व्यापार संबंधी अन्य शिकायतों की जांच-पड़ताल करने के लिए जिम्मेवार होगी। यह समिति शिकायत मिलने के अधिमानतः तीन महीने के भीतर आयातकों, निर्यातकों और विदेशी क्रेताओं की शिकायतों का निपटारा और समाधान करने के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करेगी। आवश्यकता पड़ने पर समिति(सीक्यूसीटीडी) निर्यात संवर्धन परिषदों/फियो/ पण्य बोर्डों या किसी अन्य एजेंसी जोकि इन विवादों के निपटारे के लिए आवश्यक हो, की सहायता ले सकती है।

8.05 सीक्यूसीटीडी के तहत कार्रवाई

गुणवत्ता शिकायत एवं व्यापार विवाद संबंधी समिति की कार्यवाही केवल समाधान स्वरूप की है और पीड़ित पक्ष चाहे विदेशी क्रेता हो या भारतीय आयातक हो, अन्य चूककर्ता पक्ष के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

8.06 शिकायतों और व्यापार विवादों से निपटने की प्रक्रिया

ऐसी शिकायतों या व्यापार विवादों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा ऐसी गुणवत्ता शिकायतों और विवादों का निपटारा करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक मे दी गई है।

8.07 सुधारात्मक उपाय

क्षेत्रीय प्राधिकरण स्तर की समिति यह मूल्यांकन करने के लिए निर्यात निरीक्षण एजेंसी या किसी तकनीकी प्राधिकारी को प्राधिकृत कर सकती है कि मानकों, विनिर्माण/ डिजाइन खामियों आदि जिसके लिए शिकायतें प्राप्त हुई हैं, को पूरा नहीं करने में कोई तकनीकी असफलता रही है या नहीं।

8.08 नोडल अधिकारी

महानिदेशक, विदेश व्यापार विभिन्न क्षेत्रीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय करने हेतु 'नोडल अधिकारी' के रूप में कार्य करने हेतु मुख्यालय में कम से कम संयुक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी को नियुक्त करेंगे ।

अध्याय - 9

परिभाषाएं

	विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य के लिए, जब तक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगेः-
9.01	''उपांग'' या ''संलग्नी'' का अर्थ है एक भाग, उपसंयोजक अथवा संयोजक जो उपस्कर के मूल कार्यों को परिवर्तित किए बिना उपस्कर के एक अंश की कार्यक्षमता या कारगरता में सहयोग देता है ।
9.02	''अधिनियम'' का अर्थ है समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, (1992 की संख्या 22) (एफ टी (डी एण्ड आर) एक्ट) ।
9.03	''वास्तविक प्रयोक्ता'' का अर्थ है उस व्यक्ति (स्वाभाविक या वैध) से है जो अपने परिसर में आयातित माल के उपयोग के लिए प्राधिकृत है जिसका कोई स्थायी डाक पता हो।
	(क) ''वास्तविक प्रयोक्ता (औद्योगिक)'' का अर्थ उस व्यक्ति (स्वाभाविक या वैध) से है जो आयातित माल का प्रयोग अपनी स्वयं की औद्योगिक यूनिट में विनिर्माण के लिए अथवा जाबिंग यूनिट सहित किसी अन्य यूनिट में अपने स्वयं के प्रयोग के लिए करता है जिसका स्थायी डाक पता हो।
	(ख) **"**वास्तविक प्रयोक्ता (गैर-औद्योगिक)**"** का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए आयातित सामग्री का निम्नलिखित में इस्तेमाल करता होः- (i) कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशा कर रहा हो, जिसका स्थायी डाक पता हो; या (ii) कोई भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) संस्थान, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थान या अस्पताल, जिसका स्थायी डाक पता हो; या (iii) अन्य सेवा उद्योग जिसका स्थायी डाक पता हो,
9.04	''ए ई जैड'' का अर्थ है परिशिष्टों और आयात-निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2फ में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित

	कृषि निर्यात क्षेत्र।
9.05	''अपील'' वह आवेदन है जो कि अधिनियम के खण्ड 15 के अंतर्गत जमा किया जाता है और जिसमें वे आवेदन शामिल हैं जोकि विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा सरकार के हित में नामित न्यायिक/अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध जमा किए जाते हैं ।
9.06	''आवेदक'' का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी तरफ से आवेदन किया जाए और जहाँ संदर्भ में आवश्यक हो, इसमें आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति भी शामिल है ।
9.07	''प्राधिकार-पत्र'' का अर्थ है विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के अनुसार आयात अथवा निर्यात की अनुमति जैसा कि अधिनियम के भाग 2(छ) में बताया गया है।
9.08	''पूंजीगत माल'' का अर्थ है माल के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्पादन के लिए या सेवा अर्पित करने के लिए अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या उपसाधित्र जिनमें प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी के उन्नयन या विस्तार के लिए अपेक्षित सामग्री भी शामिल है । इसमें पैकेजिंग मशीनरी और उपकरण, प्रशीतन उपकरण, उर्जा सृजित करने वाले सेट, मशीन टूल्स, परीक्षण, अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपस्कर एवं उपकरण शामिल हैं । पूंजीगत माल के निर्माण, खनन, कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्प कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन और रेशम-उत्पादन एवं अंगूरोत्पादन के साथ-साथ सेवा विभाग में भी उपयोग में लाया जा सकता है ।
9.09	''सक्षम प्राधिकारी'' का अर्थ है-वह प्राधिकारी जो अधिनियम अथवा उसके तहत बने नियमों एवं आदेशों अथवा इस विदेश व्यापार नीति के तहत किसी शक्ति का प्रयोग करने, कर्तव्य अथवा कार्य को पूरा करने के लिए सक्षम हो ।
9.10	''संघटक'' का अर्थ है उप संयोजन या संयोजन का वह तत्व जिससे एक विनिर्मित उत्पाद तैयार किया जाता है या जिसमें

	वह विघटित हो जाए । संघटक में दूसरे संघटक के उपषंगी या उपकरण भी शामिल हैं ।
9.11	''उपभोज्य'' का अर्थ है कोई मद जो विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल हो या जिसकी आवश्यकता हो परन्तु जो तैयार उत्पाद का भाग न हो । विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान जिन मदों का अधिक मात्रा में या पूर्णतया उपभोग कर लिया जाता है, उन्हें उपभोज्य मदें माना जाएगा ।
9.12	''उपभोक्ता माल'' का अर्थ खपत के उस माल से है जो किसी अन्य संसाधन के बिना मनुष्य की आवश्यकताओं को सीधे ही पूरा कर सकता है और इसमें उपभोक्ता के लिए उपभोज्य माल और उसके अनुषंगी भी शामिल होंगे ।
9.13	''प्रतिसंतुलन व्यापार'' (काउंटर ट्रेड) का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत भारत से/को किया जाना वाला आयात/निर्यात व्यापार समझौते या अन्यथा के तहत आयात/निर्यात करने वाले देश से सीधे अथवा तीसरे देश के जरिये संतुलित होता हो । ''प्रतिसंतुलन व्यापार (काउंटर ट्रेड)'' के अन्तर्गत निर्यात/ आयात की अनुमति एस्क्रो एकाउंट, वापस खरीदने की व्यवस्था, वस्तु विनिमय व्यापार या किसी ऐसी ही अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा सकती है। निर्यात और आयात का संतुलन पूर्णतया या आंशिक तौर पर नकद, माल और/या सेवाओं के रुप में हो सकता है ।
9.14	**"**विकासकर्ता**"** का अर्थ है एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, कम्पनी, फर्म और ऐसा ही अन्य निजी या सरकारी उपक्रम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अन्य सुविधाओं को और बुनियादी सुविधाओं के एक भाग या सम्पूर्ण सुविधाओं का विकास, निर्माण करता है, डिजाइन तैयार करता है, स्थापना, संवर्धन करता है, वित्तीय सहायता, प्रचालन, रख-रखाव या प्रबन्ध करता है, इसमें सह-विकासकर्ता भी शामिल है।
9.15	''विकास आयुक्त'' का अर्थ है विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास आयुक्त ।

9.16	''घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र'' (डीटीए) का अर्थ है भारत के भीतर का क्षेत्र जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों और ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी से बाहर है।
9.17 **9.17क**	हटा दिया गया है। विदेश व्यापार नीति (2015–20) (एफटीपी) के तहत भारत से व्यापारिक वस्तुओ का निर्यात स्कीम के उद्देश्य हेतु ''ई–कॉमर्स'' का अर्थ वेबसाइट पर दिए गए वस्तुओ के निर्यात को खरीदार के लिए इंटरनेट के माध्यम से पहुँच योग्य बनाना है। जबकि एमईआईएस के तहत यथा विनिर्दिष्ट, वस्तुओं का प्रेषण कूरियर या डाक मोड के माध्यम से किया जाएगा, ई–कॉमर्स प्लेटफार्म पर खरीदे गए वस्तुओं के लिए भुगतान, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट/डेबिट कार्ड और समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र (आर बी आई/2015–161185) [ए.पी. (डीआईआर सरिज) परिपत्र सं० 16 दिनांक 24 सितम्बर 2015] के अनुसार किया जाएगा।
9.18	''ई.ओ.यू.'' का अर्थ है निर्यातोन्मुखी एकक जिसके लिए विकास आयुक्त द्वारा अनुमति-पत्र जारी किया गया हो ।
9.19	''उत्पाद शुल्क देय माल'' का अर्थ है -कोई माल जिसका भारत में उत्पादन या विनिर्माण किया गया हो और वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन हो ।
9.20	समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 में यथा-परिभाषित 'निर्यात'
9.21 ***9.22***	**"**निर्यातक**"** का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्यात करता है,या निर्यात करना चाहता है और जो आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारक हो, जब तक अन्यथा विशेष रुप से छूट न दी गई हो। निर्यात दायित्व का अर्थ हैः- प्राधिकार पत्र अथवा अनुज्ञा में शामिल निर्यात उत्पाद अथवा उत्पाद का क्षेत्रीय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मात्रा अथवा मूल्य अथवा दोनों में

	निर्यात करने का दायित्व।
9.23	मदों के लिए आयात/निर्यात के संदर्भ में आने वाले ''मुक्त'' से तात्पर्य है माल जिसे देश में आयात किए जाने अथवा देश से निर्यात किये जाने के लिए किसी प्राधिकार-पत्र/लाइसेंस अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
9.24	''विदेश व्यापार नीति'' से अभिप्राय है विदेश व्यापार नीति जो कि अधिनियम के भाग-5 के तहत निर्यात और आयात नीति को विनिर्दिष्ट करती है ।
9.25	समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 में यथापरिभाषित ''आयात'' ।
9.26	''आयातक'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयात करता है, या आयात करना चाहता है और जो आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारक हो, जब तक अन्यथा विशेष रुप से छूट न दी गई हो ।
9.27	''आई टी सी (एच एस)'' का अर्थ निर्यात और आयात मदों के 8 अंकों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण से है ।
9.28	''जाबिंग'' का अर्थ है-जाब वर्कर को आपूर्तित कच्चे माल या अर्ध-परिष्कृत माल का प्रसंस्करण या उसमें परिवर्तन करना ताकि प्रक्रिया का कोई हिस्सा या संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो सके जिसके परिणामस्वरुप वस्तु का विनिर्माण या परिष्करण हो या कोई भी कार्रवाई जो उपरोक्त प्रक्रिया के लिए जरुरी हो ।
9.29	''लाइसेंसिंग वर्ष'' का अर्थ उस वर्ष से है जो वर्ष के 1 अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो ।
9.30	''प्रबंधित होटल'' से अभिप्राय तीन स्टार या ऊपर के होटल/होटल श्रृंखला द्वारा होटल चलाना/होटल श्रृंखला तथा होटल प्रबंधन चलाने के मध्य कम से कम तीन वर्ष के दौरान एक प्रबंधन चलाने के करार के अधीन प्रबंधन से है। प्रबंधन करार में प्रबंधित होटल चलाने के प्रबंधन/कार्यकलापों के क्षेत्र

	को आवश्यक रुप से शामिल किया जायेगा।
9.31	''विनिर्माण'' का अर्थ है-विशेष नाम, गुण या उपयोग वाला नया उत्पाद जो हाथ अथवा मशीन से बनाया गया, उत्पन्न किया गया, गढ़ा गया, संयोजित किया गया, संसाधित किया गया अथवा तैयार किया गया हो और उसमें ऐसे संसाधन शामिल हैं, जैसे रेफ्रिजरेशन, पुनः पैकिंग, पॉलिशिंग, लेबलिंग, री-कन्डीशनिंग, मरम्मत, री-मेकिंग, री-फर्बिशिंग, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन री-इन्जीनिरिंग। विदेश व्यापार नीति के उद्देश्य के लिए विनिर्माण में कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्पोत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, रेशम-उत्पादन, अंगूरोत्पादन एवं खनन भी शामिल हैं ।
9.32	''विनिर्माता निर्यातक'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने द्वारा निर्मित माल का निर्यात करता है अथवा ऐसे माल का निर्यात करना चाहता है ।
9.33	''व्यापारी निर्यातक'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो व्यापार के कार्य और निर्यात के कार्य में संलग्न हो अथवा माल निर्यात करना चाहता हो ।
9.34	''एन सी'' का अर्थ उन मामलों में जहाँ पर सिओन मौजूद नहीं है और विदेश व्यापार महानिदेशालय में अधिसूचित किए जाने के लिए सिओन की सिफारिश करते हैं, तदर्थ निविष्टि-उत्पादन मानदंड के अनुमोदन के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय में मानदंड समिति से है ।
9.35	''अधिसूचना'' का अर्थ उस अधिसूचना से है जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।
9.36	''आदेश'' का अर्थ है अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया आदेश ।
9.37	''पुर्जे'' का अर्थ है उपसंयोजन या संयोजन का एक तत्व जो सामान्यतया स्वयं उपयोगी न हो और जो रख-रखाव के उद्देश्य के लिए आगे से असंयोजन के योग्य न हो । पुर्जा एक संघटक, स्पेयर अथवा उपसाधन हो सकता है ।
9.38	''व्यक्ति'' का अर्थ है कोई व्यक्ति, फर्म, सोसायटी, कम्पनी,

	निगम अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों सहित अन्य कोई वैध व्यक्ति ।
9.39	''नीति'' का अर्थ है समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, (2015-2020) ।
9.40	''निर्धारित'' का अर्थ है इस अधिनियम, अथवा विदेश व्यापार नीति अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गए नियम अथवा आदेश के तहत निर्धारित से है ।
9.41	''प्रतिबंधित'' आईटीसी(एचएस) में अथवा अन्यत्र आने वाली किसी मद की आयात/निर्यात नीति को दर्शाता है, जिसका आयात/निर्यात अनुमत नहीं है।
9.42 **9.42क**	''सार्वजनिक सूचना'' का अर्थ विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.55 के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित सूचना से है । ''परियोजना निर्यात'' का अर्थ आस्थगित भुगतान शर्तो और टर्नकी परियोजनाओं के निष्पादन और संयुक्त रुप से विदेशों के सिविल निर्माण अनुबंधों पर अभियात्रिकी सामानों के निर्यात को दर्शाता है। परियोजना के निर्यात में शामिल होगा (i) सिविल निर्माण अनुबंध; (ii) आस्थगित भुगतान शर्तो पर पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति सहित टर्नकी अभियांत्रिकी अनुबंध (iii) प्रक्रिया और अभियांत्रिकी परामर्श सेवाएंः और (iv) परियोजना निर्माण मदे (इस्पात और सीमेंट को छोड़कर)
9.43	''कोटा'' से तात्पर्य है एक विशिष्ट प्रकार के माल की मात्रा जिसे अतिरिक्त शुल्क लगाए बगैर अथवा प्रतिबंधों के बगैर आयात करने के लिए अनुमत किया गया हो।
9.44	''कच्ची सामग्री'' का अर्थ हैः मूल सामग्री जिसकी माल के विनिर्माण में आवश्यकता होती है। ये सामग्री कच्ची/प्राकृतिक/ अपरिष्कृत/अविनिर्मित अथवा विनिर्मित अवस्था में हो सकती हैं।
9.45	''क्षेत्रीय प्राधिकारी'' का अर्थ है अधिनियम/आदेश के तहत एक प्राधिकार पत्र प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी ।
9.46	''पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र'' (आर.सी.एम.सी) का तात्पर्य विदेश व्यापार नीति या प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथा निर्धारित किसी निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य बोर्ड/विकास

	प्राधिकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र से है ।
9.47	''प्रतिबंधित'' एक मद के आयात अथवा निर्यात नीति को दर्शाने वाला एक पद है, जिसे केवल विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालयों से एक प्राधिकार-पत्र प्राप्त करने के बाद देश में आयात अथवा देश से बाहर निर्यात किया जा सकता है।
9.48	''नियमों'' का अर्थ है एफटी (डीएण्डआर) अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम ।
9.49	''स्कोमेट'' विशेष रसायनों, आर्गेनिज्म, पदार्थों, उपस्करों और प्रौद्योगिकियों के दोहरे प्रयोग की मदों के लिए नामकरण है। भारत की विदेश व्यापार नीति के तहत दोहरे प्रयोग की मदों और प्रौद्योगिकियों का निर्यात विनियमित है। यह प्राधिकार-पत्र के तहत या तो प्रतिबंधित है या अनुमत है।
9.50	''सेवाओं'' में, सेवाओ के व्यापार पर सामान्य करार के अन्तर्गत आने वाली सभी व्यापारिक सेवाएं और मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करना शामिल है ।
9.51	''सेवा प्रदाता'' का अर्थ है वह व्यक्ति जोः- (i) भारत से किसी और देश के लिए "सेवा" प्रदान करता है, (विधि 1-सीमा पार व्यापार) (ii) भारत में किसी और देश के उपभोक्ता को भारत से प्रदान की गई ''सेवा'' की आपूर्ति करता है, (विधि 2-विदेश व्यापार खपत) (iii) भारत से किसी अन्य देश में वाणिज्यिक उपस्थिति के माध्यम से सेवा की आपूर्ति करता है। (विधि 3-वाणिज्यिक उपस्थिति) (iv) भारत में वास्तविक व्यक्तियों की उपस्थिति के माध्यम से किसी अन्य देश में ''सेवा'' की आपर्ति (विधि 4-वास्तविक व्यक्तियों की उपस्थिति)
9.52	''शिप'' का अर्थ समुद्र से किए जाने वाले व्यापार या समुद्र तट पर किए जाने वाले व्यापार के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के पोतों से है, इसमें पुराने पोत भी शामिल हैं ।

9.53	''सिओन'' का अर्थ विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित, मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों से है ।
9.54	''स्पेयर्स'' का तात्पर्य प्रतिस्थापन के लिए किसी पुर्जे या उप-असेम्बली या असेम्बली के अर्थात् किसी समान या एक ही तरह के भाग या उप-असेम्बली या असेम्बली के स्थान पर रखे जाने वाले किसी भाग से है। स्पेयर्स में संघटक या सहायक उपकरण शामिल हैं।
9.55	''विनिर्दिष्ट''का तात्पर्य अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इस नीति के प्रावधानों द्वारा या के तहत विनिर्दिष्ट से है ।
9.56	''स्तर धारक'' का आशय उस निर्यातक से है, जिसे विदेश व्यापार महानिदेशक/विकास आयुक्त ने निर्यात सदन/दो सितारा व्यापार सदन /तीन सितारा व्यापार सदन/चार सितारा व्यापार सदन/पाँच सितारा व्यापार सदन के रुप में मान्यता दी है ।
9.57	''भंडार'' से अभिप्राय जलयान या वायुयान के प्रयोग के लिए वस्तुएँ हैं और उनके ईंधन, स्पेयर्स और उपस्करों का अन्य सामान है, चाहे वह तुरन्त फिट होने वाला हो या न हो ।
9.58	(क) ''सहायक विनिर्माता'' वह व्यक्ति है जो एक विशिष्ट प्राधिकार-पत्र के तहत व्यापारी निर्यातक या विनिर्माता निर्यातक के लिए माल/उत्पाद या माल/उत्पाद के किसी हिस्से/उपषंगी/ पुर्जों का विनिर्माण करता है। (ख) ईपीसीजी स्कीम के लिए ''सहायक विनिर्माता'' ऐसा व्यक्ति है जिसके प्रांगण/फैक्टरी में ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र के तहत पूंजीगत माल आयात/प्राप्त किया जाता है।
9.59	विदेश व्यापार नीति के प्रयोजनार्थ राज्य व्यापार उद्यम (एसटीई), वे इकाईयाँ हैं जिन्हें विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.20 (क) के अनुसार निर्यात और/अथवा आयात के विशिष्ट अधिकार/विशेष अधिकार प्रदान किए गए हों।
9.60	''तीसरी पार्टी द्वारा निर्यात'' का आशय है निर्यातक या विनिर्माता द्वारा दूसरे निर्यातक (निर्यातकों) की ओर से किया गया निर्यात।

	ऐसे मामलों में निर्यात दस्तावेजों जैसे शिपिंग बिल आदि में विनिर्माता निर्यातक/विनिर्माता और तीसरी पार्टी दोनों के नामों का उल्लेख करना होगा। बैंक वसूली प्रमाण पत्र, स्व-घोषणा प्रपत्र, निर्यात आदेश और बीजक, तीसरी पार्टी निर्यातक के नाम से होना चाहिए ।
9.61	''सौदा मूल्य'' की परिभाषा राजस्व विभाग की सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली में यथा परिभाषित की गई है ।
9.62	''वन्य प्राणी'' का अर्थ है कोई वन्य प्राणी जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के खण्ड- 2(36) में यथा परिभाषित है ।

परिशिष्ट–I

2.17 कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) से/को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आयात और निर्यात पर निषेध

<u>निर्यात पर निषेधः</u>

(क) कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य (डीपीआरके) को निम्नलिखित मदों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री, हस्तांतरण या निर्यात निषिद्ध हैः

(i) परम्परागत हथियार संबंधी संयुक्त राष्ट्र रजिस्टर में यथा परिभाषित कोई बैटल टैंक, आर्मर्ड कम्बैट वाहन, बड़ी क्षमता की आर्टिलरी प्रणाली, कम्बैट एयरक्राफ्ट, अटैक हैलीकॉप्टर, युद्धपोत, मिसाइल या मिसाइल प्रणाली या कलपूर्जे सहित संबंधित सामग्री;

(ii) छोटे हथियार और हल्के हथियार और उससे संबंधित सामग्री सहित सभी हथियार और संबंधित सामग्री;

(iii) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के दस्तावेजों में यथा उल्लिखित सभी मदें, सामग्री, उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी,

1. एस/2006/853*;
2. एस/2006/853/कोर.1;
3. एस/2009/364 का भाग ख;
4. संकल्प 2094 (2013) का अनुलग्नक–III;
5. एस/2016/1069;
6. आईएनएफसीआईआरसी/254/रेव. 12/भाग–1 का अनुलग्नक–क (आईएईए दस्तावेज);
7. आईएनएफसीआईआरसी/254/रेव. 9/भाग–2 का अनुलग्नक (आईएईए दस्तावेज);
8. एस/2014/253;
9. एस/2016/308;
10. संकल्प 2321 (2016) का अनुलग्नक– III; और
11. केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित कोई मदें, सामग्री, उपकरण, माल और प्रौद्योगिकी जिनसे कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य के परमाणु–संबंधी, बैलिस्टिक मिसाइल संबंधी या अन्य व्यापक नर संहार संबंधी हथियारों के कार्यक्रमों में योगदान हो सकता है;

(iv) संकल्प 2094 (2013) के अनुलग्नक– IV, संकल्प 2270 (2016) के अनुलग्नक– IV और संकल्प 2321 (2016) के अनुलग्नक– IV में विनिर्दिष्ट मदों सहित किन्तु इन्हीं मदों तक सीमित नहीं, विलासिता संबंधी माल;

(v) खाद्य पदार्थ या दवाई को छोड़कर केन्द्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित मदें जो कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य के सशस्त्र बलों की प्रचालनात्मक क्षमताओं के विकास में योगदान दे सकती हैं। यह उपाय संकल्प 2270 (2016) के पैराग्राफ 8(क) और (ख) में निर्धारित छूट के अधीन है।

आयात पर निषेधः

(ख) उपर्युक्त उप–पैराग्राफ (क)(i), (क)(ii), (क)(iii), और (क)(iv) की मदों का कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य से अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष प्रापण या आयात, चाहे कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य में उत्पादित हो या न हो, निषिद्ध है।

क्षेत्रीय निषेध (निर्यात)

(ग) कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य को निम्नलिखित मदों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री, हस्तांतरण या निर्यात निषिद्ध हैः

(i) मामला–दर–मामला आधार पर समिति द्वारा अग्रिम में यथा अनुमोदित मामले को छोड़कर नए हेलीकाप्टर और वेसल्स;

(ii) वायुयान गैसोलीन, नाप्था प्रकार का जेट ईंधन, केरोसिन प्रकार का जेट ईंधन और केरोसिन–प्रकार के राकेट ईंधन सहित वायुयान ईंधन। यह उपाय संकल्प 2270 (2016) के पैराग्राफ 31 और संकल्प 2321 (2016) के पैराग्राफ 20 के प्रावधानों के अधीन है;

(iii) संघनन और प्राकृतिक गैस द्रव्य;

(iv) परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद। यह उपाय संकल्प 2375 (2017) के पैराग्राफ 14 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;

(v) कच्चा तेल। यह उपाय संकल्प 2375 (2017) के पैराग्राफ 15 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;

क्षेत्रीय निषेध (आयात)

(घ) कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य से निम्नलिखित मदों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रापण या आयात निषिद्ध हैः

(i) कोयला, लोहा और लौह अयस्क। यह उपाय संकल्प 2371 (2017) के पैराग्राफ 8 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;

(ii) सोना, टाइटेनियम अयस्क, वेनेडियम अयस्क और पृथ्वी के दुर्लभ खनिज;

(iii) तांबा, निकेल, चांदी और जस्ता;

(iv) मामला–दर–मामला आधार पर समिति द्वारा अग्रिम में यथा अनुमोदित को छोड़कर मूर्तियां; और

(v) समुद्री खाद्य पदार्थ (मछली, क्रेस्टेशन, मोलस्क और सभी स्वरूप के अन्य जलीय अकशेरूकी सहित)। यह उपाय संकल्प 2371 (2017) के पैराग्राफ 9 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;

(vi) सीसा और सीसा अयस्क। यह उपाय संकल्प 2371 (2017) के पैराग्राफ 10 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;

(vi) वस्त्र (कपड़े और आंशिक या पूर्ण रूप से पूर्ण परिधान उत्पाद सहित किन्तु उन तक सीमित नहीं)। यह उपाय संकल्प 2375 (2017) के पैराग्राफ 16 में निर्धारित छूट और प्रक्रियाओं के अधीन है;

व्याख्याः

(क) यूएनएससी का अर्थ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से है;

(ख) आईएईए का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है;

(ग) समिति का अर्थ संकल्प 1718 (2006) के पैराग्राफ 12 के अनुसार स्थापित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति से है; और

संकल्प, जैसा भी मामला हो, का संदर्भ कोरिया लोक जनतांत्रिक गणराज्य संबंधी संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों यथा 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2094(2013), 2270(2016), 2231(2016), 2356(2017), 2371(2017) और 2375(2017) से है।

शब्दावली (संक्षिप्त अक्षर)

संक्षिप्त अक्षर	पूर्णाक्षर
एए	अग्रिम प्राधिकार पत्र
एएएनएफ	परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र
एसीयू	एशियाई निकासी संघ
एईजैड	कृषि निर्यात क्षेत्र
एएनएफ	आयात निर्यात प्रपत्र
एआरई-1	निर्यात (हवाई/समुद्री/डाक/स्थल द्वारा) के लिए उत्पाद शुल्क लगाये जाने योग्य वस्तुओं को हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र
एआरई-3	फैक्टरी से अथवा एक गोदाम से अन्य गोदाम में से उत्पाद शुल्क लगाए जाने योग्य वस्तुओं का हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र
एसीपी	मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम
एईओ	प्राधिकृत इकानामिक ऑपरेटर
एईएस	अनुमोदित निर्यातक स्कीम
एपीडा	कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एआरओ	अग्रिम निकासी आदेश
आसियान	दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन
एएसआईडीई	निर्यात के मूलभूत विकास हेतु राज्यों को सहायता
एयू	वास्तविक प्रयोगकर्ता
बीसीडी	मूल सीमाशुल्क
बीजी	बैंक गारंटी
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीओए	अनुमोदन बोर्ड
बीओटी	व्यापार बोर्ड
बीआरसी	बैंक वसूली प्रमाण-पत्र
बीटीपी	जैव प्रौद्योगिकी पार्क
बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
सीसीपी	सीमा शुल्क निकासी परमिट
सीईए	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण
सीईसी	चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र
सीईडी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
सेनवैट	केन्द्रीय मूल्य वर्धक कर
सीईटीएफ	सामान्य बहिस्त्राव उपचार सुविधा
सीएफसी	सामान्य सुविधा केन्द्र

सीजी	पूंजीगत माल
सीआईएफ	लागत, बीमा और भाड़ा
सीआईएन	कम्पनी पहचान संख्या
सीआईएस	स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल
सीकेडी	संम्पूर्णता खराब हुए
सीओडी	सुपुर्दगी पर भुगतान
सीओओ	मूल का प्रमाणपत्र
सीक्यूसीटीडी	गुणवत्ता की शिकायतों और व्यापार विवादों पर समिति
सीआरईएस	मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर
सीआरईएस	मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र
सीईपीए	व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
सीएसपी	सामान्य सेवा प्रदाता
सीईसीए	व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता
सीवीडी	काऊंटरवेलिंग शुल्क
डीए	स्वीकृति पर दस्तावेज
डीबीके	शुल्क वापसी
डीसी	विकास आयुक्त
डीडीए	डायमंड डॉलर खाता
डीईए	आर्थिक मामलों में विभाग
डीईएल	अस्वीकृत इकाई सूची
डीईएस	शुल्क में छूट स्कीम
डीएफआईए	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र
डीजीसीआईएण्डएस	महानिदेशक, वाणज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी
डीआईएन	कम्पनी पहचान संख्या
डीपीआईएन	निर्दिष्ट साझेदार पहचान संख्या
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
डीओबीटी	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीईआईटी वाय	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रोद्योगिकी विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीआरएस	शुल्क में छूट स्कीम
डीटीए	घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र
ईबीआरसी	इलेक्ट्रानिक बैक वसूली प्रमाणपत्र
ईआईईसी	इलेक्ट्रानिक आयातक-निर्यातक कोड
ईसीए	इलेक्ट्रानिक-सह-अधिनिर्णय
ईडीआई	इलेक्ट्रानिक आंकड़ों का परस्पर अंतरण

ईसीजीसी	निर्यात क्रेडिट गांरटी निगम

ईईएफसी	विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा
ईएफसी	एक्जिम सुविधा समिति
ईएफटी	इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
ईजीएम	निर्यात संबंधी सामान्य घोषणा पत्र
ईएचटीपी	इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
ईआईसी	निर्यात निरीक्षण परिषद्
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओडीसी	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र
ईओपी	निर्यात दायित्व अवधि
ईओयू	निर्यातोन्मुख एकक
ईपीसी	निर्यात संवर्धन परिषद
ईपीसीजी	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल
ईपीओ	इंजीनियरी प्रक्रिया आऊटसोर्सिंग
एक्जिम	निर्यात आयात
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफई	विदेशी मुद्रा
एफईएमए	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफआईईओ	भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ
एफआईआरसी	फोरेन एक्सचेंज इन्वर्ड रेमिटेन्स सर्टिफिकेट
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड
एफओआर	सड़क और रेल पर माल ढुलाई
एफटी (डी एंड आर) एक्ट	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992(1992 का 22)
एफटीडीओ	विदेश व्यापार विकास अधिकारी
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
एफटी(आर) नियमावली	विदेश व्यापार (विनियमन) नियम
एफटीडब्ल्यूजैड	मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र
एफटीए	मुक्त व्यापार समझौते
जीएण्डजेईपीसी	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद
जीओआई	भारत सरकार
जीएटीएस	सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता
जीआर	प्राप्ति की गारंटी
एचएसीसीपी	खतरा, विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रक्रिया
एचबीपी	प्रक्रिया पुस्तक
एचएचईसी	हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम
आईसीबी	अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीएम	भारतीय वाणिज्यिक मिशन
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
आईएईए	अंतरराष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी
आईएनएफसीआईआरसी	अंतरराष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी की जानकारी परिपत्र
आईईएम	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन

आईएमएससी	आंतर मंत्रालयी स्थायी समिति
आईएल	औद्योगिक लाइसेंसिंग
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
आईटीसी (एचएस)	निर्यात और आयात मदों के लिए भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुसंगत प्रणाली)
केवीआईसी	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
एलसी	क्रेडिट का पत्र
एलसीएस	भूमि सीमा शुल्क स्टेशन
एलएलपीआईएन	सीमित देयता साझेदारी संख्या
एलपीजी	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एलओसी	लाइन ऑफ क्रेडिट
एलओआई	आशय पत्र
एलओपी	परमिट पत्र
एलयूटी	विधिक वचनबद्धता
एमएआई	बाजार पहुँच पहल
एमडीए	बाजार विकास सहायता
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमईआईएस	भारतीय स्कीम से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात
एमआरए	परस्पर मान्यता समझौते
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमईडी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास
एमएसटीसी	धातु स्क्रैप व्यापार निगम
एनबीएफसी	गैर बैंकिग वित्तीय कम्पनी
एनसी	मानदण्ड समिति
एनएफई	निवल विदेशी मुद्रा
एनआई	गैर उल्लंघनकारी
एनसीबी	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीईसी	भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड
पीआईसी	नीतिगत व्याख्या समिति
पीआरसी	नीतिगत छूट समिति
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीएच	व्यक्तिग सुनवाई
पीटीए	तरजीही व्यापार समझौता
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आरएण्डडी	अनुसंधान एवं विकास
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकारी
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीएमसी	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र
आरईपी	प्रतिपूर्ति

आरपीए	रुपये अदायगी क्षेत्र
एस/बी	पोत लदान बिल
एसएडी	विशेष अतिरिक्त शुल्क
स्कोमेट	विशेष रसायन आर्गेनिज्म, मैटीरियल्स, उपस्कर एवं प्रौद्योगिकी
एसईआईसीएमएम	सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंस्टीट्यूटस कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल
एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसईआईएस	भारत स्कीम से सेवा निर्यात
एसआईए	औद्योगिक सहायता सचिवालय
एसआईआईसी	राज्य औद्योगिक अवसंरचना
एसआईओएन	मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड
एसकेडी	अर्द्ध खराब
एसएलईपीसी	राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति
एसटीसी	राज्य ट्रेडिंग निगम
एसटीसीएल	मसाला ट्रेडिंग निगम लिमिटेड
एसटीई	राज्य व्यापार उद्यम
एसटीएच	स्टार व्यापार सदन
एसटीपीआई	सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क ऑफ इंडिया
एसटीआर	राज्य व्यापार क्षेत्र
एसयूवी	स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकलस
टीईडी	अंतिम उत्पाद शुल्क
टीईई	निर्यात उत्कृष्टता के शहर
टीएच	व्यापार सदन
टीपीओ	व्यापार संवर्धन संगठन
टीआरए	टेलीग्राफिक रिलीज एडवाइस
टीआरक्यू	प्रशुल्क दर कोटा
टीयूएफएस	प्रौद्योगिकी उन्नयन फंड स्कीम
यूएसी	यूनिट अनुमोदन समिति
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
वीए	मूल्यवर्धन
डब्ल्यूसीओ	विश्व सीमाशुल्क संगठन
डब्ल्यूएचओजीएमपी	विश्व स्वास्थ्य संगठन माल विनिर्माता क्रियाकलाप